सोलहवां अंक – 2011

नियोजन संदेश

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन

शहरी विकास मंत्रालय

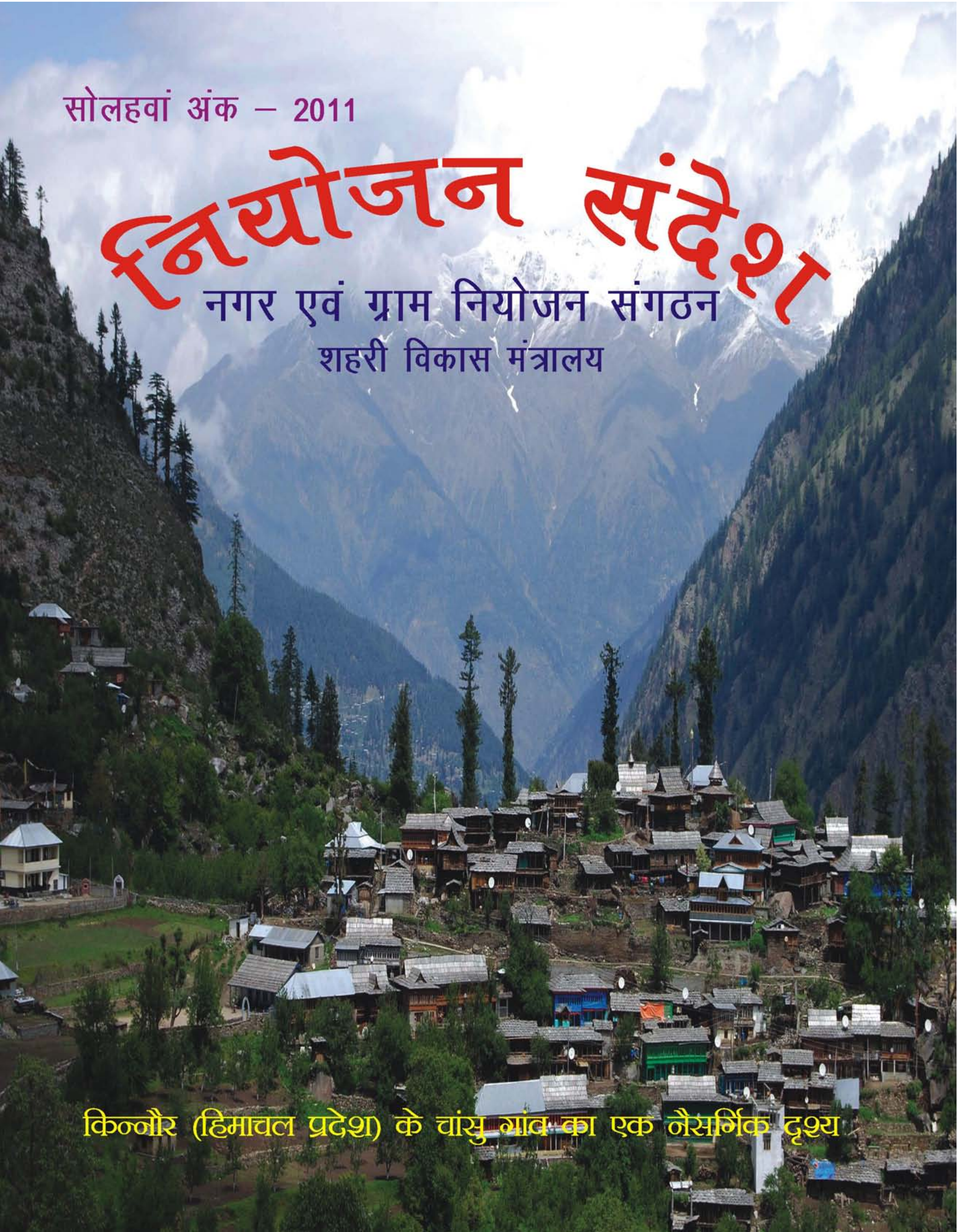

किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) के चांसु गांव का एक नैसर्गिक दृश्य

कुल्लू मनाली का मनोहर दृश्य

सोलहवां अंक

नियोजन संदेश

2011

प्रधान संरक्षक

जय बी. क्षीरसागर

मुख्य नियोजक

परामर्शदाता

के.के. जोद्दार

अपर मुख्य नियोजक

संपादक

धनसिंह वर्मा

सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादन सहयोग

ललित मेहता
हिंदी अनुवादक

अमीर सिंह
आशुलिपिक– ग्रेड–II

नेगी राम
ग्रुप–ग कर्मचारी

'नियोजन संदेश' पत्रिका में व्यक्त विचार रचनाकारों के अपने विचार हैं। उनके लिए सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नियोजन संदेश के अगले अंक के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्वरचित रचनाएं आमंत्रित हैं। रचना के साथ अपना पासपोर्ट आकार का फोटो अवश्य भेजें। फोटो के पीछे अपना नाम जरूर लिखें।

सम्पर्क सूत्र

राजभाषा अनुभाग
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
विकास भवन, ई–ब्लाक,
इंद्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली–110002

मुद्रक

युगांतर प्रकाशन (प्रा0) लिमिटेड
डब्ल्यू एच–23, मायापुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली–110064

निशा सिंह
संयुक्त सचिव
(शहरी विकास)

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

संदेश

हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। अतः हिंदी का प्रयोग एवं प्रचार–प्रसार करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। सूचना–प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के इस दौर में भाषा, साहित्य और संस्कृति का महत्व और अधिक बढ़ गया है। हमारा दायित्व है कि हम भारतीय संघ की राजभाषा नीति के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करें। हिंदी की गृह पत्रिकाएं अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए तो प्रेरणा देती ही हैं साथ ही उनके अन्दर छुपी लेखन प्रतिभा को भी उजागर करती हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन पिछले कुछ वर्षों से अपनी गृह पत्रिका 'नियोजन संदेश' का प्रकाशन करता आ रहा है और तकनीकी लेखों को सरल एवं सुगम हिंदी में लिखा जाना इसकी एक विशिष्ट पहचान बन गई है।

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन अपनी गृह पत्रिका **'नियोजन संदेश'** का सोलहवां अंक प्रकाशित करने जा रहा है। मुझे पूर्ण आशा है कि पिछले अंकों की भांति **'नियोजन संदेश'** का यह अंक भी पाठकों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा और लोकप्रिय होगा।

हार्दिक शुभकामनाएं,

(निशा सिंह)

जय बी. क्षीरसागर
मुख्य नियोजक

भारत सरकार
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन
शहरी विकास मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

संदेश

हिंदी हमारी राजभाषा है। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन एक तकनीकी संगठन है, इसके बावजूद संगठन में सरकार की राजभाषा नीति को बखूबी कार्यान्वित किया जाना हमारी विशिष्ट उपलब्धि है। संगठन की गृह पत्रिका 'नियोजन संदेश' इस उद्देश्य की पूर्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। 'नियोजन संदेश' पत्रिका का यह 16वां अंक है। तकनीकी लेखों की एक नियमित श्रृंखला इस पत्रिका के हर अंक में प्रकाशित की जा रही है। इस अंक में भी तकनीकी लेखों को सरल हिंदी में प्रस्तुत किए जाने के साथ–साथ अन्य ज्ञानवर्धक लेखों एवं राजभाषा संबंधी लेखों को भी शामिल किया गया है जो इस पत्रिका को एक बहुआयामी रूप प्रदान करता है।

कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में राजभाषा अनुभाग का मार्गदर्शन एवं सहयोग हमेशा मिलता रहा है जिसके फलस्वरूप संगठन में राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम सफल रहे हैं।

मैं लेखकों के साथ–साथ सहायक निदेशक (राजभाषा) को भी हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें 'नियोजन संदेश' के लिए लेख लिखने के लिए प्रेरित किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नियोजन संदेश का यह अंक सभी को पसंद आएगा। नियोजन संदेश के प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिकों को मेरी बधाई और शुभकामनाएँ।

(जय बी. क्षीरसागर)

संपादकीय

किसी भी भाषा के लिए शब्दों का होना जरूरी है। शिशु जब जन्म लेता है तो उसकी भाषा शब्दविहीन होती है। जब भी वह भूखा होता है तो अपनी इच्छा को शब्दविहीन भाषा के माध्यम से अपनी मां को बता देता है और मां है कि बिना देरी किए उसकी भाषा को समझ लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा कोई भी हो, अभिव्यक्ति का माध्यम है और इसमें वक्ता व श्रोता की बराबर की भूमिका होती है। वक्ता जो बोलता है श्रोता उसे समझ ले, तो भाषा अर्थपूर्ण हो जाती है। यदि वक्ता की बोली हुई बात को श्रोता समझ नहीं पाए तो भाषा अर्थहीन हो जाती है।

पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है। कुछ अभिव्यक्तियां वे संदेश के माध्यम से करते हैं तो कुछ बोलकर। कुछ समय पहले दूरदर्शन पर प्रसारित एक धारावाहिक की ये पंक्तियां हर किसी की जुबान पर थी :–

जंगल–जंगल बात चली है पता चला है,
चढ्ढी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है ।

इसमें मोगली नामक एक बच्चे का पालन–पोषण पशुओं के बीच होता है तो उसका रहन–सहन, भाषा व व्यवहार पशुवत हो जाता है। वह पशुओं की भाषा को समझ लेता है। यह यथार्थ ही है शिशु का लालन पालन जिस वातावरण में होता है वह उसी वातावरण में बोली जाने वाली भाषा को सबसे पहले सीखता है।

भारत विविधताओं का देश है। इसमें कई तरह के रीतिरिवाज, धर्म, खान–पान व भाषाएं हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में अभी तक हिंदी सहित 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस भाषा ने भारत को एकता के सूत्र में बांधने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी और तभी से हर वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपना समस्त सरकारी कामकाज हिंदी में करें।

हिंदी पत्रिकाएं जहां अधिकारियों व कर्मचारियों को अपना काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित करती हैं वहीं उन्हें अपनी लेखन क्षमता को उजागर करने का एक मंच भी प्रदान करती हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन की गृहपत्रिका ''नियोजन संदेश'' ऐसी पत्रिका का पर्याय बन गई है जिसमें तकनीकी लेखों को सरल व सुगम्य हिंदी में लिखा जाता है। इसमें प्रकाशित रचनाएं उत्कृष्ट कोटि की हैं। संगठन के सभी अधिकारियों

व कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है और अधिकारियों ने हिंदी कार्यशाला में तकनीकी विषयों पर व्याख्यान देकर अपने हिंदी प्रेम को दर्शाया है। इससे संगठन में हिंदी के प्रयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

'नियोजन संदेश' का यह सोलहवां अंक है। हमने इस अंक को उत्कृष्ट रूप देने का प्रयास किया है। पत्रिका के अगले अंक को और बेहतर बनाने के लिए आपके विचारों/सुझावों का स्वागत है।

(धनसिंह वर्मा)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

जीवन सूत्र

इस जिन्दगी में उदास नहीं होना,
इस जिन्दगी में निराश नहीं होना।
जिन्दगी तो यूं हीं चलती जाएगी,
परन्तु अपने जीने का अन्दाज़ नहीं बदल देना।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे,
तो आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी।
यदि वीरों की हम पूजा नहीं करेंगे,
तो सच मानो, वीरता बांझ हो जाएगी।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

अनुक्रमणिका

क्रमांक	रचना	रचनाकार	पृष्ठ संख्या
1.	सरस्वती वंदना		1
2.	शहरों के अव्यवस्थित फैलाव के कारण आने वाली समस्याएं एवं उनका समाधान	जय. बी. क्षीरसागर	2
3.	आदमखोर / गिद्ध	धनसिंह वर्मा	6
4.	जिला योजना समिति के परिचालन संबंधी मुद्दे	के.के. जोद्दार	7
5.	कर्म का महत्त्व	ललित मेहता	12
6.	कार्यालय और अनुशासन	आभा अग्रवाल	14
7.	शहरी जनगणना 2011 : एक परिदृश्य	आर. श्रीनिवास	17
8.	नारी और उसका अस्तित्व	रानी वधवा	23
9.	बागेश्वर जिला परिप्रेक्ष्य योजना : 2021	उदित रत्न / आर.एस.मीना	25
10.	कर्त्तव्यबोध	डॉ. अशोक कुमार बंदूनी	30
11.	मैली सरिता	आर.पी. सिंह	34
12.	मात–पिता की कर ले सेवा	धनसिंह वर्मा	39
13.	भावना	आर.डी. मीना	40
14.	वर्षा जल संचयन	प्रोमिला भल्ला	42
15.	मेहनत और कर्म से बनती है तकदीर	उदयवीर सिंह प्रजापति	47
16.	लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी)	नीलम शर्मा	48
17.	इन्हें अपनाइए और टेंशन दूर भगाइए	डॉ. अशोक कुमार बंदूनी	51
18.	खुद को भुला बैठे हैं	धनसिंह वर्मा	53
19.	धोखा	विपिन	54
20.	महानगरीय योजना समिति : राष्ट्र के समन्वित विकास में योगदान एवं चुनौतियां	उदित रत्न	55
21.	विकार–अविकार	सुदीप राय	60
22.	याद आता है	राम प्रकाश	62
23.	संसदीय राजभाषा समिति प्रश्नावली – एक विहंगम अवलोकन	धनसिंह वर्मा	63
24.	मेरी एक यात्रा का अनुभव	हरपाल सिंह	66
25.	किशोरावस्था	आभा अग्रवाल	68

क्रमांक	रचना	रचनाकार	पृष्ठ संख्या
26.	सर्प बनाम मानव	धनसिंह वर्मा	71
27.	माँ और बाप	रणसिंह सैनी	72
28.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	ललित मेहता	74
29.	सामाजिक कर्त्तव्य एवं भ्रष्टाचार	नेत्रपाल	76
30.	डर लगता है	धनसिंह वर्मा	79
31.	राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश	सौजन्यः ललित मेहता	80
32.	अंग्रेजी–हिंदी वाक्यांश	सौजन्यः धनसिंह वर्मा	83

सरस्वती वंदना

हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे
हर स्वर तेरा हर गीत तेरा
हम हैं अकेले हम हैं अधूरे
एक तू ही है पूर्ण, हे शारदे माँ ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।

मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी
वेदों की भाषा, वेदों की वाणी।
हम भी तो समझें, हम भी तो जानें
विद्या का हमको अधिकार दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।

तू श्वेतवर्णी कमल पर विराजे,
हाथों में वीणा मुकुट सिर पर साजे।
मिटा दे तू हमारे अंधकार हे माँ
उजालों का हमको संसार दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।

शहरों के अव्यवस्थित फैलाव के कारण आने वाली समस्याएं एवं उनका समाधान

जय. बी. क्षीरसागर

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है जो विश्व के कुल क्षेत्र (330 मिलियन वर्ग कि.मी.) के 2.4 प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व की कुल जनसंख्या की 16.7 प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है और 28 राज्यों एवं 7 संघशासित प्रदेशों में कुल जनसंख्या (2001) 1,027 मिलियन है। भारत की शहरी जनसंख्या लगभग 3 प्रतिशत प्रति वार्षिक की दर से तेजी से बढ़ रही है। नगरों एवं शहरों की संख्या जहां 1991 में 3697 थी वहीं 2001 में बढ़कर 4378 और 2011 में 5161 हो गई है और इन शहरों में 285 मिलियन शहरी जनसंख्या रहती है ।

2. यह अनुमान लगाया गया है कि 2051 तक देश की आधी आबादी शहरों में होगी। महानगरीय (मिलियन प्लस) शहरों की संख्या बढ़कर 75 हो जाएगी और शहरी बस्तियों की संख्या बढ़कर 6000 से अधिक हो जाएगी। कुल जनसंख्या 1.70 बिलियन हो जाएगी और भूमि मानव का अनुपात 0.19 हेक्टेयर हो जाएगा। जीडीपी का योगदान लगभग 75–80 प्रतिशत हो सकता है। मूल अवसंरचना की सीमित पहुंच वाली शहरीकरण की स्थिति, भिन्न आय समूहों में वितरण में असमानता की समस्याएं, प्रभावी प्रबंधन के अभाव में अवसंरचना की अपर्याप्तता तथा दुगुना होता असमान वितरण, अप्रभावी जुडाव (लिंकेज) एवं क्षति का कारण बना है । इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अल्प आय एवं गरीब वर्ग की जनसंख्या को सेवाओं की कमी से जूझना पड़ रहा हैं। शहरों के अनियमित एवं बेतरतीब ढंग से बढ़ने के कारण शहर की अवसंरचना में और विकृति आई है। भारत हमेशा से ही शहरी एवं क्षेत्रीय योजना के लिए अनुकूल रहा है और शहर के अधिकार में विश्वास रखता है जो प्राकृतिक निष्कर्ष के रूप में 'शहरी जीवन' का अधिकार है। भारत में शहरी योजना प्रक्रिया में चालू शहरी पर्यावरण, शहरी झुकाव और सामाजिक कायापलट पर ध्यान दिया गया है। शहरी नियोजक नई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रति संवेदनशील है जो अनुकूल शहरी योजना को प्रोत्साहित करने का साधन है। इसने वैश्वीकरण को गति दी है जो शहरी ढांचे में जटिलता प्रस्तुत करता है। भूमि की मात्रा वही रहने और शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण संतुलित शहरी विकास के लिए योजना बनाना आवश्यक है ।

3. अव्यवस्थित फैलाव की पुनरावृत्ति होना गंभीर प्रश्न उठाता है जिसमें कई शहरी प्राथमिकताओं से संबंधित होते हैं। शहरीकरण की बुराइयों के खतरे ने जलवायु परिवर्तन और शहरी ग्रामीण अंतरापृष्ठ (Interface) की स्थिति की ओर भी ध्यान खींचा है। यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अनियंत्रित एवं प्रायः अप्रत्याशित शहरी अव्यवस्थित फैलाव ने किस सीमा तक प्राकृतिक संकट को और आगे बढ़ने में योगदान

दिया है। इस प्रकार के ध्वंसक विस्तार ने महानगरीय विकेन्द्रीकरण की ओर ध्यान खींचने के लिए अतिरिक्त वाद–विवाद पैदा किया है। क्या प्रभावी रूप से प्रबंध की गई और आर्थिक रूप से अनुकूल बनायी गई हरित पट्टी नीति अभी भी शहरी सीमांत में विकास को व्यवस्थित करने के साधन के रूप में कार्य करती है ? इस बारे में हरित पट्टी कार्यान्वयन, प्रलेख संबंधी लाभ एवं क्षमताओं और असंदिग्ध सीमाओं को प्रकाश में लाने के आधार विकल्पों की समीक्षा करना वांछनीय हो जाता है।

4. शहरी ग्रामीण सीमांत के आर्विभाव (Emergence) से भूमि उपयोग और शहरों के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के धंधे, सांस्कृतिक व्यवहार, पर्यावरण एवं जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। शहरी फैलाव एक प्राकृतिक घटना है जिससे शहर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या और प्रवास की उच्च दर ने शहरों के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को फैला दिया है जिससे आर्थिक रूप से किफायती क्रियाकलापों जैसे फैक्ट्री, वाणिज्यिक परिसरों इत्यादि को बढ़ावा मिला है जो भूमि उपयोग को प्रभावित करता हैं। यह अनियोजित एवं अव्यवस्थित तरीके से होता है जिससे भूमि के मूल्य से संबंधित समस्याएं आती हैं, किसानों को भूमि से बेदखल करके कृषि भूमि में कमी आती है, स्थानों में भीड–भाड़ बढ़ जाती है, सामाजिक तनाव बढ़ जाता है, अवसंरचना पर दबाव पड़ता है और इससे भी अधिक घटित होता है। ये समस्याएं शहरी नियोजकों के सामने एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं जिसके कारण क्षेत्रीय योजनाएं बनाना अब बहुत अनिवार्य हो गया है।

5. क्षेत्र में बढ़ते क्षेत्रों, ट्रैफिक से अवरूद्ध गलियां, मध्यम श्रेणी, अल्प आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बाहर धकेलती बढ़ती आवास की कीमतें, मंडलन के सीमित परिणाम और भूमि पर काफी मात्रा में कब्जे की जानकारी से क्षेत्रीय स्तर पर भविष्य की योजना बनाने और कार्रवाई करने का समय आ गया है। किसी क्षेत्र के सतत विकास के लिए क्षेत्रीय योजना के केन्द्र में अवसंरचना का दक्ष स्थापन एवं मंडलन है। क्षेत्रीय योजना को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्षेत्रवार पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकेगा ।

6. विशिष्ट हस्तक्षेप एवं समाधान पूर्णतया विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर निर्भर करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, जिन पर बल दिए जाने की आवश्यकता है, इस प्रकार हैं:–

- बाढ़ वाले अथवा भूकंप भ्रंश (फाल्ट) के साथ वाले मैदानी इलाकों में विकास को रोकना। इन क्षेत्रों को पार्कों अथवा खुले स्थानों के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है।
- परिवहन कोरिडोर को निर्दिष्ट करें और मुख्य नई अवसंरचना पर विचार करें।
- क्षेत्र में बस्तियों की भूमिका को परिभाषित करें अर्थात् कुछ प्रशासनिक हो सकती हैं, जबकि अन्य निर्माण अथवा परिवहन के आधार पर हो सकती हैं।

- अपशेष (कूड़ा–करकट) के निपटान सहित अनिवार्य न्यूशेंस भूमि उपयोग को निर्दिष्ट करें।
- बस्ती समामेलन रोकने एवं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हरित पट्टी अथवा ऐसी ही व्यवस्था निर्दिष्ट करें।
- क्षेत्रीय स्तर की नीति एवं मंडलन निर्धारित करें जो गृहों एवं समुदायों के मिल जाने को प्रोत्साहित करते हों।
- भवन कोड़, मंडलन नियम एवं नीतियों पर विचार करें जो भूमि के सर्वोत्तम उपयोग को प्रोत्साहित करती हों।

7. उन पहलूओं को जारी रखें, जिनकी क्षेत्रीय योजना के माध्यम से ध्यान में लाने की आवश्यकता होती है। ये पहलू निम्नलिखित हैं :–

- प्रत्येक क्षेत्र में भूमि उपयोग के पैटर्न को पुनः संगठित करें जो लंबी कार्य यात्रा एवं व्यक्तिगत यात्रा को कम करें। उसके द्वारा सेवाओं, कार्यों एवं गृहों का संतुलन बनाएं।
- फैलाव को रोककर और गृहों की पर्याप्त सप्लाई एवं वितरण करके पूरे क्षेत्र में गृह विकास करना।
- शहर के अंदर के क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में लाना जो अन्यथा बेकार क्षेत्र हो जाएंगे और आर्थिक विकास को हतोत्साहित करेंगे।
- प्रत्येक क्षेत्र में वायु एवं पानी के प्रदूषण को स्वीकार्य स्तर पर बनाए रखना।
- क्षेत्रों के अन्दर सामूहिक परिवहन प्रणालियों (सड़क, रेल इत्यादि) को प्रोत्साहित करना जो प्रभावी हों और लोगों को महत्वपूर्ण गंतव्य स्थलों पर तेजी से और कम खर्च में पहुंचाने के लिए प्रणाली में गुंजाइश हो।
- सभी के लिए स्कूल एवं शैक्षणिक प्रणालियों का प्रबंध करना।
- मांग अथवा काम सृजन से समन्वित तरीके से क्षेत्रों के अंदर कार्य–प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करना जिसकी आवश्यकता लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए होती है ।
- विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराने के लिए वितरणशील स्वास्थ्य सेवाओं (स्थानीयकृत नहीं) को प्रोत्साहित करना एवं उसे बड़ी समन्वित क्षेत्रीय प्रणाली के साथ जोड़ना।

8. जिन कार्रवाई मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे इस प्रकार हैं :–

- प्रत्येक राज्य के नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम में क्षेत्रीय योजना प्रारंभ करने संबंधी उपबंधों को सम्मिलित करना।
- भौतिक एव सामाजिक–आर्थिक जुड़ाव, संसाधनों, विकास क्षमता एवं समस्या की पहचान इत्यादि पर आधारित क्षेत्र का चित्रण।
- विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में लाने के लिए डाटाबेस विकास क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के लिए ध्यान में रखने वाले महत्व के भिन्न समूह होंगे।
- सभी कार्य करने वालों का एक नेटवर्क हो क्योंकि वे मुख्य स्टेकहोल्डर हैं।
- प्राथमिकता एवं कार्रवाई की क्रमबद्ध योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए नीति उपायों को आकार देने का कार्य मुख्यतया राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों का है।
- नीति स्तर पर राज्य / अन्तर राज्य क्षेत्रीय नियोजन ढांचा बनाकर और नगर निगम नियम, भवन उप नियम, विधिक एवं प्रक्रियात्मक ढांचों का सरलीकरण, सम्पत्ति हक सत्यापन प्रणाली एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण शहरी सुधारों को अपनाकर राज्य सरकारों को बहुल स्तर पर ये कदम उठाने हैं।

विकास के लिए सार्वजनिक–प्राइवेट सहभागिता को प्रोत्साहित करें। यह क्षेत्रीय योजना में घोषित समग्र दृष्टिकोण के साथ कालक्रम में हो। प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता बढाएं।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

जीवन सूत्र

कठिनाइयां आपके जीवन में बाधा डालने नहीं आती, आपकी परीक्षा लेने आती हैं। बाधाओं को लांघकर आगे बढ़ने वाले ही सच में महान हैं।

***

ईंट पत्थर से मकान बनते हैं और भावनाओं से घर बनते हैं।

आदमखोर

धनसिंह वर्मा

पहले,

सुनसान रास्तों से

गुजरती नवयौवना,

रहती थी भयभीत,

यह सोचकर,

कि कहीं

रास्ते में मिल न जाए

कोई आदमखोर पशु ।

अब,

वहीं से गुजरती है,

तो रहती है भयभीत

यह सोचकर,

कि कहीं

रास्ते में मिल न जाए

कोई आदमखोर आदमी ।

गिद्ध

गिद्ध समाप्त हो रहे हैं,

एक समाचार,

खूबसूरती पर नजर गड़ाएं

देखता हूं हर तरफ

गिद्धों की भरमार ।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

जिला योजना समिति के परिचालन संबंधी मुद्दे

के.के. जोद्दार

<u>प्रस्तावना:</u>

जिले के संतुलित, एकीकृत एवं सार्थक विकास के लिए विकेन्द्रीकृत योजना के रूप में जिला योजना की संकल्पना कोई नई बात नहीं है। नियोजित विकास के आरंभ से ही यह एक स्वीकृत संकल्पना रही है। इसकी संकल्पना एवं कार्यान्वयन में व्यापक अंतर और विभिन्न राज्यों में प्रशासन के अलग–अलग विकेन्द्रीकरण के स्तर होने के कारण इसे सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चलाया जा सका। योजना आयोग ने वर्ष 1969 में इस आधार पर जिला योजना के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांतों को जारी किया लेकिन उस दौरान जिला स्तरीय विकास प्रशासन एवं संस्थागत तंत्र इस कार्य को आरंभ करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे।

1982 में योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य डा. सी.एच. हनुमंतराव की अध्यक्षता में राज्य योजना के संदर्भ में जिला योजना के सुनिश्चित कार्यक्षेत्र एवं विषयों को निर्धारित कर समेकित विकास एवं विकेन्द्रीकृत योजना की कार्यप्रणाली व्यवस्थित करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया। 1984 में क्षेत्रीय एवं स्थानिक (sectral and spatial) योजना के कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली तथा जिला योजना के संस्थागत प्रबंधों पर कार्यसमूह ने अपनी सिफारिशों के साथ जिला योजना पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें निम्न विषयों पर प्रकाश डाला गया :

<u>जिला योजना के एकीकरण की संकल्पना:</u>

जिला स्तर पर योजना एवं विकास कार्यों में संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं की बहुलता के कारण एकीकरण में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। इन एजेंसियों में से कुछ के कार्य अतिव्यापी होने के कारण काफी भ्रम पैदा होता है। अतः योजना एवं कार्यान्वयन स्तर पर कार्यात्मक एवं स्थानिक एकीकरण करने की अति आवश्यकता है। एकीकरण की संकल्पना में सामान्यतः दो प्रकार की अभिव्यक्ति, **"योजना में एकीकरण"** एवं **"कार्यान्वयन में समन्वय"**, प्रयोग में लाई जाती हैं। अभी तक एकीकृत विकास पाने के लिए कार्यान्वयन में समन्वय पर बहुत बल दिया जाता रहा है क्योंकि जिला योजना निकायों के पास सीमित योजना कार्य थे। अतः **योजना में एकीकरण** के दृष्टिकोण को वास्तविक रूप नहीं दिया जा सका। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण है और जिला योजना प्रक्रियाओं में इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए थी।

जिला योजना पर गठित कार्य समूह ने 1984 में सिफारिश की कि योजना निर्माण के चरण में ही एकीकरण को सविस्तार प्रस्तुत किया जाना चहिए। समूह ने आगे सिफारिश की कि योजना चरण में एकीकरण आदर्श तरीके से हो इसके लिए सभी पहलुओं से संबंधित पूर्ण योजना कार्य किसी एक ही एजेंसी

द्वारा किए जाने चाहिए जो सभी कार्यों के लिए विस्तृत योजना तैयार करे जिसमें उस क्षेत्र के अन्य विभाग निहित स्वार्थों के लिए बदलाव न कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मौजूदा एजेंसियां अपने योजना कार्य एक ही एजेंसी को सौंप दें और योजनानुसार ही कार्यान्वयन के कार्यों को करें। 74वें संविधान संशोधन द्वारा उपलब्ध करायी गई जिला योजना संकल्पना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।

ग्रामीण शहरी एकीकरणः

ग्रामीण शहरी एकीकरण का दृष्टिकोण सर्वप्रथम केन्द्र द्वारा प्रायोजित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme) एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना के साथ अस्तित्व में आया। छोटे एवं मध्यम नगरों के साथ ग्रामीण क्रियाकलापों को एकीकृत करने की आवश्यकता, उपयुक्त स्थानों को ढूंढने और कृषि एवं अन्य संबद्ध क्रियाकलापों से संबंधित उच्चस्तरीय सेवाओं एवं जन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए इन शहरों को केंद्रीय महत्ता के कार्य सौंपना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था।

ग्रामीण–शहरी एकीकरण के दृष्टिकोण को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 1975 में गठित 'लघु तथा मध्यम नगरों एवं शहरों की योजना और विकास' पर कार्यदल (टास्क फोर्स) के निष्कर्षों एवं सिफारिशों ने और मजबूती प्रदान की। इसमें कहा गया कि (शहरी) योजनाओं का प्रायः जिले के ग्रामीण क्षेत्र से संबंध नहीं होता ....कोई भी योजना तब तक यथार्थवादी नहीं हो सकती जब तक यह इन दोनों के कार्यों के तालमेल पर विचार नहीं करती .... इसके लिए आवास पैटर्न का एकीकरण करती समग्र जिला योजना आवश्यक होती है ताकि मानव क्रियाकलाप, संतुलित विकास एवं अनुकूल पर्यावरण को प्रोत्साहित किया जा सके।

इसने यह भी सिफारिश की है कि "जिला एवं स्थानीय भौतिक योजनाओं को क्षेत्रीय योजनाओं की रूपरेखा के अनुसार ही तैयार किया जाना चाहिए तथा आवास बस्तियों की योजना के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का एकीकरण करती विस्तृत योजना एवं कार्यक्रम तैयार करने का कार्य जिला अथवा क्षेत्र (एरिया) स्तर पर एक उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण (statutory authority) के सुपुर्द किया जाना चाहिए।

स्थानिक योजना के माध्यम से ग्रामीण शहरी एकीकरणः

स्थानिक योजना क्षेत्रीय/जिला स्तर पर सेवाओं एवं सुविधाओं के विभिन्न स्तरों के कार्यात्मक एकीकरण के माध्यम से ग्रामीण–शहरी एकीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन रही है। क्षेत्रीय योजनाएं स्थानिक रणनीति उपलब्ध करवाती हैं जिनका उद्देश्य न केवल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए स्थानिक योजना उपलब्ध कराना है अपितु उस स्थान पर विकास में विषमता को कम करने के लिए ग्रामीण–शहरी एकीकरण को भी विकसित करना है। स्थानिक रणनीति दो विस्तृत दिशाएं उपलब्ध कराती हैं, **पहली** – क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण बस्तियों के आवास के वर्गीकरण से संबंधित हैं और **दूसरी** – योजना अवधि के दौरान बस्तियों के प्रस्तावित कार्य से संबंधित है। जिले की प्रस्तावित बस्ती प्रणाली (settlement pattern) को शहरी एवं ग्रामीण

बस्तियों के लिए तैयार किया जाता है। किए गए अध्ययन एवं योजनाओं पर आधारित विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को तैयार किया जाता है। बस्ती प्रणाली की विषमताओं को दूर करते हुए और शहरी एवं ग्रामीण बस्तियों की योजनाओं के एकीकरण द्वारा बस्ती स्तर पर विकास योजनाओं को भी एकीकृत किया जाता है।

74वां संविधान संशोधन एवं जिला योजनाः

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में योजना एवं विकास की विकेन्द्रीकृत एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक नया परिदृश्य उपलब्ध करवाया है जहां जिले को प्रशासन के लिए व्यावहारिक इकाई और बहुस्तरीय योजना प्रणाली में मुख्य इकाई के रूप में मान्यता मिली। संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 में व्यापक शक्तियां एवं कार्य सम्पन्न जिला योजना समिति (डीपीसी) की व्यवस्था है जो कि पंचायतों एवं स्थानीय निकायों द्वारा तैयार स्थानीय योजनाओं को एकीकृत करके जिले की योजना और विकास के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे जिले के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करे। अधिनियम में विभिन्न स्तरों पर स्थानिक एवं पर्यावरण संबंधी योजना की परिकल्पना की गई है और स्थानीय निकाय एवं पंचायत द्वारा तैयार की गई योजना को जिला योजना और उनके माध्यम से राज्य एवं राष्ट्रीय योजना के साथ एकीकरण की व्यवस्था है। राज्य योजना समिति का कार्य, जैसा कि 74वें संशोधन के तहत सौंपा गया है, केवल वार्षिक/पंचवर्षीय योजनाओं की राजकोषीय एवं निवेश योजनाओं को एकत्रित करना ही नहीं है।

अनुच्छेद 243–जैड डी(3–ए) स्थानिक योजना, जल एवं अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा, बुनियादी विकास तथा पर्यावरण संरक्षण को भी जिला समिति के कार्यक्षेत्र में शामिल करता है। अधिनियम लोगों को स्वयं अपने लिए योजना बनाने और संवैधानिक बाध्यता के रूप में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शक्ति का हस्तांतरण सुनिश्चित करते हुए योजना एवं विकास को नया आयाम भी प्रदान करता है। राज्य विधान मंडलों को जिला योजना समिति की संरचना, संघटन एवं कार्यों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है।

अधिनियम में जिला योजना समिति के संगटन से संबंधित व्यव्स्था है कि 4/5 सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत एवं नगरपालिका के चुने हुए सदस्यों में से किया जाएगा, जो जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के बीच के समानुपात में होगा और 1/5 सदस्यों को सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

इसी क्रम में कुछ राज्यों नें जिला योजना समिति के गठन के लिए अलग कानून बनाए हैं लेकिन अभी तक बहुत कम राज्यों में ही इन समितियों का गठन किया गया है। कुछ राज्य अभी तक इस बारे में भी स्पष्ट नहीं हैं कि इसे पंचायत अधिनियम में सम्मिलित किया जाए अथवा शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम में सम्मिलित किया जाए । इन सबके कारण इन निकायों की स्थापना की प्रक्रिया में देरी हुई है। इसके अलावा, जहां कहीं भी जिला योजना समितियों का गठन किया गया है वहां ग्रामीण शहरी विस्तार (continuum) में विकास के विभिन्न घटकों को स्वीकृत कर जिले की स्थानिक विकास योजना तैयार करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है।

इसके अलावा अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण जिला योजना समितियों के गठन की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है और जिनका राज्य स्तर पर समाधान करने की आवश्यकता है। ये इस प्रकार हैं:

1. जिला विकास समितियों के निर्वाचन की विधि क्या होनी चाहिए ?
2. कुल संख्या कितनी होनी चाहिए तथा अन्य 1/5 सदस्यों को चुनने का मापदंड क्या होगा ?
3. सांसदों एवं विधायकों की क्या भूमिका होगी ?
4. अध्यक्ष कौन होगा ?
5. इसकी शक्तियां और कार्य क्या होंगे ? इत्यादि ।

<u>भारत सरकार की पहल</u>:

इन मुद्दों का समाधान करने और जिला योजना समिति के गठन एवं क्षमता निर्माण में एकरूपता लाने के लिए शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय ने अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) गठित की एवं मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की जिसका कार्य इसे और अधिक गतिशील तथा प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा योजना प्रणाली की पुनः जांच करना और स्थानीय निकायों के स्थानिक योजना कार्यों के हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करना था।

तकनीकी समिति ने यू.डी.पी.एफ.आई. (Urban Development Plan Formulation and Implementation) गाईडलाईन्स के रूप में 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन द्वारा पहले तैयार किए गए मॉडल शहरी तथा क्षेत्रीय नियोजन एवं विकास कानून (Model Urban and Regional Planning and Development Law) को संशोधित किया। इसमें अधिनियम के नए उपबंध सम्मिलित किए गए जिसमें जिला योजना समिति से संबंधित एक अध्याय है। मॉडल कानून की प्रति राज्य सरकारों को लागू करने के लिए भेजी गई। मंत्रालय ने मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं मॉडल नियमों के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की प्रतिक्रिया जानने के लिए 11 एवं 12 फरवरी, 2002 को इस विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन ने अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में यह स्पष्ट करते हुए प्रोटोटाइप जिला योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया कि विभिन्न भौगोलिक एवं आर्थिक विशेषताओं जैसे रेगिस्तान, समुद्र तटीय इलाके, पहाड़ी भूभाग और पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों इत्यादि वाले विभिन्न जिलों के लिए जिला योजना समिति का गठन एवं भावी योजना (Perspective Plan) कैसे तैयार की जाए। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन ने पहले ही राजस्थान के जोधपुर जिले, जो निर्जल क्षेत्र में आता है, के लिए एक मूलरूप में भावी (स्थानिक) योजना पूरी कर ली है जिसे स्थानीय विवरण और विकास की बाधाओं को सम्मिलित करने के पश्चात राजस्थान के अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जा सकता है। इसी उद्यम के क्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन ने महाराष्ट्र के एक पिछड़े जिले चन्द्रपुर की जिला योजना भी तैयार की। इसी प्रकार, देश के अन्य पहाड़ी एवं समुद्रतटीय

जिलों के लिए दो अन्य परिप्रेक्ष्य जिला योजनाएं (Perspective District Plans) भी ली गई हैं। ऐसी आशा है कि प्रोटोटाइप योजनाएं उपयोगी होंगी और देश के अन्य जिलों में भी दोहराई जा सकेंगी।

जिला योजना प्रणाली एवं प्रक्रिया:

जिला योजना समिति के उपर्युक्त कार्यों को देखते हुए योजना प्रणाली में लम्बी अवधि की परिप्रेक्ष्य योजना (Long Term Perspective Plan) मध्यम अवधि की विस्तृत योजना (Mid-Term Comprehensive Plan) तथा वार्षिक योजनाओं (Annual Plans) का प्रावधान होना चाहिए।

लम्बी अवधि की परिप्रेक्ष्य योजना (Long Term Perspective Plan):

परिप्रेक्ष्य योजना एक लम्बी अवधि का लिखित दस्तावेज है जो बस्तियों (settlements) के विकास के संबंध में लक्ष्य, नीति/रणनीति उपलब्ध कराता है। यह योजना विकास योजनाओं की तैयारी में स्थानीय निकायों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। योजना सामान्यतया 20 वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए एवं 20–25 वर्ष की अवधि को इस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिए कि यह राष्ट्रीय योजना/राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं के अनुरूप हो ताकि स्थानिक एवं आर्थिक नीति योजनाओं का बेहतर एकीकरण किया जा सके। परिप्रेक्ष्य योजना का मुख्य उद्देश्य और अधिक विस्तार के लिए नीति की रूपरेखा उपलब्ध कराना है। इस योजना के विषय क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक एवं स्थानिक विकास के लक्ष्य, बस्तियों के विकास से संबंधित नितियां, प्राथमिकताएं और विकास अवसंरचना एवं साधन संगठन (development infrastructure and resource mobilisation) से संबंधित लम्बी अवधि की नीतियां आती हैं।

मध्यम अवधि की विस्तृत योजना (Mid-Term Comprehensive Plan):

मध्यम अवधि की विस्तृत (पंचवर्षीय) योजना, अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजना की रूपरेखा पर आधारित एक विकास योजना है जिसके अन्तर्गत जिले की आबादियों के स्थानिक–आर्थिक विकास से संबंधित सामाजिक–आर्थिक और भौतिक विकास के विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाते हैं। विकास योजना का उद्देश्य लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के आधार पर परिप्रेक्ष्य योजना में दी गई विभिन्न नीतियों की रणनीतियों एवं भौतिक प्रस्तावों के रूप में और ज्यादा आवश्यक ब्यौरे एवं अभीष्ट कार्रवाई उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत तत्कालीन विषयों का मूल्यांकन, संभावनाएं, प्राथमिकताएं एवं बस्तियों के विकास के प्रस्ताव आते हैं।

वार्षिक योजनाएं (Annual Plans):

वार्षिक योजना अनुमोदित विकास योजना के ढांचे के अन्तर्गत तैयार की गई एक योजना है जिसमें योजना निधि एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से वित्तीय आवश्यकताओं सहित शहरी निकायों एवं पंचायतों द्वारा उस समय चल रही परियोजनाओं एवं संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली नई योजनाओं का ब्यौरा होता है।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

कर्म का महत्व

ललित मेहता

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन"

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन को संदेश के माध्यम से समझाया है कि केवल कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है अर्थात आप कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, परन्तु फल पर आपका अधिकार नहीं है। अर्जुन के यह संदेह करने पर, कि अभी कुछ देर पहले ही आपने ज्ञान को श्रेष्ठ बताया था और अब आप मुझे ऐसा कर्म करने के लिए कह रहे हैं जिसमें मुझे अपने हाथों से अपने सगे संबंधियों को ही मारना पड़ेगा, भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन बनाना बहुत ही जरूरी है। ज्ञान यदि ऑख है तो कर्म पॉव है। इसलिए ऑख से देखते हुए पॉव से आगे बढ़ते जाओ। यदि बिना देखे ही आगे बढ़ते रहोगे तो यह कुएं में गिरने के समान है। इस शरीर में ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां दोनों का समावेश है। अतः ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान प्राप्त करना और कर्मेन्द्रियों से कर्म करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।

नौका तभी आगे बढ़ती है जब इसके दोनों चप्पुओं को एक साथ चलाया जाए और यदि इसे एक ही चप्पू से चलाया जाएगा तो नौका एक ही जगह घूमती रहेगी। उसी प्रकार, जो केवल कर्म में उलझा है अथवा जो व्यक्ति केवल ज्ञान में उलझा है वह वहीं घूमता रहेगा क्योंकि उसने दोनों चप्पुओं, अर्थात ज्ञान व कर्म का सही तालमेल नहीं बैठाया है। जैसे पक्षी के लिए दोनों पंखों का समान महत्त्व है, उसी प्रकार मानव जीवन में ज्ञान व कर्म का एक समान महत्त्व है। इसमें कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वेद में कहा गया है कि इस संसार में कर्मों को करते हुए सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करो।

इसी प्रकार वेद में यह कथन भी आया है कि मैं सौ हाथों से कर्म करने वाला बनूॅ और हजारों हाथों से दान देने वाला बनूॅ। उक्त कथनों से पूर्णतया सिद्ध है कि वेदों में भी कर्म को काफी महत्व दिया गया है। इसी प्रकार ज्ञान सूक्ति में भी कहा गया हैं:–

''कार्य केवल परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, सोचने मात्र से नहीं। जैसे सोते हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता।'' गीता, वेद और ज्ञानसूक्ति में सभी जगह कर्म को महत्त्व दिया गया है लेकिन बाद में एक ऐसी विचारधारा न जाने कहॉ से आ गई कि इंसान स्वयं कुछ न करके सब कुछ भाग्य

पर छोड़ देता है। इससे इंसान आलसी बन जाता है और अपने कर्म करने के अधिकार का भी ठीक ढंग से उपयोग नहीं करता। यदि ऐसा होता तो भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए न कहते।

उदाहरण के लिए यदि किसी मरीज का कोई अंग सड़ गया है और उसके जीवन के बचाव के लिए इस अंग को काटना जरूरी है, लेकिन यदि मरीज कहता रहे कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था तो यह हमारे धर्मशास्त्रों को ठीक से न समझने का ही परिणाम है। मरीज का कर्म है कि डॉक्टर के पास जाए और इस अंग का इलाज कराएं। हॉ, फल कैसा भी मिले उसे स्वीकार करें। यदि सीमा पर तैनात सैनिक दुश्मन सैनिकों को अपनी सीमा में आगे बढ़ता देखकर भी उन्हें ललकारे नहीं और सोचे कि मेरे देश के भाग्य में गुलाम होना ही लिखा है तो यह धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। सैनिक को अपना कर्त्तव्य ठीक से निभाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सैनिक अपना कर्त्तव्य ठीक से निभाते हैं तभी सभी देशवासी आराम से चैन की नींद सोते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी हमारा कर्म स्थल हो, वहॉ हम अपना कर्त्तव्य पूर्ण निष्ठा व समर्पण भावना से निभाएँ।

सरकारी कर्मचारियों में देखने में आता है कि जो कर्मचारी अधिक मेहनती होता है, उसे ही अधिक से अधिक कार्य सौंप देते हैं और निकम्मे कर्मचारी को यह कहकर काम नहीं दिया जाता कि उसे काम देने से क्या फायदा ? गैरसरकारी या निजी कार्यालयों में जो अधिकारी अथवा कर्मचारी मेहनती व अनुशासित होते हैं, उन्हें पदोन्नति के रूप में शीघ्र ही इसका फल मिल जाता है।

इसके विपरीत सरकारी कर्मचारियों में कई बार देखने में आता है कि निकम्मे व अनुशासनहीन कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उत्कृष्ट टिप्पणी मिलती है, वहीं मेहनती व अनुशासित कर्मचारी को केवल बहुत अच्छा। इससे मेहनती व अनुशासित कर्मचारी हतोत्साहित होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अधीनस्थ मेहनती व अनुशासित अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें।

अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से करें। सब कुछ भाग्य के भरोसे न छोड़ें। हॉ, फल अवश्य भगवान पर छोड़ दें। अपने कार्य को बोझ न समझें, इसे मुस्कुराते हुए करें। अतः कर्म से भागो नहीं, अपितु जागो और जीवन की अंतिम सांस तक अनवरत कर्मरत रहो। क्योंकि गीता में कहा गया है :–

"अपने कर्म को सर्वोत्तम ढंग से करना ही योग है ।"

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

कार्यालय और अनुशासन

आभा अग्रवाल

अनुशासन आचरण या अभ्यास की विधि के नियमों की एक प्रणाली है जिसके सहारे जिंदगी के हर पल को आसानी से जिया जा सकता है। अनुशासन सबसे मुश्किल काम है जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी में सहजता से नहीं अपना पाता है क्योंकि इसके लिए आपको अपने आलस्य को त्यागना होता है और हर कार्य को नियम से समय की पाबंदी के साथ करना पड़ता है। कार्यालय में अनुशासन का होना अनिवार्य है अन्यथा हर अधिकारी/कर्मचारी अपनी मनमानी करने लगेगा जिससे कार्यालय का वातावरण बिगड़ जाएगा। अनुशासन के होने से सभी अधिकारी/कर्मचारी समय पर ऑफिस आएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएंगे। अनुशासन को बनाए रखने के लिए कार्यालय के नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए जिससे कार्यालय की प्रतिष्ठा बनी रहेगी और अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने ऑफिस पर गर्व महसूस होगा।

आजकल सभी दफ्तरों में समय की पाबंदी बनाये रखने के लिए बायोमेट्रिक मशीन या पंचिग कार्ड का प्रचलन शुरू कर दिया गया है क्योंकि कुछ अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में समय पर आना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। कई बार समझाने और चेतावनी देने पर भी लोग अपने आचरण एवं व्यवहार में कोई सुधार नहीं लाते हैं। इसमें सुधार लाने के लिए हमारे कार्यालय में दो बायोमेट्रिक मशीनें लगायी गई हैं क्योंकि कुछ अधिकारी/कर्मचारी समय पर कार्यालय न आने की अपनी हद पार कर चुके हैं और उन्हें अपने गलत कार्य (निरंतर ऑफिस देर से आने पर) पर कोई पछतावा भी नहीं होता है।

इन मशीनों के लग जाने से सभी अधिकारी/कर्मचारी मजबूरन कार्यालय में समय पर आते हैं। मशीन में हर अधिकारी/कर्मचारी के आने जाने का सही समय आता है और इसमें हेरफेर भी संभव नहीं है। अधिकारी/कर्मचारी अपनी छुट्टियों का हरजाना भी नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें मजबूरन समय पर आना पड़ता है।

बायोमेट्रिक मशीन का हमारे कार्यालय में लगना एक बहुत अच्छी कार्रवाई है जो लोगों को समय की पाबंदी की आदत डालता है। लेकिन इसके कारण बस या रेल से आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार कर्मचारी अपने घर से सही समय पर कार्यालय जाने के लिए प्रस्थान करता है लेकिन बस और रेल के लेट आने या रास्ते में रूक जाने के कारण कार्यालय लेट पहुंचता है। कर्मचारी कभी–कभार कार्यालय समय पर पहुॅचने के लिए बस स्टैण्ड या स्टेशन से भाग कर भी

आता है क्योंकि उसके मन में लेट होने का तनाव निरंतर बना रहता है और इस जल्दबाजी में उसे चोट भी लग जाती है।

जो लोग रेल या बस से आते हैं उनकी गाड़ियों का समय निर्धारित होता है और वह सुनिश्चित समय पर आती हैं। लेकिन कई बार रेल या बस लेट हो जाती हैं तब अधिकारी/कर्मचारी की शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत नाजुक होती है और कार्यालय समय पर पहुॅचने पर वह पूरी तरह हताश हो जाता है। यह परिस्थिति बढ़ती उम्र के हिसाब से पुरूष और महिला दोनों के लिए कष्टदायी होती है। अगर कार्यालय में काम न हो तो सांस को सामान्य बनाने के लिए समय मिल जाता है अन्यथा अधिकारी/कर्मचारी दिनभर थका हारा महसूस करता है और उतने जोश और तरोताजा ढंग से काम पर ध्यान नहीं दे पाता है। यह स्थिति उन लोगों के लिए इतनी कष्टदायी और तनावपूर्ण नहीं होती है जो अपनी कार से कार्यालय आते हैं।

भारत एक पुरूषप्रधान देश है जहां पर अभी भी घर की पूरी जिम्मेदारी स्त्रियों पर टिकी है और पुरूष घर के कार्यों में महिलाओं का हाथ नहीं बटातें हैं। एक स्त्री की ऑफिस और गृहस्थी की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है जिसके कारण उसे सामंजस्य बैठाना मुश्किल होता है। एक तरफ तो समाज में पुरूष और नारी की समानता की बात करते हैं परन्तु उसे बराबर का दर्जा प्रदान नहीं करते हैं। वे महिलाओं की जिम्मेदारियों में उनका बराबर का साथ नहीं देना चाहते हैं क्योंकि समाज ने पुरूष वर्ग को यह सिखाया है कि घर में काम करने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी और यह काम उसके लिए निम्न है। पुरूष यह भूल जाते हैं कि स्त्री भी एक आम इंसान है जो ऑफिस और गृहस्थी की दोहरी जिम्मेदारी में खप जाती है और इसी कारण वह तनावग्रस्त रहती है। कार्यालय समय पर आने पर स्त्री को परेशानी महसूस होती है क्योंकि पुरूषप्रधान समाज होने के कारण एक पुरूष अपना नाश्ता करके ऑफिस समय पर पहुंच जाता है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि उसकी पत्नी को भी अपने कार्यालय समय पर पहुॅचना है और अगर वह खुशी से उसकी मदद कर दे तो गृहस्थी की गाड़ी आसानी से चल सकती है। पुरूष ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी का कार्यालय का काम उनके काम से बहुत छोटा है और उनकी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर इंसान (पुरूष/औरत) हर बात के दो पहलूओं को समझने की कोशिश करके, एक दूसरे के साथ सहयोग का भाव अपनाएं तो जिंदगी में मिठास आएगी और दोनों में प्रेम बढ़ेगा। यह नजारा घर और कार्यालय दोनों के प्रति होना चाहिए क्योंकि कार्यालय में आदमी 8–10 घण्टे व्यतीत करता है और उनमें आत्म–अनुशासन होना चाहिए क्योंकि इसी कार्यालय से उनको रोजी रोटी मिलती है जिसके कारण उनका घर का खर्च सुचारू ढंग से चलता है। हमारी कार्यालय के प्रति भी जिम्मेदारी है क्योंकि हर इंसान को सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलती है। प्राइवेट में लोग नौकरी में शोषण और कम तनख्वाह के कारण हमेशा परेशान रहते हैं और उनकी नौकरी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए

हर सरकारी कार्मिक को ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वह बहुत आसानी से बिना डर और तनाव के नौकरी कर रहा है।

हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऑफिस में अनुशासन रखने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि कई कर्मचारी अनुशासन में ढ़लना ही नहीं चाहते हैं और नियमों का पालन नहीं करते हैं। **रक्षा मंत्रालय में समय की सख्ती के कारण जल्दी कार्यालय पहुॅंचने के तनाव में एक कर्मचारी की रेल दुर्घटना में दोनों टांगे कट गई थी, तब वहां के अधिकारियों ने कार्यालय आने–जाने के समय में थोड़ी ढील दी थी।** अनुशासन कार्यालय की गरिमा बनाता है। लेकिन इंसानियत के नाते कार्यालय के समय में कुछ ढील भी देनी जरूरी है। सभी लोग अपनी कार से नहीं आते–जाते हैं। बस या रेल में आने–जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है जो सुबह–शाम दो–तीन घंटे बस या रेल में सफर करके कार्यालय आते हैं और घर देर से पहुंचते हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ऑफिस आने–जाने के लिए लोगों को कुछ ढील दी जाए ताकि उनकी परेशानी का कुछ हल निकले। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ अधिकारी अथवा कर्मचारी हमेशा लेट आते हैं तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि जिंदगी में हर चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है। हर कार्रवाई का इस्तेमाल संतुलन में होना चाहिए जिससे अधिकारी और कर्मचारी मिलजुल कर सुचारू ढ़ंग से कार्यालय के कार्यकलाप को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें और कार्यालय की प्रतिष्ठा बनी रहे।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

जीवन सूत्र

जीवन बहुत छोटा है इसे बेकार की बातों में व्यर्थ न गवाएं। इसका सही उपयोग करें।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

स्वस्थ रहना है तो प्रतिदिन सुबह व्यायाम करें अथवा पार्क में टहलने जाएं। संतुलित भोजन करें व तनाव से बचें। रोजाना कई बार खुलकर हँसें।

शहरी जनगणना 2011 : एक परिदृश्य

आर. श्रीनिवास

15वीं जनगणना का यह कार्यक्रम दो चरण में पूरा किया गया। पहला चरण अप्रैल से सितंबर, 2010 और दूसरा चरण 9 से 29 फरवरी, 2011 के बीच संपन्न हुआ। भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त ने जनगणना के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस पूरी कवायद की लागत 2200 करोड़ रूपये आई है। घर–घर जाकर देश के हर नागरिक को जनगणना में शामिल करने की कवायत पर 2200 करोड़ रूपये खर्च हुए। इस जनगणना कार्यक्रम में करीब 27 लाख कर्मचारी लगाए गए थे।

कुछ महादेश और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एसोसिएशन के एक सर्वे के अनुसार, एक जुलाई, 2010 को विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब हो गई है। लोगों में असमानता तथा गरीबी की मुख्य वजह अधिक जनसंख्या भी है, इसलिए आबादी में कमी लाने के संबंध में जागरूक बनाने के लिए वर्ष 1968 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक जुलाई को 'वर्ल्ड पॉपुलेशन डे' मनाना शुरू किया।

एशिया महादेशः पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है एशिया संपूर्ण विश्व की 80 प्रतिशत आबादी यहीं बसती है। जनसंख्या लगभग 4 अरब से ज्यादा है।

एशिया के देश और उनकी जनसंख्याः चीनः लगभग एक अरब, 33 करोड़, भारतः करीब 1 अरब 21 करोड़, पाकिस्तानः लगभग 18 करोड़, बांग्लादेशः करीब 15 करोड़। चीन व भारत पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर हैं।

यूरोप महादेशः यूरोप महादेश की जनसंख्या लगभग 73 करोड़ है। यूरोप के देश और उनकी जनसंख्या रूसः 14 करोड़, जर्मनीः लगभग 8 करोड़, फ्रांसः करीब 6 करोड़ 42 लाख, यूनाइटेड किंगडमः लगभग 6 करोड़ 27 लाख, इटलीः 5 करोड़।

दक्षिणी अमेरिकाः दक्षिणी अमेरिका की आबादी 38 करोड़ है, विवरण निम्नवत है। ब्राजीलः करीब 18 करोड़, कोलंबियाः लगभग 4 करोड़, अर्जेन्टीनाः लगभग 2 करोड़ 75 लाख, वेनेजुएलाः लगभग 2 करोड़ 50 लाख।

उत्तरी अमेरिकाः उत्तरी अमेरिका की जनंसख्या लगभग 52 करोड़ है। यूनाइटेड स्टेट्सः लगभग 27 करोड़, मैक्सिकोः करीब 10 करोड़, कनाड़ाः लगभग 3 करोड़, क्यूबाः करीब 1 करोड़, बारबाडोसः 3 लाख 80 हजार।

अफ्रीका महादेशः इस महादेश की जनंसख्या लगभग 92 करोड़ है जिसमें नाइजीरियाः लगभग 12 करोड़, अल्जीरियाः करीब 3 करोड़ 25 लाख, अंगोलाः लगभग 1 करोड़ 22 लाख, बोत्सवानाः करीब 17 लाख।

ऑस्ट्रेलिया महादेश: इस महादेश की जनंसख्या लगभग दो करोड़ है। यह महादेश ही ऑस्ट्रेलिया देश कहलाता है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य न्यू साउथ वेल्स है, जिसकी आबादी लगभग 70 लाख है।

भारत में शहरी आबादी का श्रेणीवार विभाजन 1981–2011 की जनगणना तालिका एक में दिया गया है:

तालिका : 1 शहरी आबादी का श्रेणीवार विभाजन (डिकेडल वेरीएशन)

नगरों की आबादी श्रेणी		1981			1991			2001			2011		
		संख्या	जनसंख्या	प्रतिशत	संख्या	जनसंख्या	प्रतिशत	संख्या	जनसंख्या	प्रतिशत	संख्या	जनसंख्या	प्रतिशत
I	100000 >	224	8,22,26,519	52.57	322	12,22,91,245	56.67	423	17,20,44,019	52.57	उ.न.	उ.न.	उ.न.
II	50000 >	325	2,20,36,770	14.08	421	2,87,64,160	13.33	498	3,44,31,050	12.3	उ.न.	उ.न.	उ.न.
III	20000 >	878	2,67,19,099	17.09	1161	3,52,73,020	16.35	1386	4,19,74,176	15	उ.न.	उ.न.	उ.न.
IV	10000 >	1240	1,75,87,508	11.24	973	73,96,916	3.43	1057	79,83,120	2.85	उ.न.	उ.न.	उ.न.
V	5000 >	900	67,88,251	4.34	287	73,96,916	3.43	1057	79,83,120	2.85	उ.न.	उ.न.	उ.न.
VI	< 5000	324	10,61,621	0.68	287	9,66,792	0.45	237	8,01,095	0.29	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	कुल	**3891**	**15,64,19,768**	**100**	**4615**	**21,57,71,612**	**100**	**5161**	**27,98,37,251**	**100**	**79371,21,00,00,000**		

स्रोत: (1)भारत की जनगणना, 1991, 2001, अंतरिम जनगणना, आरजीआई एवं सीसी, भारत सरकार, नई दिल्ली
(2)भारत की जनगणना, 2011 दैनिक जागरण से साभार ।
संक्षिप्त : उ.न. : उपलब्ध नहीं।

2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में 17.64 प्रतिशत वृद्धिदर हुई है जबकि 2001 में 21.65 प्रतिशत हुई थी अर्थात् 3.90 प्रतिशत बढ़ोतरी कम हुई जो आजादी के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। यहां उल्लेखनीय है कि भारत में आजादी के बाद पहली बार पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या की संख्या में कम वृद्धि हुई है।

कुछ राज्यों की स्थिति : एक विश्लेषण

देश की बढ़ती आबादी की रफ्तार घटाने में बीते दस वर्षों में उत्तर प्रदेश की भूमिका भले ही अहम रही हो, फिर भी वह अकेले ही जनसंख्या के मामले में ब्राजील जैसे देश से भी आगे निकल गया है। राज्य के लिए एक और खतरनाक संकेत यह है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या में बेहद तेजी से गिरावट आ रही है।

वैसे तो देश की आबादी बढ़ाने में अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लिए जनगणना 2011 की ताजी रिपोर्ट राहत लेकर आई है। जनगणना पर जारी अंतरिम रिपोर्ट बताती है कि आबादी की बढ़ती रफ्तार को कम करने में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की भी खासी भूमिका रही।

तालिका : 2 जनसंख्या

सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व				
संपूर्ण भारत (प्रतिवर्ग किमी.)		**दिल्ली**	**चण्डीगढ़**	**न्यूनतम**
2011	**2001**	**11,297 (2011)**	**9,252 (2011)**	**अरूणाचल प्रदेश 17**
382	325			अंडमान व निकोबार 46
संपूर्ण भारत में साक्षरता दर		**प्रतिशत बढ़ोत्तरी**		
74.04	64.83	वृद्धि दर 9.21		
भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य (2011)				
केरल	लक्षद्वीव			
93.91 प्रतिशत	92.28 प्रतिशत			
भारत में न्यूनतम शिक्षित राज्य (2011)				
बिहार	अरूणाचल प्रदेश			
63.82 प्रतिशत	66.45 प्रतिशत			
समस्त भारत में शिशु लिंग अनुपात (2011)		914 (2011)	927 (2001)	
सर्वाधिक	न्यूनतम			
केरल 1084	दमन व द्वीव 615			

उत्तर प्रदेश

आबादी बढ़ने की गति को कम करने का राष्ट्रीय औसत महज 3.9 प्रतिशत रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह औसत उससे भी अच्छा 5.7 प्रतिशत रहा है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या गिरावट की जो दर 25.85 प्रतिशत थी, 2011 की जनगणना में यह घटकर 20.09 प्रतिशत हो गई है। हालांकि इस बेहतर प्रदर्शन के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.62 करोड़ (2001 में) से बढ़कर 2011 में 19 करोड़ 95 लाख (लगभग 20 करोड़) तक पहुंच गई है। उनमें लगभग साढ़े दस करोड़ पुरूष व लगभग साढ़े नौ करोड़ महिलाएं हैं। सुधार के बावजूद जनसंख्या वृद्धि की इस रफ्तार के चलते अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राजील जैसे देश से भी आगे निकल गई है, जिसकी जनसंख्या अभी 19 करोड़ है। यह देश दुनिया में आबादी के लिहाज से पांचवें स्थान पर है।

पंजाब व हरियाणा

छह साल तक की उम्र के लड़के–लड़कियों के अनुपात के मामले में हिन्दुस्तान की स्थिति सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है। जनगणना–2011 में हर एक हजार बालकों के मुकाबले 914 बालिकाएं ही पाई गई हैं। इस लिहाज से सबसे संवेदनशील माने गए पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में हालांकि सकारात्मक बदलाव की शुरूआत हो गई है, लेकिन मौजूदा स्थिति से बनती तस्वीर बेहद भयावह है। जनगणना–2011 के अनंतिम

आंकड़ें लड़कियों की स्थिति को लेकर हमें अपनी मानसिकता बदलने की तत्काल जरूरत बताते हैं। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का अनुपात पिछले दशक के 927 से भी घटकर 914 हो गया है। कुछ राज्यों में हालांकि महिलाओं का अनुपात पिछली जनगणना के 933 से बढ़कर 940 हो गया है। छह साल तक की आबादी में लड़के–लड़कियों के अनुपात के मामले में हरियाणा और पंजाब 830 और 846 के अनुपात के साथ सबसे निचले पायदान पर हैं। हरियाणा में एक दशक पहले प्रति एक हजार लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 819 तक पहुंच गयी थी। पंजाब में तो यह 798 तक गिर गई थी। इस लिहाज से दोनों राज्यों ने हालांकि अपनी स्थिति में सुधार किया है, लेकिन अब भी उन्हें काफी सुधार की जरूरत है। आज भी देश के दो सबसे कम लड़कियों वाले जिले हरियाणा के ही झज्जर और महेंन्द्रगढ़ हैं। इस अनुपात में सबसे अच्छी स्थिति मिजोरम की है। मिजोरम में 1,000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों का अनुपात 971 पाया गया। मिजोरम के अलावा बच्चियों का 960 से अधिक अनुपात सिर्फ अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़ और अंडमान–निकोबार द्वीप समूह में ही पाया गया।

जम्मू एवं कश्मीर

देश में पुरूष व महिलाओं की आबादी का अनुपात तीन दशकों के बाद बढ़ा है, पर जम्मू–कश्मीर उन तीन राज्यों में है, जहां यह अनुपात पहले से भी कम हुआ है। जम्मू–कश्मीर में आबादी बढ़ने की गति भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है, हालांकि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में यह उसकी तुलना में आधी है। जनगणना के नए आंकड़ों के मुताबिक जम्मू–कश्मीर की आबादी एक करोड़ 25 लाख 48 हजार 926 व हिमाचल की 68 लाख, 56 हजार 509 हो गई है। पिछली जनगणना की तुलना में जनसंख्या की राष्ट्रीय वृद्धि दर 17.64 प्रतिशत है। लेकिन जम्मू–कश्मीर में यह 23.71 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी है जो सालाना दो प्रतिशत के करीब है।

पश्चिम बंगाल (कोलकाता)

कोलकाता में किलकारियां कम गूंजने लगी है यानी शहर की आबादी में छह साल तक के बच्चों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी में पिछले एक दशक में लड़के व लड़कियों के अनुपात का संतुलन और बिगड़ा है। यहां बच्चों की संख्या शहर की कुल आबादी की सिर्फ 6.69 फीसदी है, जो देश के किसी भी जिले के मुकाबले सबसे कम है। यह सच्चाई 2011 की जनगणना के ताजा आंकड़ों से उजागर हुई है। पश्चिम बंगाल में छह साल की उम्र तक की बच्चियों की संख्या में कमी के खतरनाक संकेत हैं। यहां 2001 में बच्चियों की संख्या जहां प्रति एक हजार बच्चों पर 960 थी, वह 2011 में घटकर 950 रह गई है।

बिहार, झारखण्ड तथा राजस्थान

पिछले कुछ वर्षों से विकास दर को लेकर देश में अव्वल रहने वाला बिहार साक्षरता के मामले में अभी भी सबसे पिछड़ा राज्य है। जनगणना के ताजे आंकड़ों के मुताबिक शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बिहार

की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय गृह सचिव जी के पिल्लै और भारत के महापंजीयक सी. चन्द्रमौलि ने जनगणना 2011 के जो आंकड़े जारी किए हैं वो बिहार के लिए उत्साहवर्द्धक नहीं हैं। राज्य की आबादी बढ़कर 10 करोड़ 38 लाख चार हजार 638 हो गई है वहीं झारखंड की आबादी भी तीन करोड़ 29 लाख 66 हजार 238 हो गई है। शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का न होना जनसंख्या वृद्धि का कारक माना जाता है। कुछ छोटे राज्यों की बात छोड़ दें तो बड़े राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में बिहार सबसे आगे है। 25.07 प्रतिशत की दर से बढ़ी जबकि उत्तर प्रदेश में वृद्धि दर 20.09 प्रतिशत और झारखंड में 22.34 प्रतिशत रही। उत्तर प्रदेश पिछले दशक में पांच फीसदी और महाराष्ट्र साढ़े सात फीसद जनसंख्या वृद्धि दर घटाने में कामयाब रहा है। लेकिन बिहार महज साढ़े तीन प्रतिशत की कमी कर सका। 1991–2001 की जनगणना में बिहार की जनसंख्या विकास दर 28.62 प्रतिशत थी। घनी आबादी के मामले में भी बिहार सबसे आगे है। यहां प्रति वर्ग किमी 1102 लोग रहते हैं जबकि झारखंड में 414 और उत्तर प्रदेश में 828 लोग रह रहे हैं। साक्षरता के मामले में भी बिहार देश का सर्वाधिक पिछड़ा राज्य बना हुआ है। यहां की साक्षरता दर 63.82 प्रतिशत है जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में यह 69.72 प्रतिशत और झारखंड में 67.63 प्रतिशत है। अगर पुरूष साक्षरता की बात करें तो भी बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा दिखता है। अलबत्ता महिला साक्षरता के मामले में यह राजस्थान से थोड़ा आगे है। बिहार में महिला साक्षरता दर 53.33 प्रतिशत है जबकि राजस्थान में यह 52.66 प्रतिशत है।

<u>महिलाएं सबसे आगे</u>

चौकाने वाला तथ्य यह है कि भारत में महिलाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मौका मिले तो वो पुरूषों को आसानी से पछाड़ सकती है। जनगणना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं ने लगभग दुगनी रफ्तार से पढ़ना–लिखना सीखा है। अब भी देश में अनपढ़ महिलाओं का प्रतिशत पुरूषों के मुकाबले ज्यादा है। पिछले एक दशक के दौरान जहां पुरूषों में साक्षरता दर सिर्फ 6.88 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी, वहीं महिलाओं में यह दर 11.79 फीसदी रही। यानी महिलाओं ने 4.91 फीसदी ज्यादा तेजी से पढ़ना–लिखना सीखा। महिलाओं के इस खास योगदान की वजह से ही देश में कुल आबादी का 74 फीसदी तबका शिक्षित हो सका है। अब भी देश में सिर्फ 65.46 फीसदी महिलाएं ही शिक्षित हो सकी हैं। जबकि पुरूषों में साक्षरता का प्रतिशत 82.14 है। पुरुष साक्षरता की तरह महिला साक्षरता के मामले में भी केरल ही पहले नंबर पर है। यहां 91.98 फीसदी औरतों को पढ़ना–लिखना आता है।

हम यहां पर यह बताते चलें कि जनगणना संगठन भारत में थीमैटिक मानचित्रों का सबसे बड़ा उत्पादित प्रभाग है। संगठन ने सभी स्तर के प्रशासनिक मानचित्र तैयार किये जैसे राज्य और संघराज्य क्षेत्र (35), जिले (640), उप–जिला–तहसील / ताल्लुका / सीडी ब्लॉक / पुलिस थाना आदि (5925), गांव (6 लाख से अधिक) एवं शहर (7937)।

जनगणना संगठन के पास निम्नलिखित उपलब्ध हैं:

- राज्यों / संघराज्यों एवं जिलों को दर्शाते हुए भारत प्रशासनिक मानचित्र (35)

- जिलों को दर्शाते राज्यों के मानचित्र (640)
- सब–जिलों को दर्शाते राज्यों के मानचित्र (5925)
- गांवों की सीमाओं को दर्शाते सब–जिलों के मानचित्र (6,38,588 गांव)
- वार्ड सीमाओं एवं अन्य लैंड मार्क फीचर्स को दर्शाते शहरी मानचित्र (7937) (4042 स्टेटूटरी शहर एवं 3895 सेन्सस शहर)
- सभी हार्ड कापी एवं डिजीटल मोड में

भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम

राजधानी की आबादी एक दशक में दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। जिस गति से आबादी बढ़ी है, उससे कहा जा सकता है कि आबादी को नियंत्रित करने और लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम सफल नहीं हुए हैं। बढ़ती आबादी व सीमित संसाधनों के कारण राजधानी की आबादी के बड़े हिस्से को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

वहीं प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि रोकने व बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लाखों रूपयों की योजनाएं विभागीय उदासीनता के चलते लक्ष्य तक नहीं पहुंच रही हैं। जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए बना रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम अपने आधे उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर सका। वर्ष 1991 की जनगणना में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 797.66 वर्ग किमी था जो 2001 की जनगणना में घटकर 591.01 वर्ग किमी. रह गया। वहीं शहरी क्षेत्र की आबादी तेज रफ्तार से बढ़ी है। यहां 1991 में जनसंख्या घनत्व 685.34 वर्ग किमी. से बढ़कर वर्ष 2001 में 891.09 वर्ग किमी हो गया। राजधानी में महिला–पुरूष अनुपात घटा है। यह स्थिति तब है जब सरकार भ्रूण हत्या रोकने और लड़की अभिशाप नहीं वरदान के संदेश देती है। परिवार कल्याण व स्वास्थ्य विभाग द्वारा ममता, आशा, लाडली जैसी अनेक योजनाएं बनाने के बावजूद लड़कियां बोझ समझी जा रही हैं। परिवार कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1991 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत जनसंख्या नियंत्रण, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु केंद्र आदि बनाने की घोषणा के बावजूद योजना सफल नहीं हो सकी।

ग्रामीण व स्लम क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल बनाने के लिए इंडिया पॉपुलेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया, लेकिन कर्मचारियों की कमी के चलते प्रोजेक्ट पूरा होने में दिक्कतें आ रही हैं। शाहबाद डेरी, हैदरपुर, शकूरपुर सहित दर्जनों क्षेत्रों में मातृ शिशु कल्याण केंद्र तो खुले, लेकिन केंद्रों में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

नारी और उसका अस्तित्व

रानी वधवा

नारी संसार में वह प्रकाश की ज्योति है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है। यह कथन पूर्णतया सत्य है कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं।

यत्र नार्यस्तु पूजयते, रमन्ते तत्र देवता

भारतवर्ष में नारी को देवी का स्थान दिया गया है लेकिन आज भी हमारे समाज में नारी को उच्च स्थान प्राप्त नहीं है। यदि हम मध्य काल की बात करें तो उस समय स्त्रियों की दशा बहुत खराब थी। उन्हें दासी के समान समझा जाता था। नारी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। वे पर्दे के अन्दर रहती थी। पूर्ण रूप से कहें तो उन्हें पुरूषों के बराबर दर्जा प्राप्त नहीं था। उन्हें किसी प्रकार की स्वतंत्रता भी नहीं थी।

हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं जैसे पर्दा प्रथा, बाल–विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि जिनके कारण नारियों को बहुत कुछ सहना पड़ा है।

हमारे समाज में पर्दा प्रथा होने के कारण बहुत सी नारियां घर से बाहर समाज के सामने नहीं आ पाती हैं और उनकी सारी आकांक्षाएं छिपी रह जाती हैं। बाल विवाह भी एक ऐसी ही समस्या है। कन्या का पूर्ण विकास हो ही नहीं पाता कि उसे कम उम्र में गृहस्थी के बोझ तले दबा दिया जाता है। जब उसके खेलने कूदने के दिन होते हैं तो उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाती है।

इस देश की कैसी रीत है जो समझ नहीं आती
इस देश में जननी, देवी, पग–पग पर सतायी जाती,
पहले तो घरों में, यहां मंगल गान गाये जाते हैं ?
फिर, इस देश में लड़की वाले, पल–पल रूलाये जाते हैं ।

सती प्रथा समाज की एक ऐसी कुरीति है जिसके कारण उस समय बहुत सी स्त्रियों को सती होना पड़ा। दहेज प्रथा सबसे गंभीर समस्या है जिसने हमारे समाज को जकड़ा हुआ है।

दहेज के कारण लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। इसके कारण बहुत सी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। इस दहेज के कारण मॉ–बाप लड़कियों को जन्म ही नहीं देते।

हमारे समाज में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बहुत कम है। जिसका औसतन 100 : 80 प्रतिशत है। अगर लड़की पैदा हो भी जाए तो उसे मार देते हैं। जिसका कारण है दहेज का दानव। सच ही कहा गया है :–

दो हृदयों का मिलन ही तो है विवाह,
फिर क्या जरूरत है आडम्बर की ।
समझा जाता है अभिशाप कन्या को,
क्योंकि वह डिग्री है कई लाख की ।

हम सभी को मिलकर समाज में फैली इन सभी बुराईयों को दूर करना होगा। लड़कियों को लड़कों के समान स्थान देना होगा। इन सभी रीतिरिवाजों को तोड़कर सभी कुरीतियों को त्याग कर हमारे देश की स्त्रियों ने आगे बढ़कर ऐसे काम किए हैं जिससे उनका नाम ऊंचा हुआ है। कल्पना चावला, इन्दिरा गांधी, किरण बेदी, सुनीता विलियम्स, सानिया मिर्जा, मदर टेरेसा आदि इन सभी महिलाओं ने पूरे विश्व में अपना और भारत का नाम रोशन किया है।

लेकिन अभी भी हमारे समाज में नारी का स्थान शिखर पर नहीं है। हम सभी को मिलकर नारी के अस्तित्व को ऊंचा उठाना होगा तथा सभी सामाजिक बुराईयों को दूर कर नारी के सम्मान की रक्षा करनी होगी।

अंत में मेरा यही कहना है कि समाज महिलाओं के बिना अधूरा रहेगा, यदि महिलाएं समाज में अपना योगदान नहीं देंगी तो समाज कदापि उन्नति नहीं कर सकेगा। जैसाकि प्राचीन काल में तथा मध्य काल में हुआ था। अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर राज करके देश का तथा नारी दोनों का शोषण किया।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

जीवन सूत्र

जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया,
जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया।

बागेश्वर जिला परिप्रेक्ष्य योजना : 2021

उदित रत्न एवं आर.एस.मीना

राष्ट्र के समग्र विकास की दिशा में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन की एक अहम भूमिका है। इस संशोधन के उपरान्त शहरों के साथ–साथ गॉवों/पंचायतों/निकायों के लिए स्थानीय विकास योजनाएं तैयार करने का कार्य प्रारम्भ हुआ। इन दोनों अधिनियमों के अस्तित्व में आने से विकास परियोजनाएं नीचे स्तर पर शुरू हुई। उदारीकरण के दौर में गॉवों का विकास भी नितान्त आवश्यक है। जिले के नियोजित विकास के लिए संविधान के 74वें एक्ट के तहत जिला नियोजन समिति के गठन का प्रावधान है। जहॉ पर 73वें संविधान के तहत ग्राम स्तर, पंचायत स्तर एवं जिला परिषद स्तर पर कार्य योजना तैयार करने की बात कही गई है वहीं पर 74वें संविधान संशोधन के तहत वार्ड स्तर, जिला समिति स्तर एवं महानगरीय समिति पर कार्य योजना तैयार करने की बात सम्मिलित है ।

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन शीर्ष स्तर पर शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक सलाहकारी संगठन है। इस संगठन ने अब तक कई नगरों के लिए महायोजनाएं, राज्यों के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाएं एवं राष्ट्र स्तर पर नीतियां बनाई हैं। संगठन के क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग ने 73वें व 74वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद महाराष्ट्र के जनजाति बाहुल्य जिला चन्द्रपुर एवं राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र से जोधपुर जिले का जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् राष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्र के उत्तराखण्ड राज्य में नव सृजित बागेश्वर जिला में बागेश्वर परिप्रेक्ष्य योजना : 2021 तैयार करने का कार्य राज्य शासन के अनुरोध पर क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया। इसके प्रमुख पहलू निम्न प्रकार हैं :

जिला परिप्रेक्ष्य योजना : 2021 की आवश्यकता

अ) संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए प्रयास।

ब) ऐसी स्थानीय योजनाएं बनाना जो राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित होने से वंचित हो जाती हैं।

स) स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अग्रणी सेक्टर आधारित संसाधनों के मद्देनजर स्थानीय विकास योजनाओं का चयन।

द) योजना में विकासीय मुद्दों के समावेश एवं विश्लेषण की कमी।

य) परियोजना से निश्चित लाभ पर जोर ।

इस दृष्टिकोण से, बागेश्वर जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार होने पर जिला नियोजन समिति इसका लाभ उठा सकेगी। उक्त योजना एक 'आधार योजना' का कार्य करेगी जिसके आधार पर अन्य जिलों में भी ऐसी योजनाएं तैयार की जा सकेगी। ऐसी योजनाओं को राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली योजना में सम्मिलित कर राज्य का सर्वांगीण विकास किया जा सकेगा। इस योजना में सामाजिक–आर्थिक मानव संसाधनों, वित्तीय संस्थानों और विकास मुद्दों को सम्मिलित किया जा सकेगा। उक्त दस्तावेज विभिन्न हिस्सेदार अभिकरणों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगी। जिला नियोजन समिति को ऐसी योजना को भावी पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित करने में अत्यधिक सुगमता होगी।

मुख्य उद्देश्यः–

1. भौतिक, प्राकृतिक, मूलभूत सुविधाओं और मानव संसाधनों की उपलब्धता का निर्धारण।
2. जिला क्षेत्र में विकास के लिए मुख्य मुद्दों का पता लगाना।
3. अधिकतम संसाधनों का उपयोग करने के लिए विशेष कार्यनीति तैयार करना।
4. जिले की नियोजित दीर्घावधि हेतु कार्यनीति का आंकलन करना।
5. जिले के अवसंरचनात्मक विकास, सामाजिक–आर्थिक एवं भौतिक विकास की तुलना करते हुए प्रस्तावित अवसंरचना की योजना तैयार करना।
6. जिला योजना समिति के गठन व संरचना हेतु मार्गदर्शी सुझाव।

जिला परिप्रेक्ष्य योजना का क्षेत्रः–

जिला परिप्रेक्ष्य योजना एक दीर्घकालीन विकास योजना है जो कि जिले के विभिन्न प्रक्षेत्रों को समेकित करके बनाई जाएगी। प्रस्तुत अध्ययन द्वारा जिला स्तर पर मौजूदा भौतिक, सामाजिक–आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया जायेगा एवं उनकी कमियों तथा आबादी के अनुपात में आपूर्ति को मद्देनजर रखते हुए उन क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा जिसमें विकास की संभावनाएं प्रबल हो। इस योजना में बागेश्वर जिले के तीनों प्रखण्डों यथा कपकोट, गरूड–बैजनाथ एवं बागेश्वर में विकास की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए विकास क्षमता एवं उनकी समस्याओं के निराकरण का प्रचार किया गया है। इस स्तर पर सभी प्रक्षेत्रों का आकलन संभव नहीं हो सकेगा न ही किसी विशेष ग्राम की विकास योजना तैयार की जायेगी। जिला स्तर पर तीनों प्रखण्डों से विकासशील गांवों का चयन किया जायेगा जिनमें विकास की क्षमता अधिक हो।

कार्यप्रणाली निर्धारणः–

बागेश्वर जिला परिप्रेक्ष्य योजना को निम्न चरणों में तैयार किया गया हैः–

1. आंकडों की पहचान एवं उनके संकलन हेतु फारमैट तैयार करना।
2. फारमेट के अनुसार आंकडों का संग्रह।
3. एकत्रित आंकडों का विश्लेषण एवं उनकी खामियों को समझना।
4. विकास के मुद्दों की पहचान, सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य का अध्ययन राष्ट्र एवं राज्य स्तर से जिले में चलायी जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा एवं उन पर विश्लेषण।
5. आंकडों की जाँच एवं पुनः खामियों के अनुसार आंकडें एकत्र करना।
6. जिले में प्रबल क्षमता वाले प्रक्षेत्रों की पहचान करना, उन गतिशील ग्रामों का चयन करना जो निकट भविष्य में रोजगार सृजित कर सके एवं अगली जनगणना में शहर की श्रेणी में आ सके।

इस प्रस्तावित योजना में जिले के परिदृश्य को दर्शाते हुए भावी विकास के लिए प्रस्ताव सुझाए गये हैं जिन्हें वर्ष 2011 से 2021 तक तीन चरणों में अर्थात् 2007–11, 2012–17 तथा 2018–21 तक चरणबद्ध किया गया है।

शहरी एवं ग्रामीण नियोजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय विकास योजनाओं को समेकित करने का प्रयास किया गया है। ऐसे क्षेत्र एक्शन एरिया और उनकी योजनाएं एक्शन प्लान कहलाएंगी।

कार्य योजनाओं की तैयारी के लिए निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना होगाः–

1. राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन सार्वजनिक व निजी अभिकरणों के सह निवेशों पर बल देंगे एवं पूरे कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।
2. जिला योजना समिति जिला स्तरीय सभी क्षेत्रीय विभागों यथा नगर नियोजन विभाग, वार्ड समिति, पंचायत समिति एवं जिले के अन्य महत्वपूर्ण विभागों और उत्तराखंड राज्य के साथ परामर्श करेगी। उक्त समिति उचित परियोजना का पता लगाने एवं बागेश्वर के प्रस्तावित योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगी ।
3. जिला विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु उचित तकनीकी, आर्थिक, वित्तीय एवं संस्थागत पहलुओं पर परियोजनाओं के शुरू करने से पहले विचार–विमर्श ।

4. वित्तीय सहायता के प्रमुख स्रोतों का आंकलन योजना के सूत्रीकरण के समय आवश्यक है।
5. विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के स्तर पर परियोजनाओं की उचित निगरानी व मूल्यांकन होना आवश्यक है ।

परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन व प्रबंध में जिला स्तरीय विभागों का आपसी समन्वय आवश्यक है ताकि जिले की भौतिक व सामाजिक अवसंरचना यथा आवासीय, यातायात एवं दूरसंचार, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ–साथ कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योग यथा उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन, फल संरक्षण इत्यादि का समन्वित विकास हो सके।

बागेश्वर जिले का परिदृश्य :–

- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल आबादी 2.47 लाख है। यहां जनसंख्या की वृद्धि के रूझान से प्रतीत होता है कि वर्ष 2021 में जिले की अनुमानित कुल आबादी 2.94 लाख होगी।
- जिले में कुल जनसंख्या का 59.52 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। उत्तराखण्ड राज्य के 13 जिलों में से बागेश्वर जिले का साक्षरता में 8वां स्थान है जिले में लिंगानुपात 1105 व्यक्ति है, जो कि जिले से बाहर की ओर प्रवसन को दर्शाता है ।
- बागेश्वर नगर अकेला शहर क्षेत्र है जहां जिले के 3.16 प्रतिशत लोग रहते हैं जनगणना 2001 के अनुसार जिले के 33.41 प्रतिशत लोग मुख्य कर्मकार थे और सीमान्त कर्मकारों की प्रतिशत 11.01 थी।
- अध्यापक–छात्र अनुपात सभी गांवों में सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के अनुकूल है, परन्तु उच्च व तकनीकी शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों की कमी है। वर्ष 2005–06 में 856 गॉवों में से 481 जूनियर बेसिक स्कूल ग्राम की सीमा में स्थित हैं एवं 102 गांवों को यह सुविधा एक किलोमीटर पर उपलब्ध है सिर्फ दो प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां बेसिक शिक्षा के लिए छात्रों को तीन किलोमीटर चलना पड़ता है।
- सभी बड़े अस्पताल ब्लाक स्तर तक सीमित हैं, आपातस्थिति में इन स्वास्थ्य केन्द्रों तक सड़क के अभाव में पहुंचना सुगम नहीं है।
- यद्यपि 856 गांवों में से 843 गांवों को बिजली (वर्ष 2008 तक) से जोड़ा जा चुका है तथापि बिजली की उपलब्धता अपने आप में बड़ा प्रश्न है।
- पानी की सुविधा से सभी गांव जोड़ दिए गए हैं। झरनों के स्रोत में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है।

- बागेश्वर नगर में ड्रेनेज, सीवरेज की सुविधा नहीं है और ठोस कचरा प्रबन्ध के लिए भी अपर्याप्त सुविधाएं हैं। शहर में कचरा ढ़ोने के लिए मात्र एक वाहन व एक लैंडफिल है।
- जिले की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। वर्ष 2004–05 में कुल बोए गए क्षेत्र 21718 हैक्टेयर में से सिंचित क्षेत्र 4003 हैक्टेयर था। इस वर्ष खाद्यान्न 51633 मीट्रिक टन था।
- बागेश्वर जिले में दार्शनिक स्थल पर्याप्त हैं जैसे भद्रकावी मंदिर (काण्डा), सौन्दर्ययुक्त स्थल (विजयपुर), शिव पार्वती की मूर्तियां बैजनाथ, पाण्डुस्थल, कौसानी, बागनाथ मन्दिर (बागेश्वर) एवं ग्लेशियर जैसे पिंडारी, कफनी एवं सुंदरदूंगा आदि। यहां वर्ष 2007 में 76000 पर्यटक आए थे। पर्यटन क्षेत्र में विकास की संभावनाएं प्रबल हैं।
- वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने 29 में से 14 विषय, पंचायती राज संस्थानों को सुपुर्द कर दिये हैं जो सत्ता विकेन्द्रीकरण के प्रयास को दर्शाती हैं।
- वर्ष 2008–09 में अक्टूबर तक नरेगा योजना के तहत अनुसूचित जाति के 10782, अनसूचित जन जाति के 364 एवं अन्य 26590 व्यक्तियों को जॉब कार्ड जारी किए गए।
- यह अच्छा संकेत है कि सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में इंदिरा आवास योजना के तहत 221 मकान अनुमोदित किए गए व उतने ही तैयार कर आवंटित किए गए।

उपसंहार

जिला परिप्रेक्ष्य योजना में मजबूती, कमजोरियां, अवसर एवं आशंकाओं (थ्रिएट) का विश्लेषण कर प्रबल क्षमता वाले क्षेत्रों व घटकों का पता लगाया गया है, जिनमें भ्रमण स्थलों का विकास, औषधियां व पानी संयंत्र लगाने, चाय क्षेत्र का विकास एवं सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया है। जिले में सर्वांगीण विकास के लिए कुल 108 गांवों का चयन किया गया है जिसमें बागेश्वर को उप क्षेत्रीय केन्द्र, ब्लाक स्तर पर 5 ग्रामीण बाजार केन्द्र एवं पंचायत स्तर पर 21 ग्रामीण केन्द्रों के साथ 81 गतिशील ग्राम सम्मिलित हैं। क्षेत्रीय केन्द्र के तौर पर नैनीताल, पन्तनगर, देहरादून शहर होंगे जिन पर बागेश्वर यातायात, एयरपोर्ट, उच्चस्तरीय अस्पताल, उच्च स्तरीय न्यायालय के लिए निर्भर रहेगा। प्रस्तावित 108 केन्द्रों में मुख्य सुविधाएं विद्यालय, अस्पताल एवं संचार सुविधा आदि उपलब्ध हैं जबकि आबादी 500 व्यक्तियों से अधिक होगी। बागेश्वर जिले की परिप्रेक्ष्य योजना–2021 तैयार हो जाने से न केवल बागेश्वर जिले का अपितु उत्तराखण्ड राज्य के दूसरे जिलों की विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

कर्त्तव्यबोध

डॉ. अशोक कुमार बंदूनी

''जी, यह रहे हमारे टिकट''।

मैंने टिकट टी.टी. की ओर बढ़ाए और टी.टी. महोदय ने टिकटों का निरीक्षण करके मुझे वापिस करते हुए धन्यवाद कहा।

टी.टी. साहब आगे बैठी हुई विदेशी महिला से टिकट मॉग रहे थे जिनके पति बीच वाली बर्थ पर सोये हुए थे।

''मेरा पर्स कहां है?''

''अभी तक तो वह मेरे हाथ में था अब कहां गया?''

''सुनो–सुनो'' – अपने पति को उठाते हुए वह विदेशी महिला बोली

''व्हाट हैप्पंड'' पति महोदय ने कहा।

''आई एम टायर्ड, सो डोन्ट डिस्टर्ब मी''

''टी.टी. वांट्स टू चेक ऑवर टिकट्स'' महिला बोली।

''तो दिखा दो'' पति ने कहा।

वह विदेशी महिला तुरंत खड़ी होकर टी.टी. महोदय के सामने रोने लगी। मैं उत्सुकता से उस महिला और टी.टी. के बीच हो रही वार्तालाप को सुनने लगा। टी.टी. साहब कह रहे थे – ''नो मेडम, आई वान्ट् टिकट्स'' विदेशी महिला ने कहा कि ''समवन पिक्ड माई पाकेट'' इसलिए हमारे पास टिकट नहीं है। हालॉकि उसका और उसके पति का नाम यात्री सूची में तो है। जेबकतरों ने न जाने उनके पति की जेब पर कब हाथ साफ कर दिया था और उन्हें यह अभी–अभी पता चला है। वह विदेशी हैं और भारत में भ्रमण के उद्देश्य से आये हैं।

पूना में बड़े भाई के घर से सपरिवार दशहरे की छुट्टियॉ मनाकर मैं दिल्ली आ रहा था और यह विदेशी जोड़ा भी महाराष्ट्र से दशहरा पर्व को देखकर दिल्ली जा रहा था। चूंकि हम दोनों का गंतव्य स्थल एक ही

था इसलिए मैंने निःसंकोच उस विदेशी जोड़े से विनम्र भाव से कहा कि ''वह बिल्कुल न घबराएँ और न ही अपना दिल छोटा करें''। और मैंने अपने पर्स से 8000/– रूपये निकाल कर उस विदेशी जोड़े को दे दिए। पहले तो वह सकुचाई और उसके मुख पर संकोची भाव प्रकट हुए लेकिन बाद में उसने वह पैसे रख लिए। वैसे भी एक विदेशी जोड़े पर्यटक के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो मन का करूणामय होना और उनकी सहायता करना मानवता के नाते स्वयं ही आ जाता है। वह जोड़ा बोला, ''यह पैसे आपको अपनी कंट्री में जाकर वापिस भेज देंगे।''

उस विदेशी महिला ने मेरा धन्यवाद किया और कहा कि ''आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है कि वह इस मदद को जीवन भर याद रखेगी और यही नहीं वह सबसे पहले अपनी एम्बेसी में जायेगी और इसकी सूचना देगी तथा दिल्ली टूरिज़्म पुलिस की सहायता से एम्बेसी पहुंचकर अतिरिक्त पैसों का भी बन्दोबस्त करेगी।''

उस विदेशी पर्यटक ने अपना नाम ऐनी और पति का नाम डोनील बताया। उसने अपने घर एवं कार्यालय, के साथ–साथ अपने परिवार के बारे में भी बताया। यह वार्तालाप चलता रहा और मैंने उस विदेशी पर्यटक के मन की बात पढ़ ली, जिसके कारण मुझे अपने ही देशवासियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने किस प्रकार एक विदेशी पर्यटक की जेब काट ली और उसके पास इस वक्त खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने बताया कि वह नई दिल्ली स्थित एम्बेसी से पैसों की मदद मांगेगा और फिर वापिस अपने देश चला जाएगा। मैं अपने ही देश को कोस रहा था कि यहां के लोगों में ज़रा–सी भी तमीज़ नहीं है, जिन्होंने विदेशी पर्यटक को भी नहीं छोड़ा। हमारे देश की प्रतिष्ठा, संस्कार, नैतिक मूल्य सभी दांव पर लगा दिए। यह अपने देश में हमारे देश की क्या छवि लेकर जाएगा।

उन्होंने हमारे साथ दोपहर का भोजन किया और मैंने उनसे कहा कि ''आप हमारे देश में मेहमान हैं, इसलिए मुझे ये रूपये वापिस नहीं चाहिएं'' बस आप अपने देश राजी–खुशी पहुँच जाएं। लेकिन वह विदेशी पर्यटक अपनी ज़बान का पक्का निकला और उसने मुझे पैसे वापिस लौटाने का वादा करके डॉलर + 20/– रूपये का चैक मेरे नाम काट दिया। उस चैक के पीछे उसका नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर व ऑफिस का पता लिखा हुआ था। उसने वह चैक मेरे हाथ में थमा दिया। उसकी इस गैरत को देखकर मैं हैरान हो गया और अपने देशवासियों के इस दुष्टतापूर्ण कृत्य पर अफसोस करता रहा। मैंने उस विदेशी जोड़े को बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना और हारकर मैंने उसका दिया हुआ चैक अपने पर्स में रख लिया।

मैंने एक अच्छे भारतीय नागरिक का परिचय देते हुए उन्हें ''दिल्ली पुलिस पर्यटक सहायता केन्द्र'' तक पहुँचाया और इस तरह अपना निस्वार्थ फर्ज़ पूरा करके हमने घर के लिए टैक्सी ली।

मुझे दशहरे पर्व की याद आने लगी जो मैंने अपने भाई के घर पूना में बच्चों के साथ मनाया था। मेरे पिताजी द्वारा बताये गये वृतांतों को मैं अक्सर अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ बांटा करता था। पिताजी ने बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास ने श्रीराम के चरित्र को जन–जन तक फैलाने के लिए श्रीरामलीला करने की प्रेरणा दी थी। पिताजी के कथनानुसार काशी में सर्वप्रथम रामलीला शुरू हुई थी और अब तो प्रतिवर्ष लगभग सम्पूर्ण भारतवर्ष में श्रीरामलीलाएं आयोजित होती हैं। दिल्ली में तो जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित एक पुराना मैदान श्रीरामलीला मैदान के नाम से ही जाना जाता है। मेरे पिताजी रेलवे बोर्ड में काम करते थे इसलिए जब उनका तबादला दिल्ली हुआ तो पिताजी ने मुझे बताया कि इस मैदान में रामलीला मुगलों के जमाने से हर वर्ष होती आ रही है। बुराई पर अच्छाई की विजय का यह धर्म मार्ग व उपदेश मेरी जिंदगी में भी एक सिद्धांत बन कर समा गये थे क्योंकि भारत में अभी भी सैंकड़ों जिंदा रावण हैं और सैकड़ों रावण हर साल पैदा हो जाते हैं लेकिन हमें अपने कर्त्तव्य से नहीं डगमगाना है। कुछ लोग वे भी हैं जो इन पर्व को देखने और सीखने सात समुंदर पार करके यहां भारत आते हैं और इस नई संस्कृति को अपने अंदर उतार कर इस देश की गौरवशाली परम्परा को और भी गौरवान्वित करना चाहते हैं।

मुझे तथा मेरे परिवार को तथा भाई एवं सम्बन्धियों को भी इस घटना का पूरा वृतान्त मालूम है। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि "पापा अब हम मामा जी व नाना जी के घर पूना कब जायेंगे ?" तो यह पूरा वृत्तांत मेरे मन मस्तिष्क में कौंध गया और मैंने सोचा कि वह विदेशी जोड़ा किसी कारणवश या काम की व्यस्तता के कारण पत्र व्यवहार या फोन न कर सका हो, तो इसलिए मैंने ही फैसला किया कि आज मैं ही उनका हालचाल व कुशलक्षेम पूछ लेता हूं।

जब मैंने विदेशी पर्यटक के दिये गये डॉलर +20/– के चैक को अपने बैंक के खाते में जमा किया तो बैंक के अधिकारी ने कहा कि आप 15–20 दिनों के बाद पता कर लीजिएगा। जब मैं एक महीने बाद बैंक गया तो उन्होंने बताया कि न तो वह एकाउंट नम्बर ही ठीक है और न ही वह जगह एवं शाखा। मैंने फिर एक पत्र उस विदेशी पर्यटक के घर के पते पर लिखा जो उसके चैक पर प्रिंटिड था, तो वह पत्र भी वापिस आ गया, जिसमें लिखा था – "नॉट ट्रेसेबल"।

आज इस घटना को चार साल हो गए हैं। आज मैं इस घटना को रह–रहकर याद करता हूं कि हम तो यह समझते हैं कि ये विदेशी बहुत ही ईमानदार होते हैं। अपने शब्दों के पक्के होते हैं, और कभी भी वादाखिलाफी नहीं करते हैं। जबकि इसके विपरीत हम हिन्दुस्तानी अपने देश की छवि को उज्जवल नहीं कर रहे। किंतु आज अहसास हुआ कि हम हिन्दुस्तानी हैं और आज भी हमारी पहचान विश्व में त्याग, शिष्टाचार, ईमानदारी, वचनबद्धता से अभिप्रेरित है, न कि उस विदेशी पर्यटक की तरह, जो कि अंग्रेजी के दो सहानुभूतिपूर्ण शब्द बोलकर आसानी से किसी को भी ठग जाते हैं।

मैंने अपने घर एवं परिवार में जो हमसे बड़े हैं और पूजनीय हैं उनसे जो भी सीखा उसी को अमल भी किया। एक आदर्श नागरिक व मर्यादा का सम्मान आज भी हमें याद हैं। माताजी–पिताजी द्वारा पढ़ाया गया आदर्श का पाठ आज भी याद है।

आदर्श नागरिक वही हो सकता है, जो अपने समाज, देश, जाति, कुटुम्ब, संस्थानों, तथा समुदायों के प्रति अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को भलीभॉति समझता हो। यही नहीं, बल्कि उन कर्त्तव्यों तथा अधिकारों पर पूरी लगन और सावधानी के साथ आचरण भी करता हो। अकसर देखने में आता है कि बहुधा लोगों में अधिकारों के प्रति प्राप्ताकांक्षा तो होती है, परन्तु अपने कर्त्तव्यों के प्रति वे उपेक्षा का भाव रखते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तुतः अधिकार एवं कर्त्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन दोनों को आप कदापि पृथक नहीं कर सकते। कर्त्तव्यों के अभाव में अधिकार नगण्य हैं तथा अधिकारों के अभाव में कर्त्तव्यों की कोई भी कीमत नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो उपेक्षापूर्ण व्यवहार करे और कर्त्तव्यों के प्रति तत्पर और सजग बना रहे। यदि इस प्रकार की वृत्ति सभी लोग बना लेंगे तो शनैः शनैः हमारे सभी अधिकार हमसे छिन जाएंगे तथा एक दिन ऐसा आ जायेगा, जब हम नागरिकों को उन अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिये संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यही नहीं, अपितु अधिकारों के न मिलने से हमारा व्यक्तित्व क्षीण पड़ जायेगा और हमें दूसरों का गुलाम बनकर अपनी जिन्दगी का बोझ ढोना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हम अपने कर्त्तव्यों के प्रति पूर्णतया उदासीन हो जाएंगे और उनकी उपेक्षा करने लगेंगे तो हमारे कारण सारा समाज उच्छृंखल, हिंसा–वृत्ति को अपनाने वाला, शोषण–वृत्ति वाला और तानाशाही व्यवहार करने वाला बन जायेगा। पिताजी ने हमें यही सिखाया कि एक आदर्श नागरिक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि वह अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरुक बना रहे। अगर अधिकार और कर्त्तव्य–पालन का आपसी सन्तुलन बिगड़ जायेगा तो सामाजिक स्थिति भी बिगड़ जाएगी।

प्रत्येक आदर्श नागरिक को आत्मनिर्भर होना चाहिये। जो मनुष्य अपना भार दूसरों के कन्धों पर डालकर जीवन जीना चाहता है, वह वास्तव में अपने समाज तथा धरती पर बोझ समान है। अपने कर्त्तव्यबोध का ज्ञान समाज और देश के लिए बहुत जरूरी है जिससे आदर्श आलौकिक होता है। निःसंदेह भारतीय संस्कृति शाश्वत है। यह संस्कृति महान है। शायर इकबाल की यह पंक्तियां आज भी कितनी सजीव लगती हैं :–

इरान मिश्र रोम सब मिट गए जहॉ से ।
लेकिन अभी है बाकी नामोनिशां हमारा ।।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

मैली सरिता

आर.पी. सिंह

हिन्दु पौराणिक कथाओं में यमुना नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्‌गम स्थल हिमालय में गढवाल (उत्तराखण्ड़) के पास समुनोत्री गलेशियर है। यह नदी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से बहती हुई इलाहाबाद में गंगा में विलीन हो जाती है। इसके किनारों पर बसे प्रमुख शहरों में दिल्ली, मथुरा और आगरा हैं। यमुना की कुल लम्बाई 1370 किलोमीटर है।

1. यमुना नदी में प्रदूषण के कारण

दिल्ली में यमुना की लम्बाई 22 किलोमीटर है जो इसकी कुल लम्बाई का 2 प्रतिशत है। यह 2 प्रतिशत हिस्सा ही सबसे गंदा अर्थात् प्रदूषित है। इस नदी को दूषित करने में 70 प्रतिशत योगदान दिल्ली का है। दिल्ली में लगभग 3267 एमएलडी सीवेज (मलजल) उत्पन्न होता है जबकि दिल्ली में स्थापित अवजल शोधक प्लांटों की शोधक क्षमता 2325 एमएलडी है। किन्तु ये प्लांट केवल 1570 एमएलडी मलजल का ही शोधन कर रहे हैं। लगभग 937 एमएलडी से अधिक अवजल का शोधन नहीं होता है। करीब 1270 एमएलडी मलजल (सीवेज) प्रतिदिन यमुना में छोड़ा जाता है।

विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र के योजना निदेशक का कहना है कि यमुना में केवल सीवेज का अवजल बह रहा है, पानी कहना बेमानी होगा। उनके अनुसार दिल्ली जल बोर्ड 825 एमजीडी पानी की आपूर्ति कर रहा है जबकि 1400 से 1500 एमजीडी मलजल (सीवरेज) प्रतिदिन यमुना में गिरता है। सीवेज एवं नालों से सीधे नदी में गिरते मलजल (अवजल) की नियमित तौर पर निगरानी नहीं हो रही है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यमुना का पानी बहुत हानिकारक है। इसमें दो तरह का प्रदूषण है : पहला औद्योगिक कचरा और दूसरा अवजल (सीवेज वाटर) जो सीधे नदी में गिराया जा रहा है। इसके पानी से शरीर की पाचन शक्ति तो खराब होती ही है, साथ में किडनी, लीवर, ब्रेन, कालरा, डायरिया, तपेदिक, पीलिया, कैंसर इत्यादि बीमारियां भी हो सकती हैं। नदी का पानी इतना गंदा हो चुका है कि इसमें मछलियां भी जीवित नहीं रहती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री बी.एस. हौहन ने मुख्य न्यायाधीश श्री के.जी. बालाकृष्ण की अध्यक्षता में आसीन खण्डपीठ में यहां तक कहा कि यह मैली यमुना नहीं बल्कि गंदा नाला है। जो यमुना दिल्ली की जीवन रेखा कहलाती थी, आज वह देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे मलिन नदी है। अब तो यह मैली यमुना दिल्ली की पहचान बन चुकी है।

2. यमुना का सफाई अभियान

जब चारों ओर से आवाजें उठने लगी तो दिल्ली सरकार का ध्यान इस सरिता की सफाई की ओर आया और यमुना की सफाई की कवायद शुरू हुई। दिल्ली सरकार ने सरिता की सफाई के लिए कार्य योजनाएं बनायी जो इस प्रकार हैं :–

2.1. यमुना कार्य योजना–1

नदी की सफाई को लेकर 1993 में पहली बार एक कार्य योजना बनायी गयी। सफाई का कार्य 682 करोड़ रूपए की लागत से शुरू हुआ जो 2003 में (10 वर्षों में) पूर्ण होना था। ऐसा माना जा रहा था कि 10 वर्षों में यमुना बिल्कुल साफ हो जाएगी। कार्य योजना के लिए निर्धारित राशि से जल निगम, उत्तर प्रदेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा, दिल्ली जल बोर्ड व दिल्ली नगर निगम को दिल्ली में यमुना की सफाई का कार्य करना था। तीन राज्यों के 16 शहर–दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुडगांव एवं फरीदाबाद शामिल किए गए थे। नदी के पानी की सफाई के लिए 32 अवजल शोधक प्लांटों का निर्माण कर अवजल शोधक क्षमता को 735 एमएलडी किया गया।

इस कार्य योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह प्राप्त नहीं हुआ। कार्य योजना के बाद जो रिपोर्ट आयी वह चौंकाने वाली थी। कार्य योजना की असफलता का मुख्य कारण योजना में कमी माना जाता है। योजना के प्रारूप में जैविक जल गुणवत्ता को नजरंदाज किया गया था। योजना में प्रावधान था कि यमुना में गंदगी कम बहाई जाए। यह योजना 1998 की जनसंख्या के आधार पर बनी थी। अतः योजना के प्रारूप में ही असफलता छुपी थी।

2.2. यमुना कार्य योजना–2

पहली सफाई योजना की असफलता के बाद पुनः केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार ने इस सरिता की सफाई के लिए कदम बढ़ाया और यमुना कार्य योजना–2 का प्रारूप तैयार किया गया। इस बार सफाई कार्य योजना के लिए 624 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया। इसकी शुरूआत दिसम्बर 2004 से हुई और यह निश्चित किया गया कि अक्तूबर, 2010 तक सफाई का कार्य पूरा हो जाएगा। इस बार योजना का मुख्य उद्देश्य नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना था। इसके लिए जनसंपर्क, सूचना कार्यक्रम और जन समर्थन बढाने की तरफ ध्यान दिया गया। सितम्बर 2009 तक 226.89 करोड़ रूपए इस चरण में खर्च हुए। इस कार्य योजना के अन्तर्गत इन्टरसेप्टर, सीवेज डायवर्जन, अवजल शोधक प्लांटों की स्थापना, न्यूनतम लागत सफाई

सुविधा उत्पन्न करना, अवजल शोधक क्षमता में वृद्धि और विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना इत्यादि परियोजनाएं ली गयी और उन पर कार्य किया गया।

उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार राष्ट्रमण्डल खेलों (अक्तूबर 2010) तक यमुना टेम्स जैसी दिखने लगेगी किन्तु अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। नदी के पानी की गुणवत्ता में वांछित सुधार नहीं आया। इसका कारण था दिल्ली की अवजल शोधक क्षमता की मांग और उपलब्धता में बड़ी कमी और यमुना में स्वच्छ पानी की कमी। पर्यावरण और वन मंत्री, भारत सरकार ने 23 नवम्बर, 2009 को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में इसे स्पष्ट किया था।

इस कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक अक्तूबर, 2010 तक यमुना साफ हो जानी चाहिए थी किन्तु इस बार भी निराशा ही हुई। सारी धनराशि व्यर्थ गयी और यमुना मैली की मैली ही रह गयी।

2.3. यमुना कार्य योजना–3

यमुना कार्य योजना का दूसरा चरण अभी चल ही रहा था कि दिल्ली सरकार ने अखबारों के माध्यम से कहा कि 2012 तक यमुना साफ हो जाएगी। इसी दौरान दिल्ली जल बोर्ड ने सरिता की सफाई के लिए तीसरे फेस की योजना का प्रारूप तैयार कर लिया जिस पर करीब 1749.40 करोड़ रूपए की लागत अएगी जो आगे बढ़ भी सकती है। इस प्रकार यमुना की सफाई के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हो गयी। इस तीसरे चरण का लक्ष्य 2015 रखा गया और साथ ही यह तय किया गया कि इस कार्य योजना के तहत नदी पूर्ण रूप से साफ हो जाएगी और यह लंदन की टेम्स जैसी होगी जो 70 के दशक में यमुना जैसी ही गंदी थी और बाद में उसे साफ कर दिया गया था।

दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने पिछले वर्ष जुलाई में यमुना इन्टरसेप्टर सीवेज परियोजना के लिए 1358 करोड़ रूपए की मंजूरी दे दी थी। इस परियोजना के तहत लगने वाले इन्टरसेप्टरों को नजफगढ़ सप्लीमेंट्री और शाहदरा में लगाना निश्चित किया गया क्योंकि यमुना में गिरने वाली 70 प्रतिशत गंदगी इन्हीं जगहों से गिरती है। इस चरण में 814 एमएलडी पानी को शोधित करने के लिए ओखला में 428 एमएलडी, कोंडली में 204 एमएलडी और रिठाला में 182 एमएलडी के अवजल शोधक प्लांटों की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार तीसरी कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के 18 नालों से यमुना में गिरने वाले अवजल (मलजल) को शोधित करके यमुना में डाला जाना है।

दिल्ली में 18 वर्षों से यमुना की सफाई हो रही है किन्तु सफलता अभी कोसो दूर है। तीसरी कार्य योजना में इसे 2015 तक साफ करने का दावा किया जा रहा है किन्तु सफाई की सम्पूर्ण योजना अभी तक पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं की गयी है। दूसरी ओर दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि

2015 तक कुछ हद तक यमुना साफ हो जाएगी, पूर्णरूप से नहीं। अतः 2015 तक भी यमुना साफ होगी या नहीं यह कहना नामुमकिन है। 18 वर्षों के प्रयास के बाद भी इसकी स्थिति वही है जो इसके शुरूआती वर्ष में थी।

3. यमुना कार्य योजनाओं की असफलता के कारण

3.1 दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार नदी की सफाई नहीं होने का कारण 143 अनधिकृत कालोनियां, 1080 मलिन बस्तियां और गॉव हैं जिनके कारण यमुना में बहते अवजल (सीवेज वाटर) को रोकने में समस्या आती है।

3.2 दिल्ली की मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली के विकास के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में कमी रह जाती है।

3.3 यमुना का प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली व हरियाणा की राज्य सरकारों ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। केवल योजनाएं बनती गयी और समय सीमा तय होती रही। यमुना में गिरने वाले दूषित पानी पर रोक नहीं लगायी गयी।

3.4 नदी को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

3.5 दिल्ली के पास अपर्याप्त अवजल शोधक प्लांट भी यमुना कार्य योजनाओं की असफलता का कारण है जिसके कारण 70 प्रतिशत मलजल (सीवेज वाटर) सीधे नदी में गिरता है।

3.6 योजनाओं में निर्धारित समय सीमा के अनुसार जिस गति से कार्य किया जाना चाहिए था, उस गति से कार्य नहीं किया गया।

3.7 योजनाओं के प्रारूप में दूरदर्शिता का अभाव।

3.8 नदी नीति का अभाव–नदी से नाला बन चुकी यमुना की सफाई के लिए आवश्यक है कि सरकार नदी नीति बनाए। उसे कानून के तहत लाया जाए और सही ढंग से पालन हो, तभी यमुना साफ हो सकती है।

4. टेम्स से सबक

1850 में टेम्स नदी इतनी प्रदूषित और बदबूदार थी कि ब्रिटिश संसद को इसके पास से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। 1957 में इसे मृत घोषित कर दिया गया था। कई वर्षों बाद फिर से नदी के बारे में सरकार ने ध्यान दिया और इसका पुनर्नवीकरण किया गया। आज टेम्स इतनी साफ हो गयी है कि ब्रिटेन

इसकी सहायक नदी 'ली' की सफाई में पूंजी निवेश कर रहा है और 2012 के लंदन ओलम्पिक खेलों से पहले इसे भी साफ कर देगा।

टेम्स की सफाई के लिए 'टेम्स नदी पुनर्नवीकरण न्यास' ने नदी के साथ उसके किनारों पर पर्यटन और क्रीड़ा के लिए अवसर प्रदान किए ताकि लोग नदी के बारे में सोचें और उसे अपने जीवन का अंग बनाएं। प्रदत्त सुविधाओं के लिए पर्यावरण अभिकरण वार्षिक लाइसेंस जारी करती है और इससे प्राप्त आय को नदी के रख–रखाव पर खर्च करती है।

दिल्ली सरकार व केन्द्र सरकार ने भी यमुना को टेम्स का सपना दिखाया किन्तु जो कार्य योजनाएं बनी वे टेम्स की सफाई योजना के अनुरूप नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय में यमुना की सफाई के संबंध में हुई कार्यवाही में न्यायालय ने ब्रिटिश सरकार की सफलता की तर्ज पर इस नदी की सफाई का कार्य करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए किन्तु यमुना कार्य योजनाओं में टेम्स की तर्ज पर कार्य नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप नदी की सफाई के लिए बनी कार्य योजनाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायी। करोड़ों रूपए खर्च करने के बाद भी सरिता स्वच्छ नहीं हुई।

पिछले अठारह वर्षों से यमुना की सफाई हो रही है लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। नदी का पानी इतना गंदा है कि इसमें मछली भी जीवित नहीं रह पाती है। इसके जल के इस्तेमाल से लोगों को चर्म रोग व चर्म कैंसर तक हो सकता है। दिल्ली सरकार ने संसाधनों की अधिकाधिक राशि इसकी सफाई पर खर्च की किन्तु यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इस कार्य के लिए बनी योजनाएं असफल हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने टेम्स की तर्ज पर नदी की सफाई का कार्य करने के लिए कहा था किन्तु ऐसा नहीं हुआ। यमुना की जो स्थिति यमुना कार्य योजना–1 के शुरूआती वर्ष 1993 में थी, वहीं आज भी है। सच्चाई यह है कि दिल्ली और हरियाणा सरकार को पूरी इच्छाशक्ति और ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा। नदी को दूषित करने के लिए जिम्मेदार औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस बार भी सारी कोशिशें और धनराशि बेकार जाएगी और यह सरिता मैली की मैली ही रह जाएगी। इसका टेम्स बनने का स्वप्न अधूरा ही रह जाएगा।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

मात–पिता की कर ले सेवा

धनसिंह वर्मा

मां सूरज की तरह प्रकाश है देती,
राह भी दिखाती है,
मां देती है शीतलता,
सूर्य की भांति नहीं जलाती है ।

तेरी ममता में मां,
चन्द्रमा की शीतलता को पाया है,
चन्द्रमा में तो है दाग
तेरी ममता को बेदाग पाया है ।

उसी तरह कोख में पाला है मां,
धरती करती है जैसे जीवों का पालन,
अपने खून से है सींचा मां,
लाड़ प्यार से किया है लालन–पालन।

दोस्त, दोस्त की खुशी से है जलता,
भाई, भाई की प्रगति से है दुःखी,
अपने से आगे बढ़ता देख,
केवल पिता ही हो सकता है सुखी ।
कह धनसिंह 'भारतीय' यदि तू चाहता है मेवा,
तो मात–पिता की कर ले सेवा ।

भावना

आर.डी. मीना

भावना अर्थात् (Feelings) को समझना आसान नहीं क्योंकि आज की भाग–दौड़ भरी जिन्दगी में किसी के पास समय ही नहीं कि किसी की भावना को समझे या जाने कि किसी की भावना को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। छोटे–बड़े, बुर्जुगों एवं व्यस्कों के पास समय का अभाव नजर आता है। किसी को किसी की भावना से कोई लेना–देना नहीं है। जो लोग समझदार या बुद्धिमान हैं वही दूसरों की भावना को समझ सकते हैं।

कुछ रोचक पहलुओं के माध्यम से भावनाओं (Feelings) को समझने का प्रयास करते हैं।

एक बार एक व्यक्ति एकाग्रचित होकर देख रहा था कि सामने बैठी सुन्दर एवं व्यस्क महिला ने तपाक से उस व्यक्ति के गाल पर जोर से थप्पड मार दिया। वह व्यक्ति झल्लाकर चीख पड़ा, मैंने क्या किया, मुझे क्यों मारा ? बेशर्म तेरी मां, बहन नहीं हैं जो इतनी देर से मुझे घूर रहा है। बेचारा आदमी झल्लाकर बोला, मैं तो आपके पीछे रखी तस्वीर को देख रहा था कि कलाकार ने क्या कलाकृति बनाई है। जिसे समझना आसान काम नहीं कि एक औरत किस तरह अपनी अस्मत बचाकर जीवन जीती है।

भावना का एक और पहलू लेते हैं कि मैं पूर्णिमा के दिन व्रत होने के कारण शाम के वक्त पूजा कर रहा था उसी समय मेरा बेटा कपड़े प्रेस कर रहा था कि एकाएक उसने मोबाइल पर बज रहे गाने की वोल्यूम तेज कर दी उसे पता था कि पापा पूजा कर रहे हैं किन्तु पसंद का गाना और उसकी धुन में बेटा इतना तल्लीन हो गया कि उसे अपने पापा की पूजा में विघ्न का कोई ख्याल ही नहीं रहा यानी मेरी भावनाओं का उस समय उसे कोई ध्यान नहीं था।

आज इस तेजी से बदलते समय में भावनाओं का ख्याल रखना कठिन लगने लगा है। भावनाएं भी आज इस बदलते परिवेश में बदलती नजर आती हैं। किसकी किस के प्रति भावना कैसी होगी इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन ही है। उदाहरणार्थ :–

1. गुरू के प्रति शिष्य की एवं शिष्य के प्रति गुरू की भावना।
2. माता–पिता के प्रति औलाद की भावना।
3. भाई के प्रति बहन की भावना एवं बहन के प्रति भाई की भावना।

4. पति–पत्नी की एक–दूसरे के प्रति भावना।

5. अधिकारी एवं कर्मचारी की एक–दूसरे के प्रति भावना।

6. बड़ों के प्रति छोटों की एवं छोटों के प्रति बड़ों की भावना।

7. पड़ोसी के प्रति पड़ोसी की भावना।

8. एक देश की दूसरे देश के प्रति भावना।

9. किसी अन्जान व्यक्ति के प्रति भावना।

10. जीव–जन्तुओं के प्रति भावना।

भावना किसी के भी प्रति हो वह माता–पिता, गुरू और अपने आस–पास के वातावरण द्वारा ही दिए गए संस्कारों और शिक्षा द्वारा ही प्रेरित होती है। जो जिस माहौल में पैदा हुआ, पला, बड़ा हुआ और जिसे जैसे संस्कार मिले उसकी वैसी ही भावना होगी। आज बदलती पीढ़ी की भावना भी बदलती सी नजर आने लगी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी (जनरेशन गेप) में इतने बदलाव आ गए हैं कि जिसे समझना ही मुश्किल है। समय के साथ बदलाव आना भी स्वाभाविक ही है। परन्तु इतने बदलाव भी नहीं आने चाहिए कि एक के प्रति दूसरे की भावना ही बदल जाए। जब नई–नवेली दुल्हन आती है तो वह अपने पति के प्रति संबोधन में 'जी' शब्द का इस्तेमाल करती है किन्तु धीरे–धीरे समय के साथ संबोधन में भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ सब कुछ बदलता है वह और बात है कि बदलाव धीरे–धीरे हो। जो आज है उसमें बदलाव कल नहीं तो आने वाले समय में अवश्य होगा परन्तु बदलाव भी एक सीमा तक तो ठीक है उससे आगे बदलाव होगा तो वह असहनीय होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भावना में भी बदलाव जरूरत से ज्यादा होगा तो वह भी असहनीय होगा। जब मनुष्य जवान होता है तो उसकी भावना और सोच अलग होती है परन्तु समय के साथ उसकी भावना और सोच में भी अंतर आने लगता है। भारत एक महान देश है जहां अलग–अलग संस्कृति, वेश–भूषा, जीवन शैली और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यहां पर भावनाएं ही एक दूसरे को जोड़ती हैं। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक–दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। इसीलिए इस ऋषि–मुनियों के देश में भावनाओं का आदर सत्कार किया जाता है और एक–दूसरे की भावनाओं को समझकर उनके प्रति पूर्ण सम्मान दिया जाता है। यही हमारी संस्कृति है।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

वर्षा जल संचयन

प्रोमिला भल्ला

इस तर्क से सभी सहमत होंगे कि पानी बहुमूल्य प्राकृतिक देन है, जो मानव को जीवित रखने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक विकट संकट बनता जा रहा है। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, पानी के अपने स्थानीय स्रोतों को पुनर्जीवित कर और उन्हें संरक्षित करने के लिए हमें बाधित कर रहा है। इस तरह एक तरफ स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा, दूसरी तरफ, सूखे से जूझने की क्षमता भी होगी। यही कारण है कि हमारे देश में भारत सरकार एवं गैर–सरकारी संस्थाएं पानी की कमी को पूरा करने के लिए – वर्षा जल संचयन (वाटर हार्वेस्टिंग) को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों एवं जनता को पानी को सहेज कर रखने एवं उसका उपयोग बुद्धिमानी एवं संयम के साथ करने के लिए जागरूक कर रही है।

वर्षा जल संचयन क्या है?

वर्षा जल संचयन वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इक्ट्ठा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है।

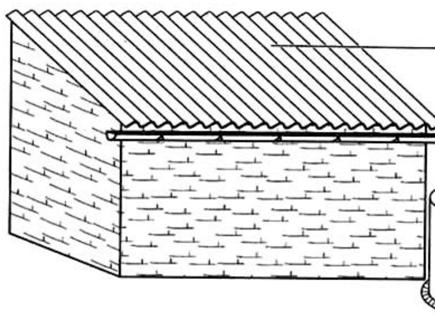

वर्षा जल संचयन के लाभ

वर्षा जल संचयन उन सब क्षेत्रों में लाभदायक एवं उपयुक्त है, जहां

1. भू–जल कम है।
2. भू–जल दूषित है।
3. जमीन पर्वतीय है।
4. भूकम्प या बाढ़ संबंधी घटनाएं आम हैं।
5. पानी बहुत खारा है।

पृथ्वी पर उपलब्ध जल में स्वच्छ जल का हिस्सा केवल 3 प्रतिशत है और उपलब्ध स्वच्छ जल का 11 प्रतिशत भूजल के रूप में 800 मीटर की गहराई तक उपलब्ध है जिसे उपयोग के लिए निकाला जा सकता है। प्रकृति के इस सीमित मात्रा में उपलब्ध मूल्यवान संसाधन का नियमित उत्सर्जन एवं अति उपयोग ने इसकी मात्रा एवं गुणवत्ता में भी कमी ला दी है। इस बहुमूल्य स्रोत को पूर्ण करने हेतु वर्षा जल संग्रहण /संचयन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

दैनिक प्रयोग के लिए वर्षा जल संचयन से घर की छतों, स्थानीय कार्यालयों की छतों या फिर विशेष रूप से बनाये गये क्षेत्र से वर्षा को सीमेंट व ईंट से बने गड्ढे में एकत्रित करने के लिए तालाबों व नालियों (पाइप) द्वारा जोड़ दिया जाता है और तुरंत ही प्रयोग में लाया जाता है। इससे भूजल या नगरपालिका के जल कनेक्शन से होने वाले पानी की सप्लाई जैसे अन्य स्रोतों का यह पूरक हो सकता है।

जिन क्षेत्रों में पानी का अन्य कोई स्रोत न हो, वहां इस प्रकार के निर्माण कार्य द्वारा पानी का उपयोग खेती कार्यों में किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन की विधि से कम लागत पर जलापूर्ति द्वारा पानी की कमी को दूर किया जा सकता है।

भारत में वर्षा ऋतु में अधिक मात्रा में वर्षा जल प्राप्त होता है, परंतु सूखे में पानी की कमी से अकाल जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसका मुख्य कारण सही तरीके से वर्षा जल का संग्रहण न करना है। औसत भारत में 1170 मिमी. (46 इंच) वर्षा मापी गई है जो समस्त संसार के औसत 800 मिमी. (32 इंच) से अधिक है। परंतु भारत में वर्षा एक मौसम एवं छोटे समय तक अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इस कारण अधिक मात्रा में वर्षा ऊपरी सतह से ही बह जाती है और कम मात्रा में ही भूतल में जल का पुनर्भरण होता है। इसी कारण भारत के अधिक क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए भी पानी की कमी बनी रहती है। चेरापूंजी, जहां 11,000 मिमी. वार्षिक औसत वर्षा होती है, भी जलापूर्ति की कमी से ग्रस्त है क्योंकि वर्षा के पानी को संचयन नहीं किया जाता और वह व्यर्थ बह जाता है। अतः कितनी भी वर्षा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रस्तुत मुद्दा है कि हम कितना वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं?

वर्षा जल संचयन की संभावना

एक क्षेत्र द्वारा प्राप्त कुल वर्षा क्षेत्र को उस क्षेत्र का वर्षा अक्षय क्षेत्र कहते हैं। इसमें जिस मात्रा का वास्तविक रूप से संचयन हो सकता है, उसे जल संचयन संभावना कहते हैं।

जल संचयन संभावना = वर्षा × एकत्रित क्षमता

एकत्रित क्षमता इसलिए आंकी जाती है क्योंकि पूर्ण वर्षा जल का संचयन क्षेत्र, वाष्पीकरण और पानी के छलके जाने के कारण नहीं किया जा सकता। मानक जैसे अप्रवाह गुणांक और व्यर्थ बहते जल को भी जल संचयन क्षमता आंकते हुए ध्यान में रखा जाता है।

जैसे एक इमारत, जिसका समतल छत का क्षेत्र 100 वर्गमी. है और औसत वर्षा उस क्षेत्र में 600 मिमी. है और वाष्पीकरण से पानी व्यर्थ नहीं जाता है तो जल संचयन संभावना को आंकना आसान है।

क्षेत्रफल	=	100 (वर्गमी.)
वर्षा	=	600 मिमी.
वर्षा घनफल	=	क्षेत्रफल × क्षेत्र पर वर्षा
	=	100 × 0.6 मिमी.
	=	– 60 स्थितीय मीटर (6,000 लीटर)

अगर मान लिया जाये कि 60 प्रतिशत वर्षा का प्रभावी तौर से संचयन कर लिया गया है तो कुल पानी का घनफल जिसका संचयन किया जा सकता है = 36,000 लीटर (60,000 × 0.6)

यह घनफल 5 संख्या के परिवार की वर्ष भर पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा कर सकता है (औसत पीने के पानी की जरूरत 10 लीटर/व्यक्ति)

वर्षा जल संचयन तकनीक

शहरी क्षेत्रों में छत से प्राप्त वर्षा जल /वर्षा जल में उत्पन्न अप्रवाह संचित करने के लिए निर्गत निम्न संरचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है:–

- पुनर्भरण पिट (गड्ढा)
- पुनर्भरण खाई
- नलकूप
- पुनर्भरण कूप

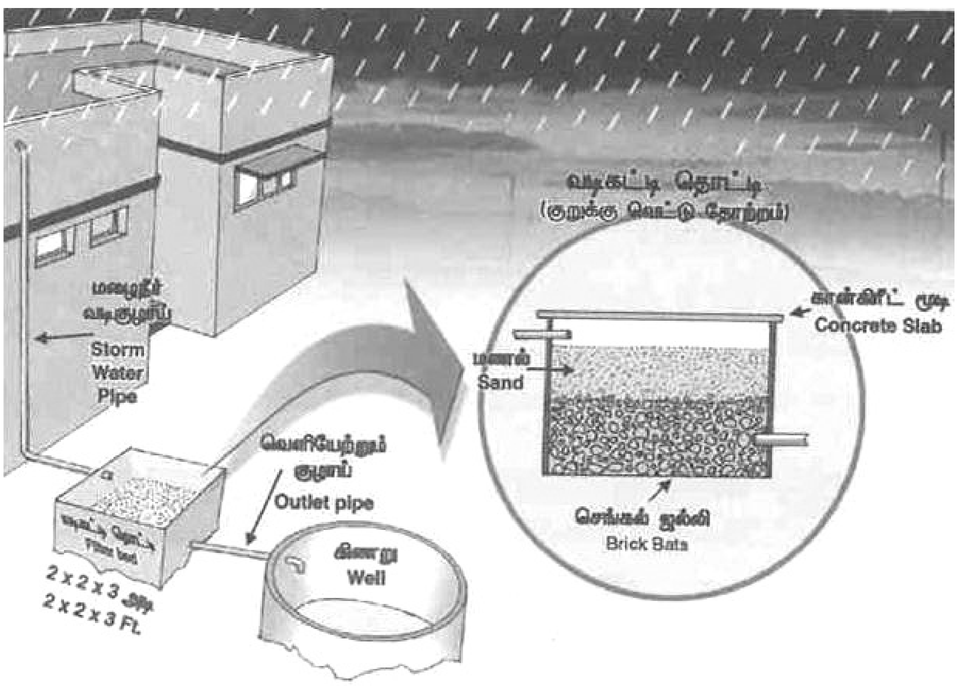

ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचित करने के लिए निम्न संरचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है:–

➢ परिरेखा (कंटूर) बंध

➢ परिस्त्रण टैंक (पर्कुलेशन टैंक)

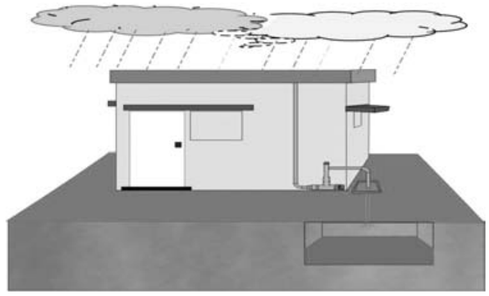

➢ चैक बांध

➢ पनुर्भरण शॉफ्ट

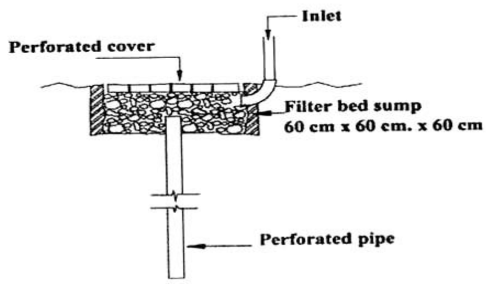

➢ कूप डग पुनर्भरण

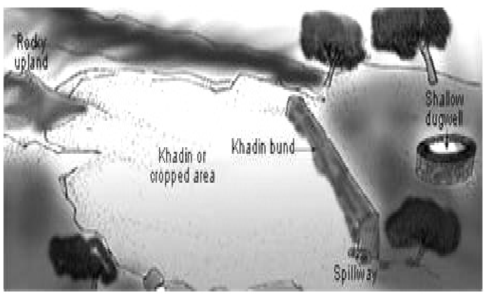

➢ भूमि जल बांध /उपसतही डाईक

संक्षिप्त रूप से वर्षा जल संचयन के दो उद्देश्य हैं:–

1. सतह पर और सतह के नीचे, पानी को घरेलू या अल्प कार्य के लिए इस्तेमाल हेतु पात्रों में एकत्र करके जरूरत अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है।

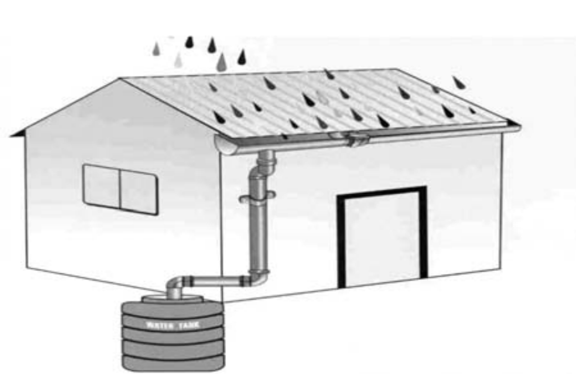

2. भूतल के लिये पुनर्भरण एवं बाद में बोर वेल या ट्यूबवैल द्वारा इस्तेमाल के लिये, जिससे भूमिगत पानी का स्तर सामान्य रहे।

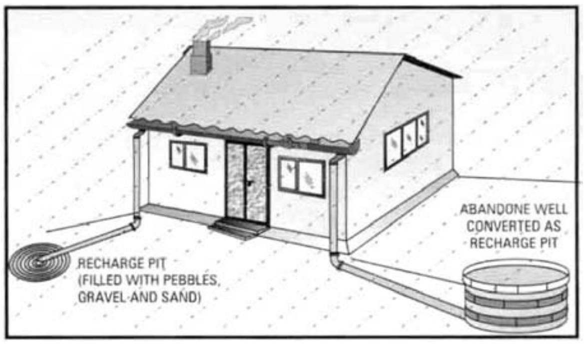

जल के भूगर्भीय स्रोतों पर तथ्य

कुआं पानी के संग्रहण के लिए नहीं होता है। कुआं भू–जल स्रोत को सतह से जोड़ता है। बरसात के मौसम में भू–जल की उपलब्धता के आधार पर कुएं में पानी का स्तर ऊपर और नीचे होता रहता है। वर्षा खत्म होने के लंबे समय बाद भी कुएं में पानी भू–जल स्रोत से रिस कर आता है। शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में बोर वेल से पानी प्राप्त करते हैं और निश्‍चित हो जाते हैं कि जमीन के भीतर वर्षा का पानी रिस कर गया होगा, परंतु बोर वेल सूख जाते हैं। बोर वेल को सूखने से बचाने के लिए वर्षा जल संचयन करते हुए बोर वेल के ऊपर पानी रिसने के लिए गड्ढा बनायें।

अतः वर्षा जल संचयन विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल रोकने और एकत्र करने की एक उपयुक्त विधि है। इसलिए सरकार ने एक अभियान चलाया जिसका नाम 'वर्षा जल संग्रहण' है। इस उपयुक्त विधि से धरती का जल स्तर बढ़ जाएगा। कुएं और बोर वेल्स सूखेंगे नहीं। कई क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान होगा, आंधी और बाढ़ में कमी आएगी तथा बिजली बनाने के कार्य में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश में वर्षा जल संग्रह व्यवस्था के बाद ही भवन निर्माण की मंजूरी दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही वर्षा जल संचयन योजना देश भर में अग्रणी आंकी गई है (दिव्य हिमाचल मई, 2011)। दक्षिणी राज्यों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

दिल्ली में वर्षा जल संचयन के उदाहरण हैं– राष्ट्रपति भवन, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, श्रीराम स्कूल, पंचशील कॉऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि., नई दिल्ली।

इस व्यस्त जीवन में जीवन को बचाने के लिए, जो पानी की कमी से पीड़ित न हो, वर्षा जल संचयन की विधि को समझने और परखने की आवश्यकता है ताकि लोगों को पानी की कमी से निजात मिल सके।

मेहनत और कर्म से बनती है तकदीर

उदयवीर सिंह प्रजापति

लगभग साठ सत्तर वर्ष पहले तारीफ सिंह नाम का एक व्यक्ति गांव रिठोरी जनपद बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में निवास करता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वह गांव के गरीब लोगों की मुसीबत में सहायता करता था। कुछ समय पश्चात् उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम चन्दर सिंह रखा गया। समय की ऐसी विडम्बना हुई कि तारीफ सिंह अपने भाई के बच्चों से प्यार करने लगा और अपनी पत्नी और लड़के को घर से निकाल दिया। तारीफ सिंह की पत्नी अपने बेटे को लेकर अपने मायके में आकर रहने लगी और मेहनत मजदूरी करके अपना एवं बच्चे का पालन–पोषण करने लगी। समय ने फिर करवट बदली और तारीफ सिंह के भाई के लड़के ने तारीफ सिंह को धोखा दिया और उसकी सारी सम्पत्ति एवं जेवर अपने कब्जे में कर लिए और तारीफ सिंह को घर से निकाल दिया। तारीफ सिंह ने मजबूरी की हालत में गांव के उन लोगों से सहायता की भीख मांगी जो कभी उनकी सहायता करता था, लेकिन उन लोगों से उसे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली।

अब तारीफ सिंह को अपनी पत्नी व पुत्र की याद आई। काश ! मैं अपने पुत्र को पढ़ा–लिखाकर उसे काबिल बनाता तो शायद आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। किसी तरह तारीफ सिंह अपनी पत्नी व पुत्र से मिला और उन्हें अपने गांव वापस लाया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने तारीफ सिंह को उसका घर वापस दिलाया जहां वे तीनों प्राणी अपना समय व्यतीत करने लगे। चन्दर अभी 20 वर्ष का था तथा मजदूरी करके अपने माता–पिता का पालन कर रहा था कि अचानक तारीफ सिंह को लकवा मार गया। तारीफ सिंह को इलाज के लिए दिल्ली के किसी हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया लेकिन समय ने यहां पर भी उनका साथ नहीं दिया और 15 दिन बाद तारीफ सिंह का निधन हो गया।

कुछ समय पश्चात् चन्दर की शादी हो गयी और उनके यहां एक बेटी का जन्म हुआ। छः माह बाद चन्दर की बेटी और मां गुजर गयी। चन्दर की पत्नी और चन्दर ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत मजदूरी करते रहे। लेकिन ताऊ का लड़का उन्हें बर्बाद करना चाहता था और एक दिन चन्दर की पत्नी खेत पर काम करने गई हुई थी तो चन्दर के ताऊ ने उसे कुएं से पानी लाने को भेजा और स्वयं पीछे से उसे धक्का दे दिया जिससे वह कुएं में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों के बाद चन्दर सिंह की दूसरी शादी हो गयी। चन्दर ने अपनी दूसरी बीबी को पूरी कहानी बताई। तब दूसरी पत्नी ने पति का साथ दिया और कहा कि अब से आगे की कहानी मुझ पर छोड़ दो और देखते जाओ कि मैं इस परिवार को किस तरह सबक सिखाती हूं। चन्दर की दूसरी पत्नी को भी उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया लेकिन अपनी हिम्मत से सभी को मात देती रही और धीरे–धीरे चन्दर के परिवार में एक–एक कर चार पुत्रों और दो पुत्रियों ने जन्म लिया। चन्दर ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन–पोषण किया तथा सभी को दसवीं कक्षा तक पढाया तथा सभी की शादी अच्छे परिवारों में की तथा चारों बेटों ने भी अपने पिता का नाम रोशन किया। आज सारे बच्चे भी अपने परिवारों के साथ अपने मॉ–बाप को कभी एहसास नहीं होने देते कि कभी वो तीन–तीन दिन में खाना बनाते थे लेकिन आज मुझे दुःख है तो सिर्फ इस बात का कि ताऊ का जो लड़का इतने अच्छे ओहदे पर था आज उसका सब कुछ नष्ट हो गया। जो दूसरों का बुरा चाहता है, उसका बुरा स्वयं हो जाता है ये मेरा अपना अनुभव है।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)

नीलम शर्मा

परिचय :

यू.आई.डी.एस.एम.टी. योजना जे.एन.एन.यू.आर.एम. के एक अंग के रूप में दिसम्बर, 2005 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरु की गई। उस समय चल रही आई.डी.एस.एम.टी. एवं ए.यू.डब्लू.एस.पी. योजनाओं को इस योजना में सम्मलित कर दिया गया है। इस नई योजना की अवधि सात वर्ष (2005 से 2012 तक) निश्चित की गई है।

वर्तमान स्थिति (30 अप्रैल 2011 तक)

- योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य स्तरीय मंजूरी समितियों द्वारा कुल 1037 परियोजनाएं, जिनकी लागत 22121.67 करोड़ रू है, स्वीकृत की जा चुकी हैं।
- इस योजना के तहत 10133.63 करोड़ रू का प्रावधान किया जा चुका है जिसमें से 35 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के 644 नगरों की 767 परियोजनाओं के लिए 754427.05 करोड़ रू जारी किए जा चुके हैं।
- अप्रैल 2011 तक 753 उपयोगिता प्रमाणपत्र देय थे जिनमें से 489 प्राप्त किए जा चुके हैं और 264 अभी लम्बित हैं।
- वर्ष 2005–06 से 2010–11 अतिरिक्त केन्द्रांश राशि का प्रावधान एवं अवमुक्त राशि का वर्षवार ब्यौरा तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका – 1 : अतिरिक्त केन्द्रांश राशि – प्रावधान एवं अवमुक्त

राशि करोड़ रू. में

वर्ष	राशि का प्रावधान	जारी राशि
2005–06	90.00	87.47
2006–07	1248.97	1248.97
2007–08	1204.00	1204.00
2008–09	3279.69	3280.25
2009–10	3576.97	298.82
2010–11	1508.71	1223.44
2011–12	2308.11	201.31
कुल	10133.63	7544.27

- योजना के अर्न्तगत स्वीकृत परियोजनाओं में अधिकतम प्रतिशत जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए है। विभिन्न घटकों के अर्न्तगत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं प्रतिशत तालिका – 2 में दर्शाई गई है।

तालिका – 2 : विभिन्न घटकों के अर्न्तगत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं प्रतिशत

घटक	संख्या	प्रतिशत
जल आपूर्ति	565	54.48
सीवरेज (मल)	174	16.78
नालियों/बरसाती नालों का सुधार	78	7.52
जल स्रोतों का संरक्षण	10	0.96
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.)	70	6.75
शहरी नवीनीकरण एवं विरासत क्षेत्रों (heritage areas) का विकास	12	1.16
मृदा संरक्षण (soil conservation)	1	0.10
पीपीपी मोड पर पार्किंग स्थल	1	0.10
सड़क सुधार एवं निर्माण	126	12.15
कुल	1037	100.00

तालिका – 3 : राज्यों में योजना के तहत शामिल नगर, स्वीकृत परियोजनाएं तथा जारी राशि (अप्रैल, 11 तक)

क्रम सं	राज्य	शामिल नगरों की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जारी राशि (लाख रू)
1	अंडमान निकोबार	—	—	—
2	आंध्रप्रदेश	69	84	173176.01
3	अरूणाचल प्रदेश	9	9	1771.19
4	असम	28	30	9955.94
5	बिहार	11	11	10674.39
6	चण्डीगढ़	—	—	—
7	छत्तीसगढ	3	4	9183.92
8	दादर एवं नगर हवेली	1	1	745.89
9	दमन एवं दीव	1	1	31.00

क्रम सं	राज्य	शामिल नगरों की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जारी राशि (लाख रू)
10	दिल्ली	—	—	—
11	गुजरात	52	52	30407.37
12	गोवा	2	2	916.00
13	हरियाणा	7	8	6714.58
14	हिमाचल प्रदेश	4	6	1180.86
15	झारखंड	4	5	4003.32
16	जम्मू एवं कश्मीर	13	45	18354.04
17	केरल	22	25	17340.73
18	कर्नाटक	30	38	46861.99
19	लक्षद्वीप	—	—	—
20	मध्य प्रदेश	33	47	35264.28
21	महाराष्ट्र	86	94	164156.28
22	मणिपुर	5	5	2845.44
23	मेघालय	2	2	644.97
24	मिजोरम	2	2	699.77
25	नागालैण्ड	1	1	190.75
26	उड़ीसा	13	17	9170.22
27	पंजाब	14	17	17936.24
28	पुदुचेरी	1	1	1567.20
29	राजस्थान	35	37	28421.97
30	सिक्किम	5	5	1820.48
31	त्रिपुरा	4	4	3582.38
32	तमिलनाडु	115	123	55964.63
33	उत्तरप्रदेश	46	64	75592.62
34	उत्तराखण्ड	1	1	2469.30
35	पश्चिम बंगाल	25	26	22783.29
	कुल	644	767	754427.04

इन्हें अपनाइए और टेंशन दूर भगाइए

डॉ. अशोक कुमार बंदूनी

1. सकारात्मक सोच रखती है स्वस्थ। कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी सब कुछ आपके भीतर छिपा है।

2. किसी बात पर अधिक चिन्ता न करें अधिक चिन्तन करें। कोई घटना हो गई हो तो उस पर दिमागी मंथन न करें, सदा प्रसन्नचित रहने का प्रयास करें।

3. जब आप घर में हों तो बच्चों के साथ खूब मस्ती करें, उछल–कूद करें, यह क्रिया आपको एनर्जी देगी और मन प्रफुल्लित रखेगी। वैसे भी बच्चों के साथ प्रतिदिन थोड़ा समय बिताने से ही सारी टेंशन दूर हो जाती है।

4. आप भी किसी खेल संस्था या किसी सामाजिक संस्था से जुड़ें और उसके लिए अपना समय निकालें, फिर देखें आपका समय कैसे बीतता है।

5. आध्यात्म और धर्म के लिए भी कुछ समय निकालें, इससे मन एकाग्र रहता है। कुछ समय स्वयं के लिए भी निकालें, अपनी पसंद का कोई काम करें, एकांत में ध्यान करें।

6. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पंद्रह मिनट का समय निकालकर गहरी–गहरी सांस लें, यह आपके फेफड़े और शरीर को उर्जा प्रदान करेगी।

7. परेशानियों और उलझनों के बारे में जितना सोचते हैं, वे उतना ही परेशान करती हैं और दिमागी रूप से मानव को कमजोर कर देती हैं। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।

8. अपने गुस्से पर काबू रखें, गुस्सा व्यक्तित्व का नाश करता है और समाज में नीचा दिखाता है। जब आपको किसी बात पर गुस्सा आए तो पानी पीएं व अपने को किसी अन्य काम में व्यस्त कर लें, कमरे से बाहर निकल जाएं, संबंधित विषय से हट जाएं। जब आप गुस्से पर काबू पा जाएंगे तो आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा।

9. आत्मविश्वास बढ़ता है और डर की भावना खत्म हो जाती है।

10. सकारात्मक सोच विपरीत परिस्थितियों से बचाती है।

11. खुशहाल और उर्जावान रहते हैं। कुछ नया और बेहतर करने की सोचते हैं।

12. लक्ष्य पर ही ध्यान केन्द्रित रहता है इसलिए संगीत सुनें।

13. यह दूसरों के साथ विश्वास और आपसी समझ को बढ़ावा देती है।

14. तनाव नहीं होता। आप व्यवस्थित होकर काम करते हैं।

15. कठिन परिस्थितियों से घबराएं नहीं। अपने दिमाग को शांत रखें और समस्या से उलझने के बजाए उसे हल करने की सोचें।

16. जीवन में आने वाली हर छोटी से छोटी खुशी की कल्पना करें।

17. योग और व्यायाम करें।

18. खूब हंसे–यह तनाव को दूर करने के लिए रामबाण का काम करता है।

19. अहंकार का त्याग करें।

20. प्रेमपूर्वक जीवन बिताएं।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

राष्ट्र भाषा किसी व्यक्ति या प्रांत की सम्पत्ति नहीं है, इस पर सारे देश का अधिकार है।

–सरदार पटेल

हिंदी देश की एकता की ऐसी कड़ी है जिसे मजबूत करना प्रत्येक भारतीय का कर्त्तव्य है।

–इन्दिरा गांधी

हिंदी पखवाड़े के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री रामचरण लाल मीना, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), शहरी विकास मंत्रालय का स्वागत करते हुए मुख्य नियोजक महोदय

हिंदी पखवाड़े के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर उपस्थित अपर मुख्य नियोजक, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी

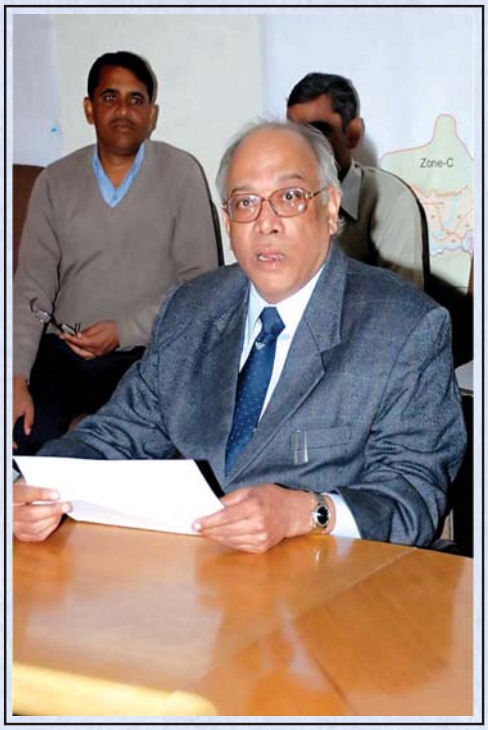

हिंदी कार्यशाला के अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्य नियोजक महोदय

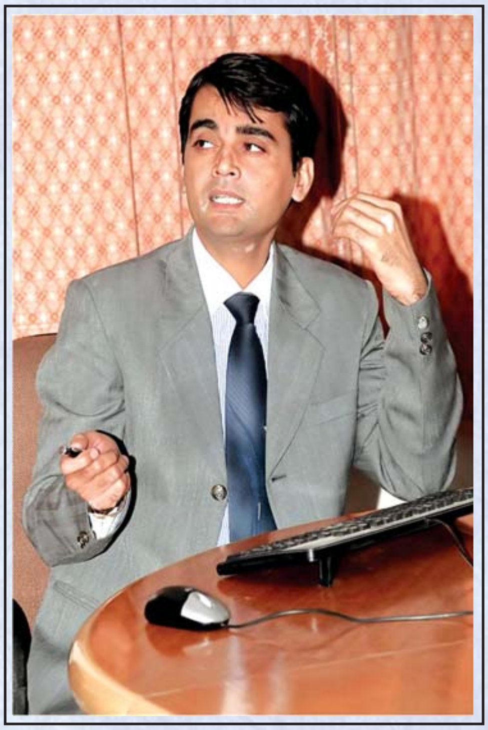

मोहम्मद मोनिस खां, नगर एवं ग्राम नियोजक हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देते हुए

श्री अनिल कुमार राठौर, सह वास्तुकार हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देते हुए

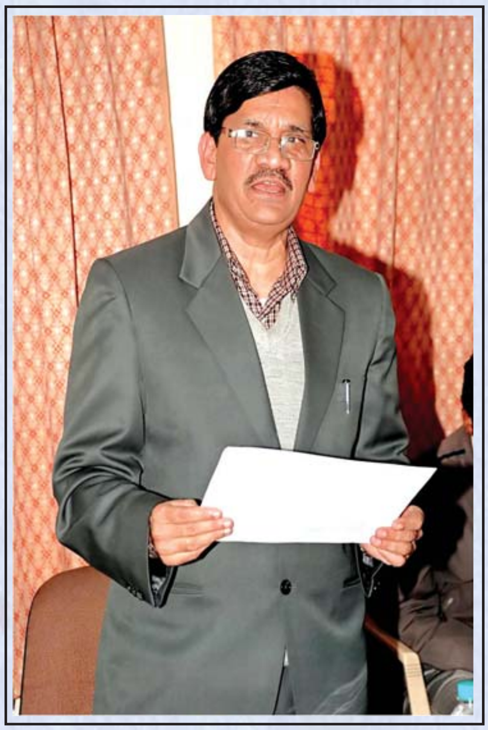

हिंदी कार्यशाला के अवसर पर हिंदी कार्यशाला के महत्व को बताते हुए हिंदी प्रभारी

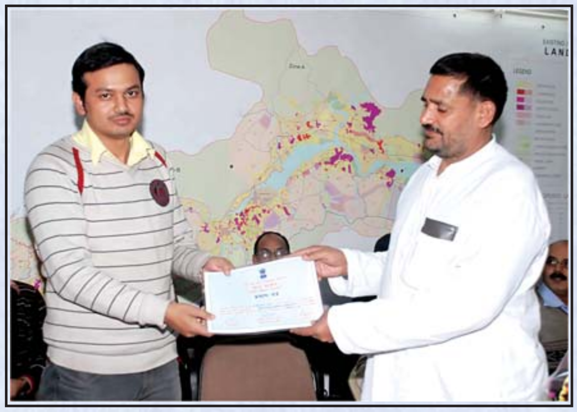

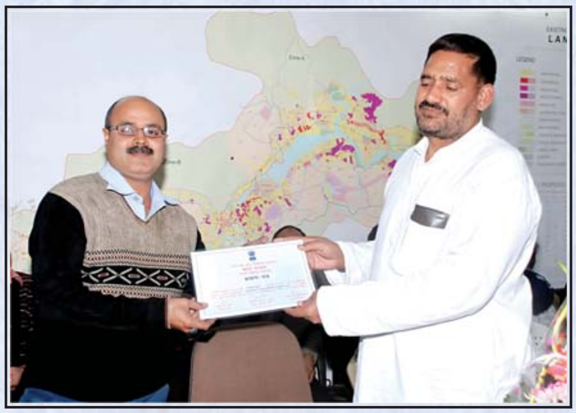

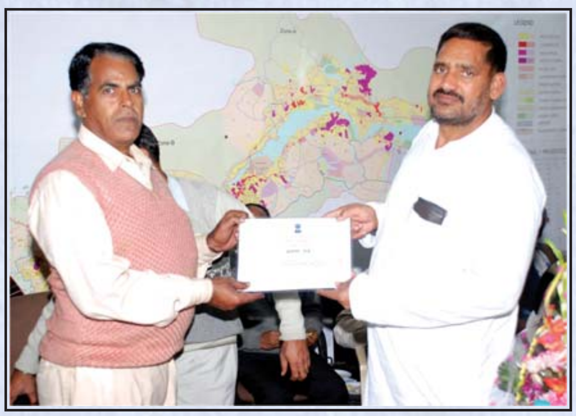

हिंदी पखवाड़े के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि से पुरस्कार प्राप्त करते हुए हिंदी प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगी

हिंदी पखवाड़े के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी

खुद को भुला बैठे हैं

धनसिंह वर्मा

तेज भागती जिन्दगी
संतुलन गवांये बैठे हैं,
आदर बड़ों का करते नहीं
अपने तक सिमटे बैठे हैं ।

अंधानुकरण में हो गए नंगे
सब कुछ है पास,
फिर भी हैं भिखमंगे
ऑखें होते हुए अंधे बने बैठे हैं ।

धन है कमाना
चाहे किसी भी हद तक हो जाना,
ऐसी होड़ पाले
सभी बैठे हैं ।

प्यार का भरते हैं दम
वफा हो गई खत्म,
हर दिन तलाक लेते हैं
मर्यादा भुला बैठे हैं ।

कह धन सिंह 'भारतीय'
कभी थे सिरमौर, अब हीन समझ,
अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठे हैं
खुद को भुला बैठे हैं।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

धोखा

विपिन

स्कूल का वार्षिकोत्सव चल रहा था। हम सभी कक्षा आठ के विद्यार्थियों ने भी अपनी–अपनी कलात्मक प्रतियों को बनाना प्रारम्भ कर दिया था। प्रधानाचार्य ने प्रातःकालीन प्रार्थनासभा में यह घोषणा की थी कि प्रथम दस अच्छी प्रतियों को स्कूल की तरफ से 500–500 रूपये की छात्रवृति प्रदान की जाएंगी। यह सुनते ही सभी छात्रों के चेहरे ऐसे खिल उठे जैसे रेगिस्तान में बारिश की बूंदों से मृत प्रायः वनस्पतियों को नई जिंदगी मिल गई हो। सभी छात्र अपनी–अपनी कार्रवाई को अंतिम रूप देने में लगे थे। अपनी कलाकृति को दस दिनों में स्कूल के हाल में प्रदर्शित करना था।

मैंने भी अपनी कलाकृति को माचिस की तीलियों से बनाया था तथा बीच में जलते बल्ब से रोशनी की थी। ऐसा सुन्दर दृश्य बनता था कि जैसे ही बल्ब जलाएं, सुबह का दृश्य नजर आता था।

मेरे एक सहयोगी ने भी एक दीपावली की कलाकृति बनाई थी। भगवान राम तथा माता सीता की दिव्य प्रतिमा ऐसे उभर कर आ रही थी कि जैसे अंधेरे से उजाले की नई किरण रोशन हो रही हो।

प्रदर्शनी शुरू होने से कुछ समय पहले मैंने देखा कि मेरे माडल में से किसी ने बल्ब का प्लग निकाल लिया है जिसके कारण कलाकृति का बल्ब नहीं जलाया जा सकता। तभी मेरी निगाह पास के प्रोजेक्ट पर पड़ी मुझे लगा कि उसने ही प्लग निकालकर अपनी कलाकृति में प्रयोग कर लिया है। मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। कुछ ही देर में प्रदर्शनी शुरू होने वाली थी। मैंने अध्यापक महोदय से सारी बात कही तो उन्होंने उसी समय उस विद्यार्थी को डांटा और अपने पैसे से बाजार से नया प्लग लाने को कहा। मुझे इसमें अपनी जीत का अहसास हो रहा था। उस विद्यार्थी ने विरोध जताया परंतु अध्यापक के आगे उसकी कुछ नहीं चली तथा उसे बाजार से मेरे लिए नया प्लग लाना ही पड़ा। उसने मुझे बताया कि वह इसे अपने जेबखर्च के पैसों से लाया है। परन्तु मैंने सोचा कि बुरा किया है तो भुगतो।

प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी तरह खत्म हुई। मुझे सातवां स्थान मिला तथा अध्यापक ने उस विद्यार्थी को दसवां स्थान दिया। मैं दंभ से चारों तरफ देख रहा था व अपनी कलाकृति की तारीफ सुनने को लालायित था। तभी अध्यापक महोदय ने सभी छात्रों को अपनी कलाकृतियां जोड़ने का आदेश दिया ताकि अगले दिन कक्षा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तभी मेज के नीचे से एक चीज मेरे जूते से टकराई जो थोडी और नीचे चली गई थी। मैंने झुककर देखा तो मुझे काटो तो खून नहीं। वहां मेरी कलाकृति का प्लग पड़ा था जो शायद टेबल खींचते समय अटक कर गिर गया था। मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। मैं न कुछ कह पा रहा था और न हीं सुन पा रहा था। उस समय मुझे यह वाक्य याद आ रहा था कि जो कुछ हमें दिखायी देता है वह हमेशा सच नहीं होता।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

महानगरीय योजना समिति : राष्ट्र के समन्वित विकास में योगदान एवं चुनौतियां

उदित रत्न

1.0 प्रस्तावना

21वीं शताब्दी में अधिकतर विकासशील देशों में लगभग आधी आबादी नगरों एवं कस्बों में रहना प्रारम्भ कर देगी। सम्प्रति भारतवर्ष में लगभग 30 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है। परिवर्तन की लहर, आने वाले दशकों में तीव्र होने की संभावना है। चीन, इण्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, ब्राजील जैसे देशों में, जहां कि प्रतिव्यक्ति आय ज्यादा है, शहरीकरण की दृष्टि से काफी आगे निकल चुके हैं। भारत में वर्ष 2001 में कुल महानगरों की संख्या 35 से बढ़कर 2011 में 50 एवं 2031 में 87 होने की संभावना है, जहां कुल शहरी आबादी लगभग 6000 मिलियन हो जायेगी। शहरीकरण की इस प्रक्रिया में महानगरों की नगरीय सीमा में विस्तार होगा, आस–पास की नगरपालिकाएं एवं छोटे–छोटे बाजार नगरीय सीमा से जुड़ेंगे और विशाल गांव जहां शहरी जीवन की सुविधाएं छुट–पुट उपलब्ध हैं, महानगरीय क्षेत्र से जुड़कर उसके आकार को बढ़ायेगी, परिणामस्वरूप इन महानगरों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की मांग में बढ़ोतरी होगी। मांग एवं पूर्ति के बीच दूरियां बढ़ेंगी। ऐसे में यह एक चुनौती एवं अद्भुत अवसर दोनों ही होगा।

इस चुनौती का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने हेतु महानगरों का विनियमन एवं उनका सही दिशा में टिकाऊ विकास तथा उनमें उच्च स्तरीय शहरी सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है। बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे के प्रावधान के जरिये ही प्रलयकारी शहरीकरण की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इन चुनौतियों का सामना करना एक अद्भुत अवसर इसलिए है कि आज राष्ट्र में शहरों के विकास के लिए सशक्त कानून बने हैं। इनके विकास के लिए नीति दस्तावेज निर्गत किये गये हैं। यही नहीं, इनके एकीकृत विकास हेतु कई योजनाएं चलायी गयीं हैं। ऐसे स्वर्णिम अवसर की खोज सर्वदा नगर नियोजकों, नीति निर्धारकों, प्रशासकों एवं पर्यावरणविदों को रही है।

2.0 महायोजना दस्तावेजों में समन्वय का अभाव

हमारे देश में शहरों के विकास हेतु आज तरह–तरह के महायोजना दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। प्रायः एक विभाग द्वारा तैयार महायोजना का समन्वय दूसरे विभाग द्वारा तैयार की गयी महायोजना से नहीं हो पाता। परिणामतः विकास भ्रमित हो जाता है, उसके अवयव विकलांग हो जाते हैं एवं उत्पादन टिकाऊ न होकर अस्थायी बन जाता है। तात्कालिक प्रभाव तो सकारात्मक दिखता है, परंतु दीर्घकालिक उपाय नहीं निकलता है। शहर में मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है एवं शहरी गरीब और उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुविधाओं के विकास में निरंतर कमी बनी रहती है। अकेले शहरी विकास मंत्रालय के अधीन लगभग दर्जनों प्रकार की महायोजनाएं बनाने का प्रावधान है जो निम्नवत् हैं:

1. शहरी महायोजना
2. स्वच्छ शहर योजना
3. सौर योजना
4. स्वस्थ शहर योजना
5. व्यापक विकास योजना
6. आवास एवं पर्यावास योजना
7. मलिन मुक्त शहर योजना
8. शहरी स्ट्रेटेजिक योजना
9. व्यापक मोबिलटी योजना, एवं
10. ईको शहर योजना ।

एक तरफ जहां महायोजनाओं की भरमार है वहीं संस्थानों की बहुलता तथा उनके कार्यों में पुनरावृत्ति के चलते ग्रामीण शहरी एकीकरण होने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। सुविधाओं को मुहैया कराने एवं संसाधनों के प्रयोग के हिसाब से ग्रामीण गतिविधियों का एकीकरण छोटे एवं मझौले शहरों एवं पुनः बड़े शहरों के साथ नहीं हो पा रहा है जिसके लिए संविधान के कानून, जिसका कार्यान्वयन शतप्रतिशत नहीं हुआ है, पूर्णरूपेण जिम्मेदार है।

3.0 महानगरीय योजना समिति के गठन की समीक्षा

संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा अनिवार्य व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार अपने राज्यों के महानगरीय क्षेत्रों हेतु महानगरीय योजना समिति (एमपीसी) गठित करे। परंतु संविधान संशोधन के लगभग दो दशक के बाद भी कोलकाता एवं मुंबई को छोड़कर एमपीसी का गठन कहीं भी नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश एवं गुजरात सरकार द्वारा क्रमशः हैदराबाद एवं अहमदाबाद में एमपीसी गठन हेतु इनेबलिंग संविधान का प्रावधान किया गया है। एमपीसी एक ऐसा अस्त्र है जोकि महानगरीय क्षेत्र की विकास योजना की दूरदर्शिता एवं युक्ति को ध्यान में रखते हुए महानगरीय क्षेत्र के एकीकृत एवं समन्वित विकास का मार्ग खोलेगी।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरी विकास योजना फार्मूलेशन एवं कार्यान्वयन–दिशानिर्देश 1996 के तहत मॉडल शहरी एवं क्षेत्रीय योजना तथा विकास कानून बनाये गये जो महानगर स्तर पर एमपीसी एवं जिला स्तर पर जिला योजना समिति (डीपीसी) गठन करने में मददगार सिद्ध होंगे। वस्तुतः वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 1996 के इस दिशानिर्देश को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है।

4.0 एमपीसी से जुड़ी समस्याएं

एमपीसी को कारगर रूप देने में निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है :

1. आज राज्य सरकारों को एक चुनौती से गुजरना पड़ रहा है कि यदि राज्य में दो महानगर बहुत समीप हों तो किसे एमपीसी का दर्जा दिया जाये तथा किस नगरपालिका/कस्बे को किस एमपीसी में रखा जाये। उन छोटे–छोटे स्थानीय निकायों को किसी एमपीसी में सम्मिलित करने हेतु क्या मापदण्ड हो? उसे किस तरह अमल में लाया जाये और यदि डुप्लीकेशन हो रहा हो तो इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा? कुछ ऐसी ही बात मुंबई, पुणे महानगर तथा हैदराबाद, सिकन्दराबाद महानगर में उठ रही है।

2. नगरपालिका सुधार प्रक्रिया में आधे–अधूरे प्रयास ही देखने को मिलते हैं। नगरों के आरपार और उनकी सेहत की तरफ कम ध्यान दिया गया है।

3. राष्ट्र में शहरी स्थानीय निकायों को सक्षम, समान तथा पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया शिथिल है। राष्ट्रव्यापी परियोजनाओं की परिकल्पना, डिजाइन और उनके कार्यान्वयन की क्षमता का विकास इन शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से संभव है ताकि शहरी गरीबों के कल्याणार्थ प्रक्रिया अपनायी जा सके।

4. राष्ट्र में अनेक नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति दयनीय है। कभी–कभी तो स्थापना मद का खर्च इतना बढ़ जाता है कि दूसरे मद से निधि के विचलन की नौबत आ जाती है। संबंधित राज्य के वित्त आयोग की रिपोर्ट को शतप्रतिशत अमल में न लाना, कुसंगत कर प्रणाली का विद्यमान होना, नागरिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में शिथिलता तथा शहरी निकायों की समीक्षा न होना इत्यादि नगरपालिकाओं की दयनीय वित्तीय स्थिति होने के प्रमुख कारण हैं।

5. नगरपालिकाओं की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति हेतु सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) आवश्यक है। इनके विकास में निजी निवेश एवं बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की अहम भूमिका है।

6. महानगरीय योजना समिति एवं विकास प्राधिकरण के बीच समन्वय (इंटरफेस) होना अतिआवश्यक है। महानगरीय विकास प्राधिकरण एवं शहरी विकास प्राधिकरण को एमपीसी के तकनीकी सचिवालय के तौर पर प्रारंभ में कार्य शुरू करना होगा। विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विकास योजना को अंतिम रूप एमपीसी द्वारा ही दिया जाना होगा। राष्ट्र की बहुत सी नगरपालिकाएं कार्यसीमा को लेकर विकास की राह से भटक गई हैं। ऐसे में 74वें संशोधन कानून को कारगर बनाने हेतु ठोस दिशानिर्देश की आवश्यकता है।

7. महानगरों की सबसे बड़ी समस्या है कि इनके इर्द–गिर्द ऐसे छोटे कस्बों का विकास हो गया है जहां नियम कम हैं, आजादी ज्यादा है। जैसे ही इन्हें एमपीसी का हिस्सा बनाया जाएगा, समस्याओं में

चौगुना विस्तार हो जाएगा। जल एवं विद्युत आपूर्ति, सीवर प्रणाली, मल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, तंग बस्तियों के सुधार एवं शहरी गरीबों हेतु आवास मुहैया कराने की दिशा में अत्यंत संवेदनशीलता की जरूरत है।

8. राष्ट्रीय स्तर पर जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत राजीव आवास योजना का पदार्पण हो चुका है। इस योजना के तहत मलिन बस्ती मुक्त शहर बनाने की परिकल्पना है। इसके तहत मलिन बस्ती में उपचारात्मक (क्यूरेटिव) एवं पुनर्विकास (रिडेव्लपमेंट) की कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर तंग बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आवास एवं उससे संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। तंग बस्ती में रहने वालों का विकास मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करेगा।

   (क) इनके लिए प्रचुर भूमि उपलब्ध करायी जाये, स्वभाव से जमीनी स्तर पर (होरिजेंटल) फैलाव पसंद करने वाले स्लम को उच्च मंजिला (वर्टिकल) फैलाव वाला आवास पसंदीदा नहीं। अतः उनकी बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में भूमि की मांग में बढ़ोतरी होगी।

   (ख) स्लम वृद्धि में नियंत्रण उनके क्यूरेटिव एवं पुनर्विकास से नहीं अपितु उनके रोकथाम (प्रिवेंटिव) के तरीके द्वारा होगा। राष्ट्र में ऐसा कानून नहीं कि प्रवसनकर्ता (माइग्रेंट) को रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन या शहर की सीमा के बाहर रोका जाए। यदि उच्च स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नौकरी की व्यवस्था प्रवसनकर्ता के जन्मस्थल पर ही कर दी जाये तो वह अन्य शहरों की तरफ पलायन क्यों करे?

9. शहरीकरण में वृद्धि के साथ ही सब्जियों, तिलहनों, दूध, अण्डा, अखबार एवं रोजमर्रा की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। जिसके परिणामस्वरूप अवसंरचना में निवेश, लॉजिस्टिक, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एवं संगठित खुदरा बिक्री में बेतहाशा वृद्धि होगी। ऐसे निवेश एवं आर्थिक इंटरलिंकेज ग्रामीण एवं शहरी केन्द्रों के मध्य एक सहक्रिया (सिनर्जी) का निर्माण करेंगे। ऐसे में जब हम एक्सक्लूसिव वृद्धि की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इनका लाभ ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना इसका प्रथम उद्देश्य होगा। किसी भी एमपीसी का दायित्व होगा कि वह उक्त तथ्यों के मद्देनजर टिकाऊ विकास की नींव डाले।

10. मार्च, 2011 में प्रकाशित माननीया इशर जज आहलूवालिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2031 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना से 15वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य देश के शहरी अवसंरचना विकास हेतु कुल 39.20 लाख करोड़ रूपये की राशि की आवश्यकता का आकलन किया गया है जिसका 48 प्रतिशत खर्च शहरी सड़क के विकास के लिए वांछनीय होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि इंक्लूसन और आर्थिक वृद्धि दोनों ही प्राप्त करना हो तो हमें भौतिक संरचना सृजन की नीति से दृष्टि हटाकर सुविधएं मुहैया कराने पर ध्यान देना होगा। सुविधाओं को मुहैया कराने हेतु हमें शासन सुधार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बिना शासन सुधार के शहरी अवसंरचनाओं पर अतिरिक्त पूंजी निवेश के बाद भी सुविधा मुहैया कराने के स्तर में कोई सुधार नहीं होगा।

5.0 सुझाव एवं संस्तुतियां

राष्ट्र के समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार किए जा रहे विभिन्न योजना दस्तावेजों में आपस में समन्वय स्थापित किया जाए अन्यथा एकांगी विकास होगा जिसका प्रभाव अन्य प्रक्षेत्र पर पड़ेगा। सबसे पहले यह आवश्यक है कि राज्यों में एमपीसी का गठन सुनिश्चित किया जाए ताकि महानगरीय क्षेत्र का संतुलित, सुनियोजित एवं समन्वित विकास हो सके। शहरी अस्त–व्यस्तता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हम राष्ट्र के विकास के मार्ग से भटक जायें। शहरों की क्षमता इस बात पर निर्भर है कि उनका कितने बेहतर ढंग से नियोजन किया गया है। उक्त शहर आर्थिक दृष्टि से कितना विकसित है और उसे कितना बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया गया है। शहरीकरण देश के विकास की आर्थिक पूंजी है जिसे राष्ट्र के समग्र विकास हेतु सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। शहरों की संख्या में वृद्धि होती रहेगी, शहरी जनसंख्या का आकार बढ़ता रहेगा तथा शहरी लोगों की जनसंख्या के अनुरूप अवसंरचना एवं शहरी सुविधाएं जैसे जलापूर्ति, ड्रेनेज, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, अंतर एवं अंतरा शहर यातायात, विद्युत, टेलिकॉम, सड़क–रेल–जल यातायात सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीविकोपार्जन की मात्रा में बढ़ोतरी निरंतर होती रहेगी, जिसे रोका नहीं जा सकता। आज राष्ट्र संसाधन एवं सुविज्ञता तथा नियोजन तकनीक के बारे में काफी प्रबल दिख रहा है। अस्तु आवश्यकता है तो इस बात की कि जो नियोजन अस्त्र उपलब्ध है उनका समय रहते सही इस्तेमाल किया जाए, नियमों/नीतियों तथा दस्तावेजों में पारदर्शिता के साथ–साथ उनका क्रियान्वयन किया जाए एवं नियम भंग करने वालों को दंडित किया जाए। चाहे वह भवन उपनियम, वर्षा संचयन तकनीक, पर्यावरण प्रदूषण एवं महायोजना का उल्लंघन हो, चाहे मोटर वाहन कानून का उल्लंघन हो अथवा समुद्र तटीय क्षेत्र अधिनियम का उल्लंघन हो। ऐसे उल्लंघन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। इसके लिए निचले स्तर पर जनसहभागिता आवश्यक है। भूमि एवं समुदाय को मुख्य संसाधन मानते हुए व्यापक पैमाने पर सहभागिता उपागम द्वारा निचले स्तर पर योजना तैयार कर इसे जिला योजना समिति/महानगरीय योजना समिति में सम्मिलित किया जाये। ऐसे में एमपीसी की जिम्मेदारी होगी कि वह नगरमहापालिकाओं, नगरपालिकाओं, नगरपंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों आदि साझादारों को एक सम्मिलित मंच पर लाये और राष्ट्र के समग्र एवं टिकाऊ विकास के लिये कार्य करे। आने वाले समय में 'महानगरीय सरकार' का आभिर्भाव होगा जो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के समानांतर कार्य कर सकेगी तभी सही मायने में राष्ट्र का विकास संभव होगा।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

विकार – अविकार

सुदीप राय

अभी कुछ समय से एक आवाज सी सुनाई देती है। बहुत जानी–पहचानी सी, पर बहुत धीमी सी। खासतौर पर तब, जब किसी विकास के प्रस्ताव पर आलोचना चल रही हो।

मेरी उम्र सिर्फ 35 वर्ष है और मेरे होश में मुझे कोई भी मानसिक रोग नहीं है। लेकिन फिर उस अजनबी आवाज को झुठला भी नहीं सकता। इसलिए आज मैंने अपने आप से बात करते हुए निश्चय किया कि आपको पूरी बात बतलायी जाए। फिर आप ही बताएं कि वह कौन है? पूरी तरह से तो नहीं लेकिन मुझे आपको 29 साल पीछे लेकर जाना होगा। कुछ यादें अभी भी ताजा हैं।

सुबह के 6.00 बजे स्कूल की बस में बैठाने के लिए पिताजी ले जाते थे। बाकी तैयारियों में एक अनोखी तैयारी भी थी। खिड़की पर बने घोंसले में रहने वाली एक चिड़िया को पिताजी अंगुली पर बिठाकर हमारे साथ चल देते थे। हमारे साथ–साथ बाकी बच्चे भी उस चिड़िया को सहलाते थे और ठीक हमारी बस के चलने के साथ पिताजी उसे भी आजाद कर देते थे।

अब आपको बताने की जरूरत तो नहीं–लेकिन अगले दिन सुबह वही चिड़िया, वहीं उस घोसले में पिताजी द्वारा पकड़े जाने का इन्तजार करती थी और हम भी उसे लिए बिना नहीं जाते थे। उसे भरोसा हो चुका था–हम पर, हमारे इरादों पर।

समय के चक्र ने हमें इस लायक तो बना दिया कि मैं 'वास्तुकार या नियोजक' होने पर गर्व कर सकूं। पर अभी जब मेरे सामने विकास का कोई प्रस्ताव आता है मैं खुद ही किसी निर्माण की प्रस्तावना बना लेता हूं तो अचानक वही अजनबी आवाज कहीं किसी आड़ से धीरे से पूछ बैठती है।

आपने सार्थक निर्माण तो कर लिया, इसमें गृहोपयोगी सारे उपकरण तो विधिवत हैं, लेकिन क्या आप मेरी जैसी एक चिड़िया को इस गृह में उसका आशियाना दे सकते हैं? वैसी सहज–सरल मैत्री क्या आप इस घर के बच्चों को दे सकते हैं? बस उसकी इतनी सी आवाज और उसके इतने से सवाल से जैसे मुझे ''पराजित'' होने का अहसास होने लगता है। घुटन सी होने लगती है।

–क्योंकि मेरी खिड़की में 'वातानुकूलित यंत्र' (ए.सी) लगा है और कुछ नहीं। इस खिड़की से परिंदे तो क्या, बाहर की हवा या आवाज भी अंदर नहीं आ सकती।

बस अब यहां तक कुछ सोचकर शांत होने का प्रयास करते हैं कि वह कुछ और सवाल पूछ लेती है :–

''गर्मी की भरी दोपहर को आपके पिताजी कमीज में प्याज रखकर साईकल की सवारी से दफतर जाते थे, वो भी पड़ोसी के साथ। कभी शहर जाने की जरूरत होती तो वही उनका हाथ पकड़कर आधे घंटे तक बस के इंतजार में खड़े रहते थे, टैक्सी गिनी–चुनी होती थी, पर आज आप बैंक से उधार ली गई रकम से खरीदी गई कार में अकेले ही सबसे अलग चलते हैं।'' कुछ शर्मसार होकर सोचने लगता हूं कि अपने पड़ोस में से किसी को साथ ले चलूं, पर जब पहल करने की बारी आई तो देखा वे भी अकेले ही अपने वाहन की सवारी कर रहे हैं।

थोड़ी सी हैरानी से मैं रूक जाता हूं– 'ये बेअदब आवाज सिर्फ मेरा ही पीछा क्यों करती है?

–ऐसा कहूं असमंजस की हालत में मैंने निश्चय किया कि – आगे से अनसुनी कर पीछा छुड़ाऊंगा!! पर अंतरयामी की तरह उसने और भयानक तरीके से घेरा।

कुछ ऐसे मुझे याद दिलाया –

- रामायण जैसा महाकाव्य कहीं किसी सघन वन में लिखा गया था।
- विद्यासागर जी भी सड़कों के पार, उस जलती रोशनी से रोशन हुए थे।
- एक उभरते आजाद देश का संविधान भी अम्बेडकर जी ने सलाखों के पीछे बैठकर लिखा था।

अब आवाज ने रूख बदला – 'अपनी आदत तो देखो!! अपनी सोच को परखो!!! पंखे तो एक तरफ, वातानुकूलित संयत्र चला होने पर ही आप काम कर सकते हैं।

और थोड़ी मेहरबानी ''और'' करते हैं उन शीशे की इमारतों को बनाकर, जहां 'धूप की तपिस और 'संयत्र की ठंडक के साथ वाली सेल में सैकड़ों भूखे लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे, चंद घंटों में साफ हो जाते हैं''। क्या आपकी यह ''वास्तुकार'' होने की बेहतरीन पेशकश है?

–अगर ऐसा है तो ''अपने विश्वास को खोने के गुनहगार, आप और अलकायदा में बस थोडा सा ही अंतर रह गया है।

- आपकी सृष्टि के 'मोहिनी' रूप में वो विकार छुपा है जो कई पीढ़ियों को धीरे–धीरे विनाश की ओर प्रेरित करता है। जहां कि–
- उनके ध्वंस के 'विकराल' रूप में अविकारी मौत के मेले लगते हैं जो कई पीढ़ियों के चुनिन्दे लोगों को एक ही क्षण में समाप्त कर देता है।

शिक्षा की प्रथम कक्षा से प्रशिक्षित और ''परिशोधित'' होते हुए आज अपनी ही इस आवाज से मैं थम सा गया हूं। अगर इसे आप 'अंतःकरण' कहते हैं तो शायद हमें 'मानवता' और 'शिक्षा' की फिर से नयी व्याख्या लिखनी होगी, अब आप सोचिए, कुछ निर्णय लीजिए ।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

याद आता है

राम प्रकाश

वो हफ्तों की बारिश
वो मेढ़कों का टरटराना,
वो बारिश में नंगे नहाना
वो कागज की नाव चलाना,
और इससे भी बढ़कर
एक चीटे को
उस नाव का नाविक बनाना
याद आता है ।

वो जुगनुओं की जगमग
वो झिंगुरों का गाना,
इससे भी बढ़कर, जुगनुओं को
माचिस की खाली डिब्बी में बंद कर
उन्हें जगमग करते देख खिलखिलाना,
याद आता है ।

वो सावन के झूले
वो फागुन के फाग,
वो मकई की रोटी
वो सरसों का साग,
और उन पर मक्खन का स्वाद
याद आता है ।

वो मंद–मंद हवा के झोंकें
वो झोंकों में भीनी–भीनी सुगंध,
वो सुबह की खेतों की सैर
वो सरसों के फूलों की गंध,
और इससे भी बढ़कर, कोसों तक
चारों ओर सरसों के पीले फूल लहलहाना
याद आता है।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

संसदीय राजभाषा समिति प्रश्नावली – एक विहंगम अवलोकन

धनसिंह वर्मा

संसदीय राजभाषा समिति का गठन संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अधीन किया गया है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं जिनमें से 20 लोकसभा के और 10 राज्य सभा के सदस्य हैं जो क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (System of Proportional Representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कर्तव्य है कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करे और उन पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे। राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने, यदि कोई मत प्रकट किए हों तो, उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेंगे, परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबंधों के असंगत नहीं होंगे।

संसदीय राजभाषा समिति केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए निरीक्षण करती है। समिति सचिवालय द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले कार्यालयों को एक निरीक्षण प्रश्नावली भेजी जाती है जिसे निरीक्षण किए जाने वाले कार्यालय व उसके मुख्यालय/मंत्रालय द्वारा भरना होता है। निरीक्षण प्रश्नावली द्विभाषी रूप में होती है और इसे द्विभाषिक रूप में भरना आवश्यक होता है। पहले 32 पृष्ठ व पृष्ठ 50, 51 व 52 निरीक्षण किए जाने वाले कार्यालय/मुख्यालय द्वारा भरने होते हैं तथा पृष्ठ 47, 48 व 49 संबंधित मंत्रालय द्वारा भरने होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण ठीक ढंग से हो, इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :–

1. जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिन्दी/हिन्दी आशुलिपि/ हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है उन्हें उक्त प्रशिक्षण अवश्य दिलवाएं। समिति निरीक्षण के दौरान उक्त बातों को बड़ी गंभीरता से लेती हैं और उक्त प्रशिक्षणों में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिलाया गया हो तो उस पर अपना असंतोष प्रकट करती है।

2. समिति इस बात पर बल देती है कि हिन्दी जानने वाले कर्मचारी अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करें। निरीक्षण प्रश्नावली में 25 प्रतिशत से लेकर शत–प्रतिशत तक हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा देना होता है। अतः कार्यालय में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त

अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए एक जांच बिन्दु बनाया जाए कि वे अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में ही करें।

3. सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले कागजातों जैसे सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर फार्म, संकल्प व संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले कागजात व प्रशासनिक रिपोर्ट इत्यादि को द्विभाषी रूप में जारी किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कार्यालय में एक जांच बिन्दु बनाया जाए और उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को इसके लिए उत्तरदायी माना जाए।

4. राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार सभी कार्यालयों को हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही देना अनिवार्य है। इसके लिए कार्यालय में जांच बिन्दु बनाना अनिवार्य है व ऐसे पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को ही इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण के दौरान हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने पर भारी असंतोष प्रकट करती है।

5. जो कार्यालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित हैं उन्हें नियम 8(4) के अन्तर्गत कुछ अनुभागों को अपना पूरा काम हिन्दी में करने के लिए निर्दिष्ट करना होता है साथ ही हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी अपना कार्य हिन्दी में करने के लिए व्यक्तिशः आदेश दिया जाता है।

6. कार्यालयों में प्रयोग होने वाले सभी कोड/मैनुअलों को द्विभाषी रूप में तैयार किया जाना अनिवार्य है। संसदीय राजभाषा समिति ने राष्ट्रपति को सौंपे अपने आठवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि जो कोड/मैनुअल अभी तक द्विभाषी रूप में तैयार नहीं हैं उन्हें द्विभाषी रूप में तैयार करवाया जाए तथा भविष्य में सभी कोड/मैनुअल साथ–साथ हिन्दी/अंग्रेजी में जारी किए जाएं। राष्ट्रपति ने समिति की सिफारिश को मान लिया है। कार्यालय में इसके लिए भी एक जांच बिन्दु बनाना आवश्यक है। संसदीय राजभाषा समिति इस बात पर भी बल देती है कि कार्यालय में उपलब्ध रजिस्टरों व सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जानी चाहिए तथा रबड़ की मोहरें, साइन बोर्ड, सीलें, पत्र शीर्ष, नाम पट्ट, विजिटिंग कार्ड आदि भी अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में हो।

7. संसदीय राजभाषा समिति इस बात पर विशेष बल देती है कि पुस्तकालय के लिए खरीदी गई कुल पुस्तकों पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत व्यय हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर किया जाए। निरीक्षण प्रश्नावली में इस संबंध में तीन वर्ष के आंकडे देने होते हैं। अतः कार्यालयों को इस बात पर उचित

ध्यान देना चाहिए और प्रतिवर्ष खरीदी गई कुल पुस्तकों के व्यय का 50 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना चाहिए।

संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में हिन्दी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य की जानकारी के लिए पिछले 6 महीने में भेजे गए पत्रों का ब्यौरा भी मांगा जाता है। अतः हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता होती है। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य इस प्रकार है :–

'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 75–100 प्रतिशत

'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 65–100 प्रतिशत

'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 50–65 प्रतिशत

9. संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में पिछले एक वर्ष के दौरान आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों व हिन्दी कार्यशालाओं का ब्यौरा भी देना होता है। अतः कार्यालय में प्रति तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति व हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाना अनिवार्य है।

10. संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली में इस बात का भी ब्यौरा मांगा जाता है कि कार्यालय में कुल कितने कंप्यूटर हैं और इनमें से कितने द्विभाषी हैं। सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार सभी कंप्यूटरों में द्विभाषी रूप में काम करने की सुविधा होना अनिवार्य है। अतः कार्यालयों को चाहिए कि वे नए कंप्यूटर खरीदते समय उन्हीं कंप्यूटरों को खरीदे जिनमें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधा पहले से मौजूद है।

यदि उपर्युक्त बातों पर ध्यान दिया जए तो संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली को सही ढंग से भरा जा सकता है और संसदीय राजभाषा समिति की ओर से किसी भी मुद्दे पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

सबको हिन्दी सीखनी चाहिये। इसके द्वारा भाव विनिमय से सारे भारत को सुविधा होगी।

–चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

मेरी एक यात्रा का अनुभव

हरपाल सिंह

सुबह के चार बजे भोर का समय था। मैं नींद से उठकर गुसलखाने में स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के बाद मैं तैयार होकर अपनी गाड़ी लेकर सुदूर एक गॉव की ओर चल पड़ा। मन में ग्रामीण भारत का सुनहरा सपना था मैंने बहुत बार सोचा था कि ग्रामीण भारत का काफी विकास हो गया होगा। दिल्ली से जिस समय मैं चला तो बहुत अच्छा लगा। सड़क बहुत अच्छी थी गांव में भी अच्छे–अच्छे मकान व लोग दिखाई पड़ रहे थे। कुछ देर के लिए मुझे लगा कि कितना अच्छा विकास हुआ है और हम 21वीं सदी के आधुनिक भारत में पहुंच गये हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मेरा सपना बिखरता हुआ नजर आने लगा। मैंने देखा कि सड़क में बड़े–बड़े गडढे आने लगे, सड़क पूरी टूटी हुई थी। इस सड़क पर गाड़ी तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल था। मैंने उसी सड़क पर हिम्मत के साथ धीरे–धीरे चलने का फैसला किया। मैं धीरे–धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। सड़क के दोनों ओर हरे भरे खेत लहलहा रहे थे। सरसों के पीले–पीले फूल खिले थे ऐसा लग रहा था मानो आसमान से पीला रंग बरस रहा हो। धीरे–धीरे चलते हुए दस घंटे का सफर तय करके मैं उस गॉव में पहुंचा जो मेरी मंजिल थी। गांव में खुला वातावरण था। खुली हवा थी, साफ पानी था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी।

मैंने उस वातावरण में खुलकर सांस ली। महानगर के वातावरण से अलग ही वातावरण में पहुंच गया था। गांव में मैं एक व्यक्ति के घर में ठहरा तथा खाना खाकर आराम किया। आराम करने के बाद उठा तो देखा शाम ढल चुकी थी। सभी पक्षी अपने आशियाने की तरफ लौट रहे थे और किसान अपने खेतों में काम करके वापस अपने–अपने घरों को लौट रहे थे। आसमान में गहरी लालिमा छाई हुई थी ऐसा लग रहा था मानो सूर्य धरती की गोद में समा गया हो। ऐसा प्राकृतिक नजारा मानो गांव प्रकृति की गोद में बसा हो। गांव में महानगर जैसे यातायात के साधनों का शोर नहीं था। धुआं उगलती हुई उद्योगों की चिमनियों का प्रदूषण नहीं था। नालों में उद्योगों का जहरीला पानी व कचरा नहीं था केवल अपने तक ठहरा हुआ व्यक्ति नहीं था। रात होते–होते अंधेरा पसरने लगा सभी लोग अपने–अपने घरों में समा गये। दूर–दूर तक रोशनी दिखाई नहीं पड़ रही थी ऐसा लग रहा था मानो यह गांव आधुनिक विकास से कोसों दूर हो। मैं भी नींद की आगोश में चला गया।

सुबह उठकर मैंने चाय नाश्ता किया और गांव के भ्रमण पर निकल गया। महानगर में उद्योगों का कचरा व धुआं था। यातायात के साधनों का प्रदूषण था जो हमारे शरीर को खा जाता है। लेकिन गांव में मैंने उससे

भी भयानक प्रदूषण की तस्वीर देखी और वह तस्वीर थी सामाजिक प्रदूषण की जो हमारे विकास, समाज तथा लोकतंत्र को कमजोर बनाए हुए है। यह प्रदूषण था समाज में जातिवाद का, यह प्रदूषण था दबंग व्यक्ति व डरे व सहमे हुए व्यक्ति का, यह प्रदूषण था बड़े व छोटे व्यक्ति का। पूरे गांव में शिक्षा का अभाव दिखाई दिया। सभी लोगों के पास काम का अभाव था। रोटी के लिए तरसते हुए लोग थे। गांव में इसी प्रकार का प्रदूषण था जिसको पूरी तरह से बयान नहीं किया जा सकता। मैंने महसूस किया कि महानगर में जो प्रदूषण है उसका निवारण संभव है लेकिन हमारे ग्रामीण परिवेश में जो सामाजिक प्रदूषण है उसका निवारण संभव है ही नहीं। पिछले कई सौ सालों से इस प्रदूषण का निवारण नहीं हो पाया है। यह ऐसा प्रदूषण है जो हमारे समाज की रीढ़ तोड़ रहा है। देश को खोखला बना रहा है। क्या हमारे भारत का सही मायने में यही आईना है। यही मेरा भारत महान है। जिसमें एक गरीब की बेटी की इज्जत की कोई कीमत न हो। क्या कभी यह प्रदूषण समाप्त हो पायेगा? क्या सभी जाति व धर्म के लोगों को बराबर का हक व बराबरी का दर्जा मिलेगा? क्या पुरानी रूढिवादी व सामन्तवादी परम्पराओं से हमारा समाज छुटकारा पायेगा? क्या कभी हमारा समाज सभी बंधनों को तोड़कर एक नए मानव समाज का निर्माण करेगा? समाज व भारत को आधुनिक व विकसित बनाने के लिए हमें सभी तरह की बुराईयों से ग्रसित करने वाले सामाजिक प्रदूषण को समाप्त करना होगा। समाज में रहने वाले लोगों को अपनी गली सड़ी मानसिकता को बदलकर नये समाज की रचना करनी होगी। ऐसा समाज जिसमें सभी को बराबरी का हक मिले, जाति व धर्मों में भेदभाव का नामोनिशान न हो सभी लोग एक दूसरे के दर्द को समझें। जब भारत में इस नये समाज की स्थापना होगी, तब आधुनिक भारत व आधुनिक ग्रामीण परिवेश का निर्माण होगा। नये समाज की एक–एक ईंट लोहे की तरह मजबूत होगी और मजबूत व ठोस आधार व नींव वाला मजबूत भारत बनेगा। शायद उस आधुनिक सोच व मानसिकता वाले समाज व भारत को देखने के लिए मैं जिन्दा न रहूं लेकिन जिस दिन ऐसे समाज वाले भारत का सूर्य उदय होगा वह आधुनिक सोच वाले भारत का दर्पण होगा जो उगते हुए सूर्य की रोशनी से जगमगाकर चमकेगा। तब पूरी दुनिया उस भारत को सलाम करेगी।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिये आवश्यक है।

–महात्मा गांधी

किशोरावस्था

आभा अग्रवाल

किशोरावस्था लैटिन के adolescence शब्द से बना है जिसका अर्थ "बड़े होते" है। किशोरावस्था आमतौर पर यौवन और कानूनी वयस्कता के बीच होने वाले शारीरिक और मानसिक विकास के बीच का संक्रमणकालीन चरण है। किशोरावस्था भटकाव और खोज के समय का चरण है जब बच्चे 12 से 19 साल के बीच होते हैं और किशोर वर्षों का अनुभव करते हैं।

किशोरावस्था मनुष्य की जिंदगी का वह महत्वपूर्ण पड़ाव है जब वह किशोरावस्था से युवावस्था की ओर अग्रसर होता है। वह बहुत तनाव और उलझन की स्थिति से गुजरता है क्योंकि किशोर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में असफल रहता है। भारत में हाल में हुए अनुसंधान के अनुसार किशोर बच्चे कई तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। आजकल माता–पिता बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक परेशानियों का हल ढूँढ़ने के लिए मनोवैज्ञानिकों के चक्कर लगाते हैं। पहले स्थिति इसके विपरीत थी क्योंकि बच्चों को डॉक्टर के पास शारीरिक परीक्षण के लिए ले जाया जाता था। जिन माता–पिता और बच्चों का रिश्ता भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होता है, उनके बच्चों को अपने अहम निर्णय लेने में परेशानी नहीं होती और वे अपने भविष्य का निर्णय आसानी से ले लेते हैं। माता–पिता प्यार से बातचीत करके किशोर को सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं।

किशोरावस्था में तनाव के कारण

किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ावस्था के बीच पुल का काम करता है। इस अवधि में बच्चे में बहुत सारे शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। इस समय शरीर में कुछ नए हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं जिनके कारण शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है। किशोरों को अपने लिंग के बारे में पूरी समझ आ जाती है और उनका शरीर पूर्ण जननक्षमता के चरण में पहुंच जाता है। इन परिवर्तनों के कारण बच्चों को बहुत सारी परेशानियों, उलझनों और अनिश्चितताओं की स्थिति से गुजरना पड़ता है। किशोरावस्था में बच्चे मॉ–बाप पर निर्भर न रहकर स्वतंत्रता चाहते हैं। अब वे अपनी बात को पूरी दृढ़ता से कहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि अब वे परिपक्व हो गए हैं। इस चरण में बच्चों में हो रहे भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन से उनकी आदतों, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व में आकस्मिक परिवर्तन आते हैं जो उनके दोस्तों के संपर्क में आने से होते हैं।

इन परिवर्तनों के कारण किशोर बच्चे तनाव की स्थिति से गुजरते हैं। इस तनाव के कई कारण हैं, जैसे –

- शरीर में हो रहे हार्मोन्स संबंधी परिवर्तनों को वह एकदम स्वीकार नहीं कर पाता है और इसी कारण वह ग्लानि अथवा लज्जित महसूस करता है।
- पढ़ाई का अत्यधिक बोझ, मां–बाप की असीमित अपेक्षाएं और महत्वकांक्षाएं तथा अंधी दौड़ वाला परिवेश उनको अपने तक सीमित कर देता है जिसके कारण वह थकावट महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है।
- मां–बाप के साथ में न रहने के कारण बच्चा भावनात्मक रूप से असुरक्षित और अकेला महसूस करता है।
- संबंधों में तनाव (मां–बाप, दोस्त और भाई–बहन) के कारण बच्चा तनाव में रहता है।

किशोरावस्था के समय बच्चा पूरी तरह सामंजस्यहीनता और परस्पर विरोधी भाव से भरा होता है और वह बिना किसी कारण के घर के लोगों के लिए परेशानी पैदा करता है। उसका मन चंचल और अतिसंवेदनशील होता है और उसके पास शक्ति, उत्साह और आनन्द बहुत होता है जिसके कारण परेशानियां भी होती हैं।

भारत में किशोरावस्था ऐसी विकट समस्या का रूप धारण कर चुकी है जिसका मॉ–बाप ठीक से सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वह पारंपरिक एवं रूढ़िवादी तरीके से ग्रस्त हैं जिसमें बच्चे को अपने मॉ–बाप के हर आदेश को बिना प्रश्न किए पूरा करना अनिवार्य है। आजकल के वैश्विक युग में यह तरीका सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि बच्चों के पास इंटरनेट, टेलीविजन, अखबार व पत्रिका से बहुत जानकारी हो जाती है जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। उनके पास जानकारी का भंडार होता है और वे निष्पक्ष होकर स्वतंत्र तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। इस अवस्था में बच्चे को टोकाटाकी बिल्कुल पसंद नहीं होती है और वह स्वतंत्रता के साथ जीवन जीना चाहते हैं।

मॉ–बाप और बच्चे के विपरीत विचार और एक दूसरे की बात न मानने के कारण दोनों के बीच में पीढ़ी का अंतर आ जाता है। यह विचार, पसंद और सोच में भिन्नता के कारण होता है। सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के क्षेत्र में विकास होने के कारण दोनों पीढ़ियों में यह दूरी और बढ़ जाती है और किशोर बच्चे अपने मॉ–बाप का कहना न मानकर अपने दोस्तों का कहना अधिक मानते हैं। घर का अनुशासित माहौल, मां–बाप द्वारा पढ़ाई के सख्त नियम बनाने और अच्छे अंक न आने पर बच्चों के साथ कठोर व्यवहार इनके बीच दूरी को और बढ़ा देता है।

सुझाव

संबंध बहुत नाजुक मामला है जिसे बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। इसमें सबसे ज्यादा नाजुक रिश्ता मॉ–बाप व बच्चे का होता है। जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो वह समय मॉ–बाप के लिए सबसे जटिल होता है जिसे बहुत समझदारी, प्यार और धैर्य के साथ निभाना बहुत जरूरी है। मॉ–बाप को बच्चे की किशोरावस्था में निम्न बातों पर ध्यान देना उचित होगाः–

- मां–बाप को बच्चों को टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाईल आदि इस्तेमाल करने से नहीं रोकना चाहिए। उन्हें यह सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि यह सभी साधन बच्चा सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है।
- मां–बाप को बच्चे को यह अहसास भी दिलाना चाहिए कि वे उसकी जिंदगी में आ रही परेशानियों को समझते हैं और इस दौर में वे हमेशा उसके साथ हैं। मॉ–बाप को अपना समय निकालकर बच्चे की परेशानियों को दूर करना चाहिए।
- मां–बाप को बच्चे को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह यथार्थवादी लक्ष्य बनाए और उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध रहे। उसे यह अहसास भी दिलाया जाए कि वह अपने उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेगा और उन्हें उसकी क्षमता पर पूरा विश्वास है।
- माता–पिता को बदलते सामाजिक परिवेश, विचारधारा और विकास के साथ अपने पालन–पोषण के तरीके में भी बदलाव लाना चाहिए।
- किशोरावस्था के बच्चों का आदर किया जाना चाहिए। माता–पिता को यह समझना चाहिए कि किशोर बच्चे की अपनी एक जिंदगी होती है जिसे वह अपने तरीके से जीना चाहता है और मॉ–बाप को उसमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। मॉ–बाप को बच्चे के कपड़ों, सामान, उसकी ई–मेल और फोन पर की जा रही बात में ताका–झांकी नहीं करनी चाहिए।
- माता–पिता की समझदारी, बच्चे के प्रति स्नेह, सहनशीलता, धैर्य और मार्गदर्शन के सहारे बच्चा बिना किसी परेशानी के आसानी से किशोरावस्था से युवावस्था में पहुंच सकता है।
- माता–पिता का प्यार, संवेदनशील व्यवहार, समझदारी और बच्चे पर भरोसा उसकी किशोरावस्था की समस्या को काफी हद तक सुलझाने में उसकी मदद कर सकते हैं। मॉ–बाप को किशोर बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए और उसके विचारों का पूरा सम्मान करना चाहिए।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

सर्प बनाम मानव

धनसिंह वर्मा

मस्तिष्क में,
बार–बार घूम रहा था
एक प्रश्न कसैला
कि सर्प और
मानव में से
कौन है?
अधिक विषैला ।

अचानक पढ़कर कहीं ये सार
मैं सोचने पर
हो गया हूँ मजबूर,
कि मानव सर्प से
विषैला है हजूर।

सांप का काटा तो
बार–बार मांगता है पानी
पर मानव का काटा
तो मांग ही नहीं सकता पानी।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

माँ और बाप

रणसिंह सैनी

सब कुछ मिल सकता है यहां पर,
मिल नहीं सकते माँ और बाप ।
श्रवण के ज्यौं सेवा करना,
कट जाएंगे सारे पाप ।

बहुत कष्ट सहे हैं माँ ने,
फिर भी तुझको पाला है ।
ममता वश खुद भूखी रह कर,
तुझको दिया निवाला है ।
तेरे लिए खुद लेट कर गन्द में,
उसने काटी सारी रात ।
सब कुछ मिल सकता है यहां पर,
मिल नहीं सकते माँ और बाप ।
श्रवण के ज्यौं सेवा करना,
कट जाएंगे सारे पाप ।

बाप ने कड़ी मजदूरी करके,
सारे कुटुम्ब को पाल दिया ।
उंगली पकड़ कर चलना सिखाया,
फिर स्कूल में डाल दिया ।
बेटे के लिए मैं बहाऊं पसीना,
गर्मी हो चाहे हो बरसात ।

सब कुछ मिल सकता है यहां पर,
मिल नहीं सकते माँ और बाप ।
श्रवण के ज्यौं सेवा करना,
कट जाएंगे सारे पाप ।

जब–जब तू रोता था लाडले,
माँ के नम होते थे नैन ।
लगा सीने से तुझे सुलाती,
मालूम नहीं कब बीती रैन ।
माँ के लिए बच्चे से बढ़ कर,
नहीं हो सकती कोई सौगात ।
सब कुछ मिल सकता है यहां पर,
मिल नही सकते माँ और बाप ।
श्रवण के ज्यौं सेवा करना,
कट जाएंगे सारे पाप ।

बाहर खेलने जब तू जाता,
माँ तुझको लेती थी रोक ।
काला टीका यूँ लगाती,
लग ना जाये बेटे को टोक ।
मन ही मन होते दोनों खुश,
देख–देख तेरा उत्पात ।
सब कुछ मिल सकता है यहां पर,
मिल नही सकते माँ और बाप ।
श्रवण के ज्यौं सेवा करना,
कट जाएंगे सारे पाप ।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

ललित मेहता

सूचना का अधिकार अधिनियम अर्थात् आर.टी.आई. भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है।

सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लाया गया। यह जनता को उनके अधिकारों से लैस तो करता ही है साथ ही देश के विकास में नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। नागरिकों को किसी भी सरकारी विभाग से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है जो उस विभाग के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिकार में नागरिकों को टेप, वीडियोकैसेट या किसी और इलेक्ट्रोनिक या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना मांगने का अधिकार है।

आर.टी.आई. के लिए कैसे आवेदन करें

सूचना पाने के लिए सादे कागज पर हाथ से लिखकर या टाइप कराकर 10/– रूपये की फीस के साथ अपना आवेदन संबंधित अधिकारी के पास खुद या डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। पोस्टल आर्डर में दी गई जगह पर अपना नाम और पता अवश्य लिखा होना चाहिए। आर.टी.आई. एक्ट, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। अगर आप नकद फीस जमा कर रहे हैं तो रसीद जरूर ले लें। गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले आवेदक को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उन्हें अपना बी.पी.एल. राशन कार्ड दिखाना होगा। आवेदन जन सूचना अधिकारी के नाम दिया जाता है।

आवेदन देने के बाद की कार्रवाई

जन सूचना अधिकारी आर.टी.आई. के अन्तर्गत आवेदन मिलने के 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। साथ ही उसके जवाब में वह प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता भी देगा। यदि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना का संबंध किसी आदमी के जीवन या आज़ादी से है तो सूचना अधिकारी को आवेदन मिलने के 48 घंटे के अंदर सूचना देनी होगी।

अपील का अधिकार

अगर आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है अथवा वह दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने अपील कर सकता है। प्रथम अपील के

लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। अपने आवेदन के साथ जन सूचना अधिकारी के जवाब और पहले आवेदन के साथ दूसरे दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है।

अपीलीय अधिकारी को अपील मामले में 30 दिनों के अंदर या विशेष मामले में 45 दिनों के अंदर अपील का जवाब देना जरूरी है। अगर आपको अपील करने के 45 दिनों के अंदर जवाब नहीं मिलता है अथवा आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप 45 दिनों की अवधि समाप्त होते ही 30 दिन के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग के पास दूसरी अपील भेज सकते है।

किसी शिकायत अथवा अपील पर फैसला

केंद्रीय सूचना अयोग का यह मत है कि केंद्रीय सूचना अधिकारी ने बिना किसी उपयुक्त कारण के आवेदन को जमा करने में लापरवाही बरती या निर्धारित समय के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं करायी अथवा गलत भावना से आवेदन को रद्द कर दिया अथवा उस सूचना को नष्ट कर दिया जिसे मांगा गया है तो आयोग उस सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। इसके लिए उस अधिकारी पर 250/– रूपये रोजाना या अधिकतम 25,000/– रूपये का जुर्माना किया जा सकता है।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

जीवन सूत्र

यूं तो ठिठक जाते हैं, हर एक ठोकर पर हम।
पर कोई आवाज देता है, संभलते रहिए, चलते रहिए।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

अपने बच्चों को धन अवश्य दें।
परन्तु इससे पहले उन्हें अच्छे संस्कार भी दें।

सामाजिक कर्त्तव्य एवं भ्रष्टाचार

नेत्रपाल

भ्रष्टाचार की जननी है – स्वार्थपरता और जनक हैं भौतिकवाद का आधिक्य। इसमें संकीर्ण भावना, निर्दयता, झूठ, मिलावट की प्रवृत्ति, संचयन की प्रवृत्ति, असंयम आदि सम्मिलित हैं। ये सब इसके कुटुम्बीजन हैं जिन्हें हर व्यक्ति को समझना है क्योंकि इनका भ्रष्टाचार से चोली दामन का साथ है। ''भ्रष्टाचार'' शब्द की रचना दो शब्दों से मिलकर हुई है – भ्रष्ट + आचार अर्थात् पतित आचारण या चाल चलन।

आज भारत के साथ अन्य स्वतंत्र देश अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए विकास के पथ पर हमसे आगे निकल गए हैं जिनमें जापान उल्लेखनीय है। आजादी के 64 वर्षों बाद भी हमारी काफी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को अभिशप्त है। भारत में आज भी लाखों गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरकारें आम आदमी के कल्याणार्थ योजनाओं का ढिंढोरा पीटती हैं। इन योजनाओं की आड़ में ही भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों ने महंगी गाड़ियों और आलीशान मकानों के साथ–साथ देश–विदेश में गुप्त खातों में अपार धन जमा कर रखा है। ये लोग देश को खोखला करने में लगे हैं। दुर्भाग्यवश हमारे अन्नदाता किसानों की आत्महत्या का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज के बाद भी रूकने का नाम नहीं ले रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होती है, गरीबों को मुफ्त में अनाज का वितरण नहीं किया जाता, अपितु लाखों टन अनाज हर साल बारिश में सड़ जाता है या चूहों का आहार बनता है। भ्रष्टाचारी इसमें भी अपनी अतिरिक्त कमाई का तरीका खोज निकालते हैं।

सार्वजनिक जीवन में पवित्र मूल्यों को स्थापित करना बहुत जरूरी है। आजकल राजनीति में व्यक्ति, सिद्धांत, विचारधारा एवं संगठन की बजाय धन ही प्रभावी हो रहा है और बिना पैसे वाले निष्ठावान कार्यकर्त्ता की अवहेलना की जा रही है। यह सर्वथा अनुचित है। यह समझदारी देश के प्रत्येक नागरिक को समझते हुए भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करने की शपथ लेनी है। साथ ही, सभी को यह शपथ लेनी है कि भविष्य में न तो कभी घूस देंगे और न ही घूस लेंगे।

आज के परिवेश में व्यक्तिगत स्तर ऊंचा करने की अंधी दौड़ में सभी लोग दौड़ रहे हैं, किंतु सामाजिक जीवन–स्तर ऊंचा करने का प्रयास तो कुछ ही लोग कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि किसी भी समाज का स्तर उसके आदर्शों एवं मूल्यों से आंका जा सकता है। यदि समाज में उज्ज्वल चरित्र वाले, दृढ़ संकल्प, अनुशासनबद्ध तथा कर्त्तव्यपरायण व्यक्तियों की कमी आ जाए, तो सारी सामाजिक व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी

और समाज का ढांचा ढह जाएगा। समाज का स्तर तो तभी उन्नत होगा जबकि व्यक्ति के चिंतन में यह बात आ जाए कि मैं रहूं या न रहूं मेरा समाज उन्नत हो, सशक्त हो, सुदृढ़ हो और वैभवशाली हो। इसके लिए समाज के प्रति समर्पण एवं त्याग का भाव हृदय में आना चाहिए। 'इदं न ममं। इदं समाजाय, राष्ट्राय। राष्ट्राय स्वाहा।' अर्थात् जो कुछ भी मेरा है वह मेरा नहीं है। वह समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है। इस वृत्ति से समाज का स्तर ऊपर उठता है।

भारत को 15 अगस्त, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और तभी ''भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1947'' लागू हो गया। ''भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988'' में कुछ संशोधन करके 12.9.1988 को भारत के राजपत्र (गजट) में छापा गया। इसी तरह वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' की घोषणा की जो 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हो गया है। यह सभी अधिकार जन साधारण को मज़बूत बनाने के लिये दिये गये हैं जिससे भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके। यह एकाधिकार लोकमत से जन साधारण को दिया गया ताकि वह अपने इस एकाधिकार का प्रयोग करके भ्रष्टाचार को खत्म करे। परंतु इसके विपरीत कुछ शहरों में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज बुलंद करने वाले लोगों तथा आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए।

सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, सूचना देने की व्यवस्था को दुरूस्त करने के साथ ही यह भी जरूरी है कि सरकारी विभागों के कर्मचारी अपने तौर–तरीकों में बदलाव लाएं। हालांकि यह आसान कार्य नहीं, क्योंकि पिछले अनेक दशकों से सरकारी कर्मचारियों की सही ढंग से काम न करने और समय पर काम न करने की आदत पड़ गई है। निःसंदेह सभी सरकारी कर्मचारी एक जैसे नहीं होते, लेकिन सरकारी कामकाज का ढर्रा कुछ ऐसा बन गया है कि आम आदमी को परेशानी ही होती है। आज आम जनता को उसके कार्यों के संदर्भ में वस्तुस्थिति से अवगत कराने तथा प्रत्येक स्तर पर नौकरशाही में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। आज लगभग सभी केंद्रीय एवं सरकारी संस्थानों में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा निदेश जारी करके सतर्कता विभागों का गठन किया जा चुका है। यह आयोग (सी.वी.सी.) भी इस जन साधारण की लड़ाई में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका बखूबी निभा रहा है। वर्तमान में, आयोग की दी गयी रिपोर्ट की अनदेखी भी की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। इसके लिए जरूरत है कि मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों का चुनावी खर्च सरकार वहन करे। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। रचनात्मक जवाबदेही से युक्त राजनीतिक लोकाचार स्थापित हो। जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जबावदेह होना चाहिए।

देश का सौभाग्य है कि महात्मा गांधी जी के बाद आज अन्ना हजारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता मिले जिन्होंने अपनी टीम के सहयोग से समस्त देशवासियों को एकसूत्र में पिरोकर भ्रष्टाचार के विरूद्ध जनांदोलन खड़ा किया है। इस आंदोलन को दबाने–कुचलने की तमाम चालें चलीं गईं, परंतु सारी चालें एकदम उल्टी पड़ी। देश में आजादी के बाद शायद ही इतनी बड़ी संख्या में वृद्धों, नौजवानों, बच्चों ने एक स्वर में 'भारत माता की जय', 'वन्दे मातरम्' आदि जयघोष को उद्घोषित किया। चारों ओर ऐसा नजारा था मानो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं, अपितु किसी दुश्मन देश के विरूद्ध जंग छिड़ी हो। चारों ओर मानो भ्रष्टाचार के विरूद्ध जनसमूह उमड़ गया। सब अपने आपको 'मैं अन्ना हूं' कहने लगे। समस्त भारत में राष्ट्रभक्ति की लहर दौड़ी। ऐसा ज्वार अन्य किसी आंदोलन में दृष्टिगत नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की इस जंग में डुबकी लगाने को हर तबका, हर वर्ग लालायित दिखा। इसमें देश ही नही अपितु विदेशों के लोगों ने भी अपना भरपूर योगदान दिया। इसको आजादी के बाद देश की दूसरी लड़ाई तक कहा गया। लोकपाल बिल को लेकर संसद में बहस हुई और लोकपाल बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। कहावत है कि सच की हमेशा जीत होती है। अन्ना हजारे के संबंध में एक प्रसिद्ध कवि द्वारा कही गयी बातें सटीक बैठती हैं कि:–

कौन कहता है कि बादल में छेद हो नहीं सकता,

एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों।

यद्यपि, यह यक्ष प्रश्न है। इसका उत्तर व्यवस्था नहीं देगी। इसका उत्तर प्रत्येक नागरिक को देना है और स्वयं हमें देना है। हमें अपने आपसे पूछना है कि क्या हम भ्रष्टाचार को सहने के लिए अभिशप्त हैं? नहीं, अभिशप्त नहीं हैं हम। यह हमारी नियति नहीं है। जरूरत अपनी नीयत को साफ करने की है। आवश्यकता अपने अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करने की है। जब तक हम भ्रष्टाचार को सहते रहेंगे यह हमारी छाती पर मूंग दलता रहेगा। इसे न सहने का मतलब है, इसका विरोध करना। आज भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है, इस स्वीकृति को अस्वीकृति में बदलने, नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने की जरूरत है। आवश्यकता ऐसा माहौल बनाने की है, जिसमें भ्रष्टाचारी हीरो नहीं, विलेन समझा जाए। यदि कानून के हाथ बंधे हैं और कानून अंधा है, तो समाज के जागरूक तबके को अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा, गलत को गलत कहना होगा। सत्य को स्वीकारना ही होगा। कानून की लम्बी प्रक्रिया भले ही कानून के लम्बे हाथों को छोटा सिद्ध करती हो, पर सामाजिक प्रतिरोध एक कारगर सजा हो सकती है। आज जरूरत है ऐसे माहौल की जिससे कि भ्रष्टाचारी का सामाजिक बहिष्कार हो सके। आज सभी को अन्ना बनने की जरूरत है। सभी को अन्ना के गुण स्वयं में स्थापित करने होंगे। यह नैतिकता की लड़ाई सभी को व्यक्तिगत स्तर पर लड़नी है तभी भ्रष्टाचार मिट सकता है।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

डर लगता है

धनसिंह वर्मा

किसी को तीर से,
तो किसी को तलवार से
डर लगता है ।

किसी को मौत से,
तो किसी को सौत से
डर लगता है ।

किसी को सॉप से,
तो किसी को अपने आप से
डर लगता है ।

दूध के जले को
तो छाछ से भी,
डर लगता है ।

दोस्ती में मिले ऐसे जख्म,
हमें तो अब दोस्ती के नाम से ही
डर लगता है ।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

जीवन सूत्र

आपने धन भी बहुत कमा लिया। घर भी बहुत बड़ा व सुंदर बना लिया । परन्तु आप और आपके जीवन साथी में प्रेम नहीं है तो वह धन और घर आपके लिए बेकार है ।

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश

सौजन्य : ललित मेहता

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, सरकारी कागजात, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, टेंडर नोटिस तथा टेंडर फार्म आदि द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं। किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

2. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्नपत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्नपत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्नपत्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार में भी वार्तालाप में हिंदी माध्यम की उपलब्धता अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए।

3. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में सभी सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में (अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं सहित) अभ्यर्थियों को प्रश्न–पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए। प्रश्न–पत्र अनिवार्यतः दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां भी प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देने की छूट दी जाए।

4. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिन्दी में शोधपत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोधपत्र संबद्ध मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित होने चाहिए।

5. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का सामान्यतः हिन्दी माध्यम में होना चाहिए। 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिन्दी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

6. केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंकक व हिन्दी आशुलिपिक संबंधी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

7. अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराके रिकार्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

8. विदेश स्थित भारतीय कार्यालयों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों आदि की लेखन सामग्री, नामपट्ट, सूचना पट्ट, फार्म, प्रक्रिया संबंधी साहित्य, रबड़ की मोहरें, निमंत्रण पत्र आदि अनिवार्य रूप से हिंदी–अंग्रेजी में बनवाए जाएं।

9. भारत सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, बैंकों, उपक्रमों आदि द्वारा असांविधिक प्रक्रिया साहित्य जैसे नियम, कोड, मैनुअल, मानक फार्म आदि को अनुवाद कराने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेजा जाए।

10. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरों में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण पर नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा इस कार्य के लिए किया जा सकता हो।

11. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकरियों/कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन को गति मिलेगी।

12. सभी मंत्रालय/विभाग आदि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार–प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो।

13. तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधी सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करा दी जाए।

14. सरकार की राजभाषा नीति के प्रति अधिकारियों/कर्मचारियों को सुग्राही बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा को मात्र राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों तक ही सीमित न रखा जाए।

15. इस संबंध में मानीटरिंग को और अधिक प्रभावी और कारगर बनाने के लिए यह जरूरी है कि मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक बैठक में इस पर नियमित रूप से विस्तृत चर्चा की जाए और इसे कार्यसूची की एक स्थायी मद के रूप में शामिल किया जाए ।

16. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान भी उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से कर सकें।

17. राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को नामित करें और नामित कर्मचारियों को निदेश दें कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें, पूरी तत्परता से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा परीक्षाओं में बैठें। प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने या परीक्षाओं में न बैठने वाले मामलों को गंभीरता से लिया जाए।

18. अनुवादकों को सहायक साहित्य, मानक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिंदी व हिंदी–अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियां उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अनुवाद कार्य में इनका उपयोग करें।

19. सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपने–अपने दायित्वों से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक–लेखन को प्रोत्साहित करने तथा अपने विषयों से संबंधित शब्द भण्डार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

20. सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपने केंद्रीय सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों में राजभाषा हिंदी में प्रशिक्षण की व्यवस्था उसी स्तर पर करें जिस स्तर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में कराई जाती है और अपने विषयों से संबंधित साहित्य का सृजन करवाएं जिससे प्रशिक्षण के बाद अधिकारी अपना कामकाज सुविधापूर्वक राजभाषा हिंदी में कर सकें।

21. सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय संस्थान आदि अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। इन पत्रिकाओं में विशेषकर उक्त कार्यालय के सामान्य कार्यों तथा राजभाषा हिंदी से संबंधित आलेख प्रकाशित किये जाएं।

22. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की छमाही बैठकों में सदस्य कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख अनिवार्य रूप से भाग लें।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

अंग्रेजी–हिंदी वाक्यांश

सौजन्य : धनसिंह वर्मा

Acceded to	स्वीकार किया गया
Accepted for payment	भुगतान के लिए स्वीकृत
Accordingly	तद्नुसार
Ad interim	अंतरिम
Advise accordingly	तद्नुसार सूचित करें/तद्नुसार सलाह दें
After perusal	देख लेने के बाद, अवलोकन के बाद
Agreed to	सहमति है
All concerned should note	सर्व संबंधित नोट करें
As laid down	यथा निर्धारित
As per instruction	अनुदेशानुसार
As per opinion of	के मतानुसार
As proposed	यथा प्रस्तावित
Approved	अनुमोदित
As verbally instructed	मौखिक अनुदेशानुसार
By all means	निस्संदेह, अवश्यमेव
By any means	किसी भी प्रकार से
Carry out	पालन करना, पालन करें
Comply with	पालन करना, अनुपालन करना, पालन करें
Discretionary power	विवेकाधिकार
For perusal	अवलोकनार्थ
For suggestion	सुझाव देने के लिए
Forwarded	अग्रेषित, अग्रसारित
Forwarding letter	अग्रेषण पत्र
Immediate	तत्काल, तुरन्त

In his discretion	स्वविवेक से, अपनी समझ से
In modification of	का आशोधन करते हुए
In principle	सैद्धांतिक रुप से, सिद्धांततः
In supersession of	का अधिक्रमण करते हुए
Justification for the proposal	प्रस्ताव का औचित्य
Keeping in view	को ध्यान में रखते हुए
Keep pending	लंबित रखा जाए, रोक रखा जाए
Line of action	कार्रवाई की दिशा
Mentioned above	उपर्युक्त, उपरिलिखित
Notwithstanding	के होने पर भी, के होते हुए भी
Objectionable action	आपत्तिजनक कार्य
Okey (O.K.)	सब ठीक, अच्छा
On merits	गुणावगुण के आधार पर
On no account	किसी भी अवस्था में नहीं
Out today	आज ही भेजिए
Please comply before due date	कृपया नियत समय से पहले इसका पालन किया जाए
Please discuss	चर्चा करें, वार्ता करें
Please expedite compliance	शीघ्र अनुपालन करें
Please speak	कृपया बात करें
Please talk	कृपया बातचीत करें/वार्तालाप करें
Put up	प्रस्तुत करें/कीजिए, पेश करें/कीजिए
Recommended	अनुशंसित, सिफारिश की जाती है
Recommendation	अनुशंसा, सिफारिश
Question does not arise	प्रश्न नहीं उठता
Relevant papers be put up	संबंधित कागज–पत्र प्रस्तुत किए जाएँ

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में संचालित उच्च स्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण के समापन पर सचिव, राजभाषा विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री धनसिंह वर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा)

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में संचालित त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण के समापन पर संयुक्त सचिव, पर्यावरण मंत्रालय से कॉस्य पदक एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री ललित मेहता, हिंदी अनुवादक

किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) की बासपा नदी का सुंदर दृश्य